₹ 15

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

अगस्त 2012



★ चरित्र निर्माण से ही देश की वास्तविक समृद्धि संभव
–इंजीनियर मुहम्मद सलीम

★ पूजते हैं देवी, मारते हैं बेटियां
–अमित कुमार लाडी

★ 'गॉड पार्टिकल' की खोज अनीश्वरवादियों को चुनौती
–संकलित

★ मनुष्यता के साथ विश्वासघात
–मुद्राराक्षस

بسم الله الرحمن الرحيم

"नेकी यह है कि
अल्लाह की मुहब्बत में
अपना दिलपसन्द माल
रिश्तेदारों और यतीमों पर,
मिस्कीनों और मुसाफ़िरों पर,
मदद के लिए हाथ फैलाने
वालों पर और ग़ुलामों की
रिहाई पर ख़र्च करे ।"

(क़ुरआन)

P. M. AGARBATTI WALA
MAPUSA

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 22 अंक 2 अगस्त 2012

रमज़ान वह महीना है जिसमें क़ुरआन उतारा गया जो इन्सानों के लिए सर्वथा मार्गदर्शन है और ऐसी स्पष्ट शिक्षाओं पर आधारित है जो सीधा मार्ग दिखाने वाली और सत्य और असत्य का अन्तर खोलकर रख देने वाली है । –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

फोन–(011)–26949430

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 15/- विशेषांक रु० 25/-

वार्षिक रु० 160/-, दो वर्ष 300/-, पांच वर्ष 700/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–60 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–25 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

नअत

आपके नक़्शे-क़दम[1] को जब से छोड़ा है हुज़ूर[2]
हम हैं और बढ़ता हुआ ज़िल्लत[3] का साया[4] है हुज़ूर

सरवरे-आलम[5] भी हैं और शाफ़ी-ए-महशर[6] भी हैं
दो जहां[7] में आप ही का बोलबाला है हुज़ूर

बेयक़ीनी[8], बेज़मीरी[9] अक़्ल की ग़ारतगरी[10]
अस्रे हाज़िर[11] में अंधेरा ही अंधेरा है हुज़ूर

कब से कहती हैं ज़ुबानें कब से लिखते हैं क़लम
आपकी तारीफ़[12] का मज़मून तिश्ना[13] है हुज़ूर

सो गये अह्ले-अरब[14] ऐशो-तरब[15] की छांव में
अब अजम[16] शौक़े-शहादत[17] में सफ़-आरा[18] है हुज़ूर

कट मरूं, ऐ काश, मैं भी आपके नामूस[19] पर
दर्द का मेरे यही बस एक मदावा[20] है हुज़ूर

जब भी आती है सबा[21] सम्ते-मदीना[22] से इधर
मैं समझता हूं कि मेरा ही बुलावा है हुज़ूर

रौज़ा-ए-अतहर[23] पे अश्कों[24] का मुहर्रिक[25] ग़म नहीं
ये तो मेराजे-मसर्रत[26] का तक़ाज़ा है हुज़ूर

हम बुरा समझें उसे तौबा हमारी क्या मजाल
आपने अच्छा कहा जिसको वो अच्छा है हुज़ूर

आपकी राहे-इताअत[27] से गुरेज़ां[28] है 'हफ़ीज़'
और ज़ुबां पर आपकी उल्फ़त[29] का दावा है हुज़ूर ।

● **हफ़ीज़ मेरठी**

1. चरण-चिह्न 2. इस्लाम के अंतिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) 3. अपमान 4. छाया 5. विश्वनायक 6. क़ियामत के दिन ईश्वर से सिफ़ारिश करके मोक्ष दिलाने वाला 7. दोनों दुनिया, लोक-परलोक 8. अविश्वास 9. आत्माहीनता 10. विनाश-लीला, तबाही 11. वर्तमान काल 12. प्रशंसा 13. अपूर्ण 14. अरबवासी, अरब वाले 15. भोग-विलास और आनन्द 16. ग़ैर-अरबवासी 17. बलिदान का शौक़, शहादत का शौक़ 18. पंक्तिबद्ध में सम्मुख आया हुआ दल 19. मर्यादा, मान-सम्मान, अस्मिता 20. इलाज 21. हवा, मृदुल और शीतल हवा 22. मदीने की ओर 23. अत्यंत पवित्र मक़बरा, हुज़ूर (सल्ल०) का मक़बरा 24. आंसुओं 25.. प्रेरक 26. अत्यधिक ख़ुशी 27. इताअत की राह, आज्ञापालन का मार्ग 28. पलायन किया हुआ, बचकर निकला हुआ 29. प्रेम ।



कहां क्या है ?

नअत	–हफ़ीज़ मेरठी	3
कुरआन ज्योति		5
हदीस मंजरी		6
क्या हम सचमुच आज़ाद हैं ? (संपादकीय)		7
यौन शिक्षा के घातक परिणाम (आपके पत्र)		9
गांधी जी और धर्म परिवर्तन (विचार)		11
तलाक़ का क़ानून–एक अध्ययन (विचारार्थ)	–मौलाना अक़ीदतुल्लाह क़ासिमी	13
दुनिया भर में फूल (कविता)	–अहद प्रकाश	14
टीपू सुल्तान और औरंगज़ेब मूर्तिभंजक नहीं थे (तथ्य)	–खुर्शीद मुस्तफ़ा रिज़वी	15
पूजते हैं देवी, मारते हैं बेटियां (दृष्टिकोण)	–अमित कुमार लाडी	17
मनुष्यता के साथ विश्वासघात (अभिमत)	–मुद्राराक्षस	19
गॉड पार्टिकिल की खोज अनीश्वरवादियों को चुनौती (ज्ञान-विज्ञान)	–संकलित	21
बुढ़ापा, दहेज प्रथा (कविताएं)	–रामेश्वरी 'नादान'	23
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बनी काल (ज्वलंत सामयिक)	–मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'	25
रमज़ान के रोज़ों की विशिष्टता (विशेष आयोजन)	–हमूदा अब्दलती	26-27
चरित्र निर्माण से ही देश की वास्तविक प्रगति और समृद्धि संभव (विशेष आयोजन)	–इंजीनियर मुहम्मद सलीम	34
रमज़ान : नेकियों का मौसमे बहार (विशेष आयोजन)	–डॉ॰ मुहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी	38
मुसलमानों के सरदार के घर ईद (विशेष आयोजन)	–अफ़ज़ल हुसैन	40
'ड़' से पहले...(कहानी)	–तारिक़ किफ़ायत	43
भारत में सूचना का अधिकार (जागरूकता)	–अफ़रोज़ आलम साहिल	45
सुर से सुर मिलाते जाइए (कविता)	–अमित कुमार लाडी	49
बालवीथी		50



(68) अगर अल्लाह का लेख पहले न लिखा जा चुका होता तो जो कुछ तुम लोगों ने लिया है उसके बदले में तुमको बड़ी सज़ा दी जाती । (69) तो जो कुछ तुमने माल हासिल किया है, उसे खाओ कि वह हलाल (वैध) और पाक है और अल्लाह से डरते रहो ।[49] निश्चय ही अल्लाह क्षमावान और दयावान है ।

–क़ुरआन, 8 : 68-69

49. इस आयत की व्याख्या में टीकाकारों ने जो रिवायतें बयान की हैं वे ये हैं कि बद्र की लड़ाई में क़ुरैश सेना के जो लोग गिरफ़्तार हुए थे, उनके बारे में बाद में मशविरा हुआ कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए । हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) ने राय दी थी कि फ़िदया (प्रतिदान) लेकर छोड़ दिया जाए, हज़रत उमर (रज़ि०) ने कहा कि मृत्यु दंड दिया जाए । नबी (सल्ल०) ने हज़रत अबू बक्र की राय मान ली और फ़िदया का मामला तय कर लिया । इस पर अल्लाह ने ये आयतें रोष व्यक्त करने के लिए उतारीं । मगर टीकाकार आयत के इस वाक्य का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं कर सके हैं कि "अगर अल्लाह का लिखा पहले न लिखा जा चुका होता ।" वे कहते हैं कि इससे तात्पर्य अल्लाह की बनायी तक़दीर (भाग्य) है या यह कि अल्लाह पहले ही यह इरादा कर चुका था कि मुसलमानों के लिए ग़नीमतों को हलाल कर देगा । लेकिन यह स्पष्ट है कि जब तक वैधानिक रूप से वह्य द्वारा किसी चीज़ की इजाज़त न दी गयी हो, उसका लेना जाइज़ नहीं हो सकता । तो नबी (सल्ल०) सहित पूरी इस्लामी जमाअत (गिरोह) इस व्याख्या की रोशनी में गुनाहगार ठहरती है और कुछ रावियों द्वारा उल्लिखित रिवायतों (अख़बारे आहाद) पर भरोसा करके ऐसी व्याख्या को स्वीकार कर लेना एक बड़ी भारी बात है ।

मेरे नज़दीक इस स्थान की सही व्याख्या यह है कि बद्र की लड़ाई से पहले क़ुरआन की सूरा-47 (मुहम्मद) में युद्ध संबंधित जो आरंभिक हिदायतें दी गयी थीं, उनमें यह संकेत दिया गया था कि–

"अत: जब इन इन्कार करने वालों (दुश्मनों) से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो पहला काम गरदनें मारना है, यहां तक कि जब तुम उनको अच्छी तरह कुचल दो, तब क़ैदियों को मज़बूत बांधो, इसके बाद (तुम्हें अधिकार है) एहसान करो या अर्थदंड (फ़िदया) का मामला करो, यहां तक कि युद्ध अपने हथियार डाल दे ।" (सूरा मुहम्मद आयत 4) इस आयत में सामरिक बन्दियों से फ़िदया वसूल करने की इजाज़त तो दे दी गयी थी लेकिन उसके साथ शर्त यह लगायी गयी थी कि पहले शत्रु की शक्ति को अच्छी तरह कुचल दिया जाए, फिर क़ैदी पकड़ने की चिन्ता की जाए । इस आदेश के अनुसार मुसलमानों ने जो क़ैदी बद्र के युद्ध में गिरफ़्तार किये और उसके बाद उनसे जो फ़िदया वसूल किया, वह था तो इजाज़त के अनुसार, मगर ग़लती यह हुई कि 'शत्रु की शक्ति को कुचल देने' की जिस शर्त को प्रमुखता दी गयी थी, उसे पूरा करने में कोताही की गयी । लड़ाई में जब क़ुरैश की सेना भाग निकली तो मुसलमानों का एक बड़ा गिरोह लूटने और दुश्मन के आदमियों को पकड़-पकड़ कर बांधने में लग गया और बहुत कम आदमियों ने शत्रुओं का कुछ दूर तक पीछा किया, हालांकि अगर मुसलमान पूरी शक्ति से उनका पीछा करते तो क़ुरैश की शक्ति का उसी दिन अन्त हो गया होता । इसी पर

(शेष पृष्ठ 49 पर)



अच्छे कामों का आरंभ दाएं हाथ और दायीं तरफ़ से

● हज़रत आइशा (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहती हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) का दाहिना हाथ वुज़ू आदि और खाने के लिए इस्तेमाल होता था । और बांयां हाथ शौच और इस प्रकार के और कामों के लिए इस्तेमाल होता था ।

–अबू दाऊद आदि ने सही सनद से रिवायत किया है । यह हदीस 'सहीह' है ।

● हज़रत उम्मे अतीयह (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब (रज़ि॰) को नहलाने के समय कहा : "उसकी दाहिनी ओर से और उनमें जो वुज़ू के अंग हैं उनसे आरंभ करना ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "तुममें से जब कोई जूता पहने तो दाएं पांव से शुरू करे और उतारे तो बाएं पांव से शुरू करे ताकि दाएं पांव में पहले जूता पहना जाए और आख़िर में उससे उतारा जाए ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अनस (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) मिना के स्थान पर गये, फिर जमरह पर आये और वहां कंकड़ियां मारीं । फिर मिना अपने ठिकाने पर आये और क़ुरबानी की । और नाई से कहा : "यह बाल लो (काटो) ।" और आपने अपनी दाहिनी ओर संकेत किया । इसके बाद आपने बायीं ओर का संकेत किया । फिर आप बालों को लोगों में वितरित करने लगे ।

–बुख़ारी, मुस्लिम

एक रिवायत में है : जब आपने जमरह पर कंकड़ियां मारीं और क़ुरबानी की और सिर मुंडाने का इरादा किया तो आपने नाई को अपने सिर के दाहिनी ओर संकेत किया । अतएव उसने उस तरफ़ का बाल बना दिया । फिर आपने हज़रत अबू तलहा अल-अंसारी (रज़ि॰) को बुलाया और बाल उन्हें प्रदान किया । फिर बायीं ओर संकेत किया और कहा : "इनको बना दो ।" अतएव उसने उस तरफ़ का बाल बना दिया । फिर आपने यह बाल भी हज़रत अबू तलहा (रज़ि॰) को प्रदान किया और कहा : "इसको लोगों में वितरित कर दो ।"

ईद, बीमारपुर्सी, हज, युद्ध और जनाज़ा आदि के लिए एक मार्ग से जाना और दूसरे मार्ग से लौटना

● हज़रत जाबिर (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि जब ईद का दिन होता, तो नबी (सल्ल॰) के (ईदगाह) जाने और आने का मार्ग अलग-अलग होता । –बुख़ारी

● हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) 'अस-सजरह' के मार्ग से बाहर जाते थे और 'अल-मुवर्रस' के मार्ग से प्रवेश करते थे, और जब मक्का में प्रवेश करते तो ऊपर वाली घाटी से प्रवेश करते । और जब (मक्का से) बाहर निकलते तो नीचे वाली घाटी के मार्ग से निकलते थे ।

–बुख़ारी, मुस्लिम

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय
हिन्दी वेबसाइटें
www.quranhindi.com
www.islamdharma.org
www.islamicwebdunia.com
www.islamic-videos.com

क्या हम सचमुच आज़ाद हैं ?

यह कहने में संकोच होता है, लेकिन सत्य को झुठलाया भी नहीं जा सकता कि हमारे देश की आज़ादी बूढ़ी हो चली है । हम अब आज़ादी के 66वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और लगभग 66 वर्ष ही भारतीयों की सामान्य आयु मानी जाती है । इस दृष्टि से देश की आज़ादी एक भारतीय की औसत आयु के समान हो गयी है । यही नहीं इसकी कार्यशैली और उपलब्धि एक सामान्य भारतीय जैसी है ! आइए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर एक नज़र डालें देश की कुछ संवैधानिक संस्थाओं की अपेक्षाओं और ज्वलंत मुद्दों और समस्याओं पर विचार करें कि हमने क्या कुछ प्राप्त किया है और क्या कुछ प्राप्त करना शेष एवं अभीष्ट है ।

हम इसकी शुरुआत करते हैं भारतीय संसद से, जिसकी गरिमा तार-तार हो चुकी है । इसका एक प्रमुख कारण अयोग्य एवं अक्षम लोगों की इसकी सदस्यता तक पहुंच । भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप वर्तमान समय में पूर्णत: भीड़तंत्र जैसा है । चूंकि समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, नैतिकता में गिरावट आती जा रही है, इसलिए धनबल, बाहुबल और सत्ताबल आदि के विकृत रूप भी लगातार बढ़ रहे हैं । राजनीति का अपराध से सरोकार बढ़ा है और अपराध का राजनीतिक तालमेल एक सामान्य बात हो गयी है । फलस्वरूप जो अच्छे लोग सत्ता और राजनीति में थे भी वे या तो हट गये या काल-कवलित हो गये और नये अच्छे लोग राजनीति में आने से कतराने लगे हैं । यह एक गंभीर समस्या है, जिसकी ओर सभी देशप्रेमियों और देशहितैषियों एवं बुद्धिजीवी वर्ग का ध्यान जाना ही नहीं चाहिए, अपितु इसे एक चुनौती मानकर स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन के लिए आगे आना चाहिए ।

हमारे देश में एक बड़ी समस्या केन्द्रीय सत्ता का लगातार कमज़ोर रहना है । भारत सरीखे संघीय राज्य में जहां विविधता असीम है, वहां सबल केन्द्रीय सत्ता ही राष्ट्र की सार्वभौमिकता और एकता को सुदृढ़ रख सकती है । अमेरिका का अनुभव हमें बताता है कि कमज़ोर केन्द्रीय सत्ता से देश को सतत आघात ही पहुंचता है । कमज़ोर केन्द्रीय सत्ता की कई ऐसी विवशताएं होती हैं, जिनके कारण वह राष्ट्रहित को तरजीह नहीं दे पाती । कुछ मिसालें देखिए—चन्द्रशेखर जी समाजवादी जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री थे, उस समय अमेरिका, इराक़ को निशाना बना रहा था । इराक़ भारत का घनिष्ठ मित्र था, फिर भी इराक़ पर हमला करने के लिए चन्द्रशेखर सरकार ने अमेरिकी बम-वर्षकों को मुंबई में तेल भरने की इजाज़त दी । इसी सरकार ने लंदन की गलियों में भारत का सोना बेचा । फिर कमज़ोर केन्द्रीय सत्ता का एक दौर-सा चल पड़ा है । गठबंधन की केन्द्रीय सत्ता बन रही है । इसके कारण भी हमारे वैदेशिक संबंध भी लगातार प्रभावित हो रहे हैं । इसराईल को प्रश्रय और फ़िलिस्तीन की उपेक्षा के साथ ही ऐसे अनेक मामले हैं, जहां भारतीय विदेश नीति संशयग्रस्त हो गयी है । गुटनिरपेक्षता एवं पंचशील-सिद्धांत को तो भारत ने दशकों पहले त्याग दिया था । दुनिया के देश से हमारे संबंध का मसला अब तक उलझा हुआ है । इस ओर भारत सरकार पिछले छह दशकों से अधिक समय से बुरी तरह विफल रही है ।

हिमालयीन देशों से भारतीय संबंध आज़ादी के तुरंत बाद से निराशाजनक रहा है । मसलन, नेपाल में भारतीय विदेश नीति की विफलता के कारण माओवाद और कम्युनिस्ट चीन का प्रभाव काफ़ी हद तक बढ़ चुका है ।

तिब्बत पर 1949 से ही कमज़ोर नीति के कारण भारतीय सीमाएं विवादग्रस्त हो गयी हैं । चीन का दावा है कि लद्दाख़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और भूटान उसके भू-भाग हैं । जिस दिन भारत पर चीन की सेना ने हमला (अक्तूबर 1962) किया था, उसी दिन एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में तत्कालीन भारतीय प्रतिनिधि वी॰के॰ कृष्णमेनन चीन को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने का आग्रह कर रहे थे । आज बर्मा जिससे भारत का ऐतिहासिक नाता है, क्रूर फ़ौजी बूट के नीति से दमित है और चीन उसकी मदद कर रहा है । दुनिया के मुस्लिम देशों से भारत के संबंध लगातार ख़राब होते जा रहे हैं और अमेरिकापरस्ती की होड़ लगी हुई है ।

हमने भारत में समाजवाद लाने का सपना देखा था । इस बात का संविधान में संकल्प भी व्यक्त किया गया था, लेकिन संविधान के अन्य प्रावधानों एवं लक्ष्यों की भांति इस लक्ष्य को नज़रअंदाज़ कर दिया गया । वैसे तो देश का पूरा संविधान क्रियान्वयनरहित है, लेकिन जिस समाजवाद का डंका पीटा गया था, वह भी उपेक्षित और निष्फल रहा । इसकी जगह पूंजीवाद ने ले ली, जिसके कुपरिणाम महंगाई, ग़रीबी, अशिक्षा, कुपोषण आदि रूपों में हमारे सामने हैं । कहने का तात्पर्य यह कि पूंजीवादी की सारी ख़राबियां भारतीय समाज में धीरे-धीरे प्रविष्ट हो चुकी हैं । स्पष्ट है, यह भारतीयों के लिए बड़ी चुनौती है कि इससे किस प्रकार उबरें । कहने को तो देश में क़ानून का शासन है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है । आज़ादी के बाद भारतीय न्यायपालिका की जो गरिमामयी और विश्वसनीय स्थिति थी, आज वह शेष नहीं रही । न्याय का अकाल पड़ा हुआ है । इसके कारण अनेक सामाजिक समस्याएं और विसंगतियां उठ खड़ी हुई हैं । साम्प्रदायिक दंगों को लीजिए, इनके अधिकतर पीड़ितों को न्याय से वंचित रहना पड़ता है, जबकि आज़ादी के बाद इस प्रकार के अपराधों की संख्या सबसे अधिक है । निर्दोष लोगों को भी पुलिस अपने आक़ाओं के इशारे पर विभिन्न प्रकार के मुक़दमों में फांस देती है और वे जेलों में भेज दिये जाते हैं । ऐसे हज़ारों केस हैं कि जेलों में वर्षों गुज़र जाने के बाद भी वे आज़ाद नहीं हो पाये हैं । ऐसा मुसलमानों के साथ कुछ अधिक ही हो रहा है । अतः नागरिकों को उनकी अपनी आज़ादी की सबसे अधिक ज़रूरत है ।

1975 में देश में आपातकाल लगा । मौलिक अधिकार निरस्त कर दिये गये । बाद में न्यायपालिका सक्रिय हुई । उसने अपने फ़ैसलों के ज़रिये भारत की ग़रीब, अनपढ़ और लाचार जनता की सुधि ली । जेलों में बेवजह या लंबी अवधि से पड़े लोग, झुग्गी-झोपड़ी से जबरन बेदख़ल किये जाने वाले लोग, दवा की कमी से बेमौत मरने वाले, बेगारी के लिए पकड़ लिए गये मजबूर लोग न्यायालय से न्याय पाने लगे, पर उदारीकरण, वैश्वीकरण और पूंजीवाद के कुप्रभाव से न्यायालय भी अछूता न रहा । अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि पीड़ितों को राहत मिले ।

अक्सर देखा जाता है कि बड़े-बड़े घोटालों में शामिल नेताओं को राहत मिल जाती है, 20-25 बरसों तक मुक़दमे चलते हैं, ज़मानत या स्टे मिल जाता है और वे मंत्री तक बने रहते हैं । देश के हज़ारों किसान सरकारी नीतियों का ख़मियाज़ा भुगत रहे हैं अपनी जान देकर । आम जनता के लिए सरकारी दरवाज़े बन्द हैं, न्यायपालिका के दरवाज़े बन्द हैं । फिर जनता क्या करे ? क्या वह सचमुच आज़ाद है ?

यौन शिक्षा के घातक परिणाम

विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के पक्ष में बहुत लोग आजकल तर्क रख रहे हैं । लेकिन वे यह नज़रअंदाज़ कर रहे हैं कि जिन देशों में दशाब्दियों से यौन शिक्षा दी जा रहीहै वहां इसका क्या परिणाम हुआ । हम सब एक वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं । यहां कोई भी व्यक्ति एक प्रस्ताव या सिद्धांत पेश कर सकता है । लेकिन वह सिद्धांत तभी सही समझा जाएगा जब परीक्षण की कसौटी पर वह सिद्ध हो जाए यदि कोई प्रस्ताव परीक्षण में ग़लत निकलता है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मांग है कि उस प्रस्ताव को एकदम त्याग दिया जाए ।

यौन शिक्षा की अवधारणा 1912 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार औपचारिक रूप से रखी गयी थी, लेकिन ईसाई समुदाय के घोर विरोध के कारण इसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया । बढ़ते हुए यौन रोगों के कारण अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग ने 1940 में पुन: यह मांग दुहरायी, लेकिन परिणाम कुछ नहीं हुआ । अंतत: 1953 में अमेरिकन स्वास्थ्य विभाग ने एवं स्कूली शिक्षा के कुछ परिवर्तनवादियों ने 5 लघु पुस्तिकाओं की सहायता से वहां दुनिया की पहली औपचारिक यौन शिक्षा शुरू की । इससे प्रेरणा लेकर जल्दी ही लगभग सभी विकसित पश्चिमी राज्यों ने यौन शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बना दिया ।

विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के पीछे मुख्य तर्क यह था कि इससे जवानों में कुंठां कम होगी, मुक्त यौनाचार कम होगा, यौन अपराध कम होंगे, यौन रोग कम होंगे एवं विवाहित जीवन में सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा । किसी भी परीक्षण के लिए 50 साल कम नहीं होते, ख़ासकर जब यह परीक्षण कम से कम 25 राज्यों में किया जा रहा हो । 50 साल के प्रयोग का परिणाम क्या है ? हम अमेरिका का ही उदाहरण ले लें ।

वहां देखते हैं–

1. विद्यालयों में यौन शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपसी यौनाचार हर साल बढ़ता जा रहा है एवं 12 से 15 साल की लड़कियां धड़ल्ले से ऐसी संतानों को जन्म दे रही हैं, जिनके बाप का कोई पता नहीं है, क्योंकि ऐसी अधिकतर लड़कियों के एक से अधिक लड़कों से यौन संबंध है ।

2. मुक्त यौनाचार का प्रतिशत हर साल बढ़ता जा रहा है ।

3. हैरत की बात यह है कि मुक्त यौनाचार के बढ़ने के बावजूद लोगों की भड़की हुई यौनेच्छाएं तृप्त नहीं हो रही हैं एवं इस कारण उस देश में वेश्यावृत्ति, बलात्कार एवं लड़कियों का अपहरण बढ़ रहा है ।

4. यौन रोगियों की संख्या आसमान छू रही है । स्वास्थ्य विभाग हैरान है ।

5. यौन अपराध तेज़ी से बढ़ रहे हैं ।

यदि अमेरिका एवं यूरोप में 50 साल की यौन शिक्षा की उपलब्धि यह है, तो सवाल यह है कि हिन्दुस्तान को इसकी क्या ज़रूरत है । हिन्दुस्तान में यौन अपराधियों की एवं यौन रोगों की कमी है क्या जो हमें पाश्चात्य यौन शिक्षा के सहारे इनका आयात भी करना पड़े ?

यौन-शिक्षा पूरी तरह से असफल एक पश्चिमी अवधारणा है, जिसने पश्चिम को बर्बाद कर दिया है अत: इसकी ज़रूरत हिन्दुस्तान को नहीं है ।

शास्त्री जे॰सी॰ फिलिप
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म॰प्र॰)

तर्कसंगतता को प्रश्रय

यह पत्र मैं बहुत ख़ुश मन से और आपको बधाई देने के लिए लिख रहा हूं । जुलाई 12 के अंक के पृष्ठ 4 पर 'कहां क्या है ?' पर एक नज़र डाली तो आपको बधाई देने के लिए काग़ज़ पेन उठा लिया ।

आपने संतुलित, निष्पक्ष और रचनात्मक पत्रकारिता के द्वारा जैसे दो धर्मों के बीच की दूरियां मिटा दी हैं और समाज को इकट्ठा करने का काम किया है, वह निहायत प्रशंसनीय और अनुकरणीय है ।

आज आप जैसे संपादकों की बहुत ज़रूरत है जो पक्षपात, उग्रता और अतार्किकता के स्थान पर निष्पक्षता, शांतिपूर्वक विचार-विनिमय और तर्कसंगतता की प्रश्रय दें ।

आशा करता हूं कि आपके संपादकत्व में 'कान्ति' की कान्ति नये शिखर को आलोकित करेगी ।

(डॉ॰) सुरेन्द्र अज्ञात

बंगा, पंजाब

तर्क से आस्थाओं को मिलती है दिशा

'कान्ति' के नये अंक (जून 2012) की प्रति बहुत दिनों बाद देखकर मज़ा आया । मैं और सविता दोनों ही तसल्ली से इसे पढ़ेंगे । 'विशेष आयोजन' में प्रकाशित आपके विस्तृत लेख (''एकेश्वरवाद की मौलिकता'') का मैंने अवलोकन किया है और सविता जी ने समूचा पढ़ा है । एक संकेत है–तर्क से आस्थाओं को दिशा मिलती है, परन्तु उनका सही निर्माण तो अग्रगामी लोगों के आचरण से प्रभावित होता है । जहां इसमें अभाव हुआ, वहां सच्चे सिद्धांत भी थोथी पोथी बनकर रह गये ।

प्रेम मोहन लखोटिया

'स्मृति', 141/1, गणेश नगर, इस्कॉन रोड,

मानसरोवर, जयपुर-302020

मुसलमानों को निष्ठा के लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं

'कान्ति' का जून 12 अंक पढ़ा । बधाई । आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं । मैंने भारतीय मुसलमानों पर गहन अध्ययन किया है । डॉ॰ असग़र अली इंजीनियर ने मेरे लेखों की तारीफ़ की है ।

साम्प्रदायिकता से हट कर सोचने की ज़रूरत है । भारतीय मुसलमानों को अपनी निष्ठा प्रमाणित करने के लिए किसी प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है । इस्लाम या फिर किसी भी धर्म का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है ।

डॉ॰ एल॰एन॰ मित्तल

एच-883, हाउसिंग बोर्ड बॉलोनी,

मुरैना (म॰प्र॰)

महंगाई और सरकार की उदासीनता

देश में महंगाई रिकार्ड स्तर पर बढ़ती ही जा रही है । इस महंगाई से आम जीवन प्रभावित हो रहा है । दैनिक उपयोग की वस्तुओं के ख़रीदने तथा परिवार के पालन-पोषण में उसकी नींद हराम हो रही है, लेकिन राजनेता जनता की सुख-सुविधाओं के प्रति किसी भी प्रकार से चिंतित दिखायी नहीं देते और न ही बढ़ती महंगाई पर वे कोई चिंता प्रकट करते हैं ।

आज देश की जनता शल्य चिकित्सा, इलाज, न्याय, घोषणा पत्र, यात्राओं, शादी-ब्याह, अनाज, फल, दूध, बिजली, पानी, शैक्षणिक शुल्क, मकान, किराया, ईंधन आदि के प्रत्येक क्षेत्रों में महंगाई से सामना कर रही है, जबकि जनता प्रेम में तनिक-सी परेशानी आज खड़े होने पर शासन की ही नींद उड़ जाना चाहिए थी कि सुख-सुविधा मुहैया कराने में वह अपना पूरा ध्यान लगा देती और फिर जनता का जीवन सरल-सुलभ बन सकता था । अत: शासन को महंगाई में कमी लाकर जनता की सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ़ना चाहिए ।

मलिक

नागपुर

शब्दक्रांति

हिन्दी में प्रकाशित 'कान्ति' पत्रिका मात्र एक पत्रिका ही नहीं बल्कि एक शब्द क्रांति भी है, जिसके एक-एक पृष्ठ में न केवल इस्लाम के सद्गुणों पर प्रकाश रहता है बल्कि संपूर्ण मानवजाति के लिए मानवता एवं भाईचारा का दुखद संदेश भी रहता है । साथ ही यह पत्रिका अपने बहुआयामी रूप में उत्पत्ति ही प्रभावशाली है । यहां विज्ञान और समाज दोनों से संबंधित उन्नत विचार प्रकाशित होते हैं । इस हेतु आपको कोटिश: धन्यवाद ।

डॉ॰ गोरख प्रसाद भटानर

विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग

राज इंटर महाविद्यालय, बेतिया

समाज को नैतिक पतन से बचाएं

फ़िल्में और टी॰वी॰ सीरियल गंदे नाच-गाने और हिंसा से भरे होते हैं । समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में भी यही गंदगी होती है । इसी कारण नशाख़ोरी, अपराध और हिंसा बढ़ रही है । देशवासियों के चरित्र में गिरावट आ रही है । समाज को विशेष रूप से नयी पीढ़ी को इससे बचाने की ज़रूरत है ।

फ़िल्म सेंसर बोर्ड और सरकार को सख़्ती से काम लेना चाहिए । इस गंदगी से छोटे और बड़े पर्दे को पाक करने की ज़रूरत है । समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और किताबों में भी गंदी चीज़ों के छापने पर प्रतिबंध लगनी चाहिए । हम सबको मिलकर इसका मुक़ाबला करने की ज़रूरत है ।

हसनैन कैफ़

भंडारा, महाराष्ट्र

गांधी जी और धर्म परिवर्तन

इन दिनों कुछ राजनैतिक ताक़तों द्वारा अपने हितसाधन के लिए गांधी जी के धर्म परिवर्तन संबंधी विचारों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है । गांधी जी धर्म परिवर्तन को किस रूप में देखते थे यह हमें तभी समझ आ सकेगा जब हम उनके कथनों और लेखन को उनकी संपूर्णता में देखें । तब हमें यह एहसास होगा कि धर्म परिवर्तन के बारे में गांधी जी के विचार आज के नफ़रत के सौदागरों द्वारा कही जा रही बातों से कितने अलग थे । गांधी जी अंत:करण की स्वतंत्रता के हामी थे । वे यह जानते थे कि सभी धर्मों को अस्तित्व में बने रहने का पूरा अधिकार है । यही कारण है कि अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने को हमारे संविधान में मूल अधिकार का दर्जा दिया गया । हमारा संविधान, आज़ादी की लड़ाई के मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है । दुर्भाग्यवश आज कुछ दक्षिणपंथी ताक़तों द्वारा गांधी जी को उद्धृत कर धर्म परिवर्तन को ग़लत ठहराया जा रहा है ।

गांधी जी के जिस उद्धरण का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है उसका सच, उनके कथन को पूरी तरह से पढ़कर जाना जा सकता है । उक्त उद्धरण, जो कि पूरे कथन का हिस्सा मात्र है, ''कलेक्टिड वर्क्स ऑफ़ गांधी'' के 67वें खंड के पृष्ठ क्रमांक 27-28 से लिया गया है । ''द हिन्दू'' अख़बार को 22 मार्च 1931 को दिये गये एक साक्षांत्कार में गांधी जी को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था-''अगर स्वतंत्र भारत में ईसाई मिशनरियों ने चिकित्सा, शिक्षा आदि के ज़रिये धर्म प्रचार का काम जारी रखा तो मैं निश्चित रूप से उनसे वापस जाने के लिए कहूंगा । हर देश का धर्म उतना ही अच्छा है जितना किसी और देश कर । निश्चित तौर पर भारत के धर्म उसके निवासियों के लिए पर्याप्त हैं । हमें किसी आध्यात्मिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।''

यह उनके कथन का पहला हिस्सा है । इसके बाद की पंक्तियों में ठीक इसके उलट विचार व्यक्त किये गये हैं । और ये गांधी जी के अस्ली विचार हैं । वे आगे लिखते हैं, ''ये शब्द रिपोर्टर ने मेरे मुंह में डाले थे । मैं तो यही कह सकता हूं कि यह जो कुछ मैं हमेशा कहता रहा हूं और मानता हूं, उसके ठीक विपरीत हैं ।'' वे आगे कहते हैं ''मैं धर्म परिवर्तन का विरोधी नहीं हूं । मैं तो धर्म परिवर्तन के आधुनिक तरीक़ों के ख़िलाफ़ हूं । इन दिनों धर्म परिवर्तन, व्यापार बन गया है । हर राष्ट्र अपने धर्म को उतना ही अच्छा मानता है जितना कोई और राष्ट्र । यह साफ़ है कि भारत के लोगों के महान धर्म उनके लिए काफ़ी हैं । भारत को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है ।'' और उसके बाद वे भारत के धर्मों की सूची देते हैं । ''ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के अलावा, हिन्दू धर्म और उसकी शाखाएं, इस्लाम और पारसी धर्म भारत के ज़िन्दा धर्म हैं ।''

(सा॰ 'समाचार सफ़र', अगस्त 2011)

मूर्तिपूजा से परतंत्रता

❖ लालचंद चौहान

मूर्तिपूजा से देश को परतंत्रता मिली । आक्रमण देश पर क्यों हुए ? विदेशियों ने देखा कि यहां के लोग पत्थर पूजा में विश्वास रखते हैं और इन मूर्तियों को भगवान मानकर अथाह धन यहां दान के रूप में दे जाते हैं । वह धन सोने-चांदी नक़दी के रूप में इन मंदिरों में जमा है । सोमनाथ के मंदिर की घटना शायद किसी से छुपी नहीं है । महर्षि दयानन्द ने वास्तविक स्थिति का अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में कुछ संक्षिप्त से वर्णन किया है । देश को इन पाखंडी पुजारी, पंडितों ने लुटवाया और लोगों को पुरुषार्थ के स्थान पर निकम्मा बना दिया कि पत्थर के भगवान आपकी सब इच्छाएं पूरी करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे । किसको समझाएं इतना अंधविश्वास, पाखंड बढ़ गया कि जिसके कारण अपराध पर अपराध हो रहे हैं । कारण प्रतिमाओं की पूजा । उनको यह विश्वास इन पंडे-पुजारियों ने करा दिया है कि ईश्वर ये पत्थर की मूर्तियां ही हैं । इनके आगे मत्था टेको, सब कुछ ठीक हो जाएगा । आपके पाप मत्था टेकने से ख़त्म हो जाएंगे ।

मत्था टेकने का मूर्तियों के आगे असर क्या हुआ, मत्थे में बुद्धि ही नहीं रही, जो ठीक ग़लत का विचार करती है । सोचो ! जब बुद्धि ही नहीं रही तो वह ठीक-ग़लत, अच्छे-बुरे का निर्णय कैसे कर पाएगा ? बुद्धि तो ईश्वर उसको प्रदान करता है, जो उसकी उपासना करते हैं, ईश्वर के सत्यस्वरूप गुण, कर्म और स्वभाव को जानते हैं ।

(सा॰ : 'आर्य प्रतिनिधि', 7 जून 2012 रोहतक)

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)

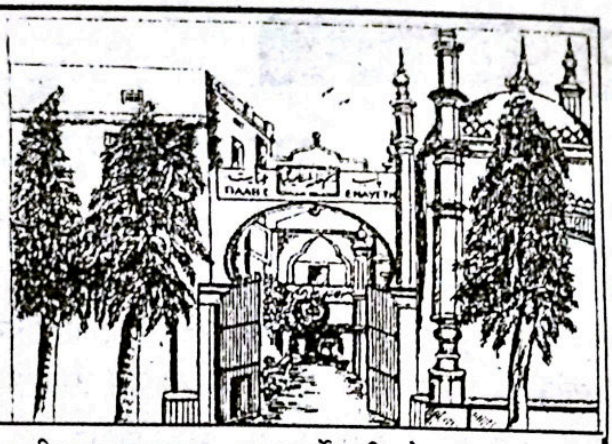

एक परिचय

● दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला ● 95 वर्षों की सेवाएं ● बहुत से विभाग ● शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक ● हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट ● पत्राचार शिक्षा 2012-2013 के सत्र के लिए 11वीं, 12वीं और बी०ए० और लाइब्रेरी साइंस (BLIS) में प्रवेश जारी ● कंप्यूटर की भी शिक्षा ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 12000/- रुपये प्रति वर्ष ● कुल वार्षिक ख़र्च 16 लाख से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● 125 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

● जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें-उदाहरण के लिए ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● क़ुरबानी की खाल ● एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

● याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप खुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

इनायत पोलिटेक्निक (ENAYETH POLYTECHNIC) की इमारत के निर्माण का काम जोरो शोर से जारी है।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK CODE NO. UBININBBJAM,

UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

में अपनी रक़म भेज सकते हैं

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें-THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKIN G A/C NO.: 300402010010581, ☎ 0631-2734428 ● Mobile : 9955655960

E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

अध्यक्ष : डॉ० फ़रासत हुसैन **एज़ाज़ी नाज़िम : डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल**

तलाक़ का क़ानून–एक अध्ययन

❖ मौलाना अक़ीदतुल्लाह क़ासिमी

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वकीलों और विद्वानों को इकट्ठा किया, उनके सामने इस्लामी शिक्षाओं और आदेशों व निर्देशों की व्याख्या की, अपना दृष्टिकोण रखा कि इन लाइनों पर लोगों की रहनुमाई करें। सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े एडवोकेट ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा "मौलाना ! आप लोग कैसी बातें करते हैं ? आपकी बतायी हुई व्याख्या के नतीजे में कोर्टों में तलाक़ के केसों के जो ढ़ेर लगे हुए हैं, क्या आपको उनके बारे में मालूम है ? इन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश कीजिए।

मैं वकील साहब के बराबर में बैठा था, धीरे से पूछा, वकील साहब ! कोर्टों में तलाक़ के केसों के ढेर किन लोगों के हैं ? वह इस्लाम के अनुयायियों के के हैं या इस्लाम को न मानने वालों के ? वकील साहब के दिमाग़ को एक झटका लगा, देर तक आकाश में तकते और सोचते रहने के बाद बोले, "वह तो सब ग़ैर-मुस्लिमों के ही केस होते हैं। तो फिर उन केसों का समाधान निकालने की ज़िम्मेदारी किसकी होगी ? मौलानाओं की या कोर्टों और क़ानूनों की ?

मुसलमानों को तलाक़ के लिए कोर्ट सिस्टम की भूल-भुलइयों और उलझे हुए व परेशान करने वाले रास्तों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, उनके ख़िलाफ़ तो यही प्रष्प्रचार है कि खड़े-खड़े तलाक़-तलाक़-तलाक़ कह देते हैं और महिलाओं की ज़िन्दगी बरबाद कर देते हैं, उन पर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़ देते हैं।

यह सच है कि कुछ नासमझ लोग इस्लाम की शिक्षाओं का न जानने के कारण ग़लत तरीक़ा अपना लेते हैं, जो इस्लाम विरोधियों को ग़लत प्रोपगैंडे का मौक़ा देते हैं और महिलाओं के साथ अपनी भी ज़िन्दगियां बरबाद कर देते हैं। खुद अपने ऊपर भी ज़ुल्म करते हैं और क्रोध की आग में जलकर घर व परिवार को बरबाद कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए इस्लाम या मौलवी ज़िम्मेदार नहीं। ऐसे लोगों का इस्लाम की शिक्षाओं, आदेशों व निर्देशों को न जानना और उन पर अमल न करना ज़िम्मेदार है। इसके बावजूद अगर ईमानदारी से देखा जाए तो मुसलमानों में तलाक़ का प्रतिशत दूसरों से बहुत कम है और दहेज के नाम पर होने वाली मौतों की दर तो न होने के बराबर है।

24 जून 2010 को केन्द्रीय क़ानून व न्याय मंत्री वीरप्पा मोइली ने संसद में हिन्दू मैरेज एक्ट में संशोधन का बिल पेश किया था। उस दिन सरकार ने पहली बार तलाक़ से संबंधित मुक़दमों के आंकड़े पेश किये और बताया कि इस समय 55 हज़ार जोड़े तलाक़ से संबंधित फ़ैसलों के इन्तिज़ार में परेशान फिर रहे हैं। इसके अलावा हर साल 7,500 केस मुंबई में 9 हज़ार दिल्ली में और 3 हज़ार बंगलूरू में दायर किये जाते हैं।

उन्होंने तलाक़ के लिए परेशान जोड़ों की समस्या का जल्द समाधान के तरीक़े बयान किये और दावे किये कि हिन्दू मैरेज एक्ट 1955 और स्पेशल मैरेज एक्ट 1954 में संसद द्वारा संशोधन कर दिये जाने के बाद केस 15 दिन के अन्दर तय हो जाया करेंगे। उन्होंने वादा किया कि हम फ़ैमिली कोर्ट्स की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि तलाक़ के केसों का ढेर ख़त्म किया जा सके।

उन्होंने कहा कि संशोधन के बाद तलाक़ के तमाम केसों को जो तीन साल से ज़्यादा मुद्दत से लटके हुए हैं, सबसे पहले तय किया जाएगा। फैमिली कोर्टों को टार्गेट दिया जाएगा कि तलाक़ और बच्चों को रखने से संबंधित केसों को दायर होने के बाद एक साल के अन्दर तय कर दिया जाए। लॉ कमीशन महसूस करता है कि ऐसे लोगों को शादी के बंधन में ज़बरदस्ती बांध कर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है जो शांति के साथ मिलकर नहीं रह सकते हों, जबकि एक ताज़ा सर्वे में पाया गया कि जिन लोगों की तलाक़ हो चुकी है वे जल्द से जल्द नयी ज़िन्दगी शुरू करने के लिए तैयार हैं।

दावे तो दावे हैं, इन दावों से कब समस्याओं का समाधान होता है। ज़िन्दगी गुज़ारने के बुनियादी अधिकार को ग़लत तरीक़े से क़ानून बनाकर छीन लिया गया है।

ज़िन्दगियां बरबाद कर दी गयी है और की जा रही है और अल्लाह जाने कब तक बरबाद को जाती रहेंगी ।

एक जोड़े को शादी के एक साल बाद ही रिश्ता ख़त्म करने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा । निबाह की कोई सूरत नहीं थी । बात अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से परेशानी की पैदा हो गयी । अपने-अपने चैन की नहीं दूसरे को परेशान करने के तरीक़े ढूंढ़े जाते । निचली कोर्ट से हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गये, खुद तो परेशान थे ही, दूसरे को चैन का सांस लेते देखना भी गवारा न था । कोर्ट सिस्टम की उलझनें, वकीलों के दांव-पेंच, बदले की भावना और दूसरे को नीचा दिखाने की कार्रवाइयों का न रुकने वाला सिलसिला था । 26 वर्षों के बाद तलाक़ का फ़ैसला हुआ । अगर 25-26 साल की उम्र में शादी हुई होगी तो एक वर्ष का दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के बाद अब 53-54 साल की आयु में क्या मिला ? इस क़ानून या कोर्ट सिस्टम ने कौन-सी राहत पहुंचायी ?

इस्लामी व्यवस्था का दुरुपयोग करने वालों की वजह से इस्लाम पर कटाक्ष करने और मुसलमानों को ताने देने वालों को अपनी आंखों के शहतीर परेशान करते हैं, मगर सच्चाई को स्वीकार करने और सीधा रास्ता अपनाने को फिर भी तैयार नहीं होते ।

राज्यसभा में संशोधन बिल पेश किया गया । हिन्दू धर्म में तलाक़ की सोच नहीं है, 1954 में स्पेशल मैरेज एक्ट और 1955 में हिन्दू मैरेज एक्ट बना । ख़ूब शोर मचा, हंगामा हुआ, मौलिक अधिकार को ग़लत तरीक़े से और ज़बरदस्ती छीनने वालों ने धर्म नष्ट करने, उसमें दख़ल देने का शोर मचा कर आसमान सिर पर उठा लिया । एक्ट बने और ज़िन्दगियों के बरबाद होने का सिलसिला चलता रहा बल्कि और ज़्यादा तेज़ हो गया । कई पीढ़ियों की बरबादी के बाद संशोधन की सूझी, मगर इस्लाम विरोधी ईर्ष्या की आग में ऐसे जलते हैं कि इस रास्ते से अपना भला भी गवारा नहीं कर पाते । एक बार फिर हंगामा हुआ, संशोधन बिल पास न होने दिया । संसद की स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया गया । बिल दोबारा तैयार किया गया है । 22 मार्च 2012 को उसे कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी । देखिए पार्लियामेंट से कब पास होता और कब क़ानून बनता है ।

वर्तमान क़ानून के तहत केवल तीन सूरतों में दूसरे व्यक्ति की ओर से व्यभिचार, यातनाएं देने और छोड़कर चले जाने पर तलाक़ के लिए केस दर्ज किया जा सकता है । नया संशोधन कोर्ट को यह इख़्तियार भी देगा कि अगर दोनों पार्टी तीन वर्ष से ज़्यादा अवधि से एक-दूसरे से अलग रह रहे हों और निबाह का कोई रास्ता न हो तो वह इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए अपील करने की आज्ञा दे दे । फिर भी तलाक़ के लिए महिला की रज़ामन्दी को अनिवार्य किया गया है ।

हालांकि देश के कोर्ट सिस्टम में बदले की भावना का जो सिलसिला चल रहा है, उसके तहत सिर्फ़ ज़िद की बुनियाद पर दोनों एक साथ रज़ामन्दी से बचेंगे कि अपने साथ दूसरे को परेशान करने की रीत बहुत मज़बूत पायी जाती है कि प्रत्येक दूसरे की ग़लती बताता है । जानता है कि निबाह असंभव है मगर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उसके विरुद्ध ही विचार पेश करता चला जाता है ।

कोर्ट ज़्यादती और यातना के अर्थ में भी विस्तार कर चुके हैं जिसमें यौन संबंध स्थापित न करने, गाली-गलौच, पति के साथ न रहने, यहां तक कि पति के लिए खाना न बनाने आदि तमाम बातों को शामिल कर चुके हैं । सुप्रीम कोर्ट 2006 में एक ऐसी शादी को ख़त्म कर चुका है जिसमें निबाह का कोई रास्ता नज़र नहीं आता था । इस उद्देश्य से कोर्ट ने क़ानून की सीमा से आगे जाकर अनुच्छेद 142 के तहत अपना विशेष अधिकार इस्तेमाल किया था ।

दुनिया भर में फूल

सच का एक समन्दर देख
आकर मन के अन्दर देख

दुनिया भर में फूल खिलें
ऐसे प्यारे मंज़र देख

तू कि इतना जोश न रख
होश भी अपने अन्दर देख

शीश महल तो टूटेंगे
राजाओं के खंडर देख

दुश्मन दुश्मन शोर न कर
पहले अपने अन्दर देख

आग लगाने वाले सुन
अपनी आग बुझाकर देख ।

अहद प्रकाश
भोपाल (म०प्र०)

टीपू सुल्तान और औरंगज़ेब मूर्ति भंजक नहीं थे

■ ख़ुर्शीद मुस्तफ़ा रिज़वी

टीपू सुल्तान के बारे में अगर ऐसी घटनाएं बयान की जाएं अलग से एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा । संक्षेप में यह कि अपने ही असंख्य मंदिरों को बड़ी-बड़ी जायदादें प्रदान कीं । मैसूर गज़ेटियर के एडीटर प्रो॰ श्रीकांतिया ने 156 मंदिरों की सूची तैयार की थी, जिन्हें टीपू सुल्तान अनुदान देता था । उसके तीस पत्र आज भी संग्रहालय में मौजूद हैं, जो उसने श्रंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य को लिखे । वह रोज़ाना सुबह को नाश्ते से पहले श्रीरंगनाथ मंदिर के प्रबंध की देखभाल के लिए जाया करता था, जैसा कि पहले से मैसूर के शासकों की परंपरा थी । यह मंदिर श्रंगापट्टनम में टीपू सुल्तान के क़िले के भीतर ही मौजूद था, अब भी है ।

मि॰ रमाश्याम सुन्दर ने एक आलेख में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने ब्राह्मणों और पुजारियों को धन-राशि, अन्न और हाथी आदि प्रदान किये ।

(हिन्दुस्तान टाइम्स, 16 नवम्बर 1985)

चेना पटना मंदिर के महंत को भी बेशुमार उपहार आदि दिये । रायाकढाई मंदिर के स्थायी रूप से ख़र्च निर्धारित कर उन्हें प्रदान किया । इसी तरह निरासमा मंदिर, गंगाधालेश्वर मंदिर और मालाबार में मंदिरों के ख़र्चे निर्धारित किये और उन्हें लगातार अदा किया । गोपो मंदिर की तामीर के लिए दस हज़ार हन (तत्कालीन मुद्रा) दिये और मंदिर का निर्माण पूर्ण होने पर उसके निर्माण समापन समारोह में शरीक हुआ । (हिन्दुस्तान टाइम्स, 5 मई 1990)

गांधी जी की राय

गांधी जी ने अपने अख़बार यंग इंडिया (23 जनवरी 1930) में टीपू सुल्तान के बारे में लिखा है–'फ़तह अली टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ इतिहासकारों ने एक ऐसे ज़ालिम धार्मिक शासक के रूप में दिखाया है, जिसने हिन्दुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया, लेकिन वह ऐसा हरगिज़ नहीं था । अपनी हिन्दू पूजा से उसके बहुत मधुर और अंतरंग संबंध थे । मैसूर के पुरातत्व विभाग में उसके तीस पत्र सुरक्षित हैं, जो श्रंगेरी मठ के शंकराचार्य को लिखे गये ।'

बनारस का विश्वनाथ मंदिर

जो औरंगज़ेब अपने फ़रमानों में स्पष्ट कर रहा है कि शरीअत के अनुसार मंदिरों को ढाना मना है, वह धार्मिक विद्वेष के कारण किस तरह मंदिरों को ढा सकता है । इस तरह की जो कुछ घटनाएं हैं, उनकी पृष्ठभूमि में कोई न कोई कारक है । बनारस के विश्वनाथ मंदिर को ढाने की वजह मि॰ विशम्भरनाथ पांडे ने प्रमाणित हवालों से बयान करते हुए बताया है कि औरंगज़ेब बंगाल जाने के लिए बनारस से गुज़र रहा था । उसके क़ाफ़िले के हिन्दू राजाओं ने उससे दरख़्वास्त की कि अगर बनारस में एक दिन पड़ाव कर लिया जाए तो उनकी रानियां बनारस में गंगा स्नान करना और विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करना चाहती है । औरंगज़ेब ने यह प्रस्ताव फ़ौरन स्वीकार कर लिया । रानियों ने स्नान किया, मंदिर भी गयी । लेकिन एक रानी मंदिर से वापस नहीं लौटी । औरंगज़ेब ने अपने बड़े अधिकारियों को रानी की खोज में लगाया । उन्होंने पाया कि दीवार में लगी हुई मूर्ति के पीछे एक ख़ुफ़िया रास्ता है और मूर्ति हटाने पर यह रास्ता एक तहख़ाने में जाता है । उन्होंने तहख़ाने के अन्दर जाकर देखा कि यहां रानी मौजूद है, जिसकी इज़्ज़त लूटी गयी और वह चिल्ला रही थी । यह तहख़ाना मूर्ति के ठीक नीचे बना हुआ था । राजाओं ने सख़्त कार्रवाई की मांग की । औरंगज़ेब ने हुक्म दिया कि चूंकि इस पावन-स्थल की अवमानना की गयी है, इसलिए विश्वनाथ की मूर्ति यहां से हटा कर कहीं और रख दी जाए और दोषी महंत को गिरफ़्तार करके सख़्त सज़ा दी जाए । यह थी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने की पृष्ठभूमि, जिसे डॉ॰ पट्टाभि सीतारमैया ने अपनी पुस्तक Feathers and the stones में भी लिखा है और पटना म्यूज़ियम के पूर्व क्योरेटर डॉ॰ पी॰एल॰ गुप्ता ने इसकी तस्दीक़ की है ।

मस्जिद भी ढाई गयी

गोलकुंडा के शासक ने बादशाह को ख़िराज देना बन्द कर दिया था और मांग करोड़ों रुपयों तक जा पहुंची । हठी शासक ने अपना ख़ज़ाना ज़मीन में दबा कर उस पर मस्जिद की तामीर करा दी । औरंगज़ेब को जब यह मालूम हुआ तो उसने मस्जिदों को गिरवा कर ख़ज़ाना निकलवाया उसे शाही ख़ज़ाने में जमा करा दिया जो जन-साधारण के कल्याणार्थ ख़र्च हुआ ।

Md. Rashid
9835125717

N. S. ENCLAVE

Masud Ahmad
9431107797

आप मकान,
दुकान, कोठी,
रिहाइशी मकान एवं
सस्ते और सुन्दर
प्लाट एवं फ्लैट
के लिए
संपर्क करें।



साथ में
बी॰ एड॰ कॉलेज
एवं
इंजीनियरिंग कॉलेज
की भी सुविधा
उपलब्ध है।

साथ में मस्जिद एवं क़ब्रिस्तान भी है।

नग़मा ड्रेसेज

हमारे यहां फैंसी साड़ियां, रेडिमेड ड्रेस, टी शर्ट,
बाबा सूट, फ्रॉक, मिडी, नाइटी, स्कूल ड्रेस,
जींस पैंट एवं फैंसी रेडिमेड होजरी वस्त्रों के लिए पधारें।

OFFICE CONTACT : NAGMA DRESSES
Booti Chowk, Dubey Market, Ranchi (Jharkhand)

CONTACT No. 2 Masud Ahmad, Hamid Book Depot,
Opp. Urdu Library,
Main Road, Ranchi-834001 (Jharkhand)

Mobile : 09431107797

पूजते हैं देवी, मारते हैं बेटियां

❖ अमित कुमार लाडी

यूं तो आज हर कोई बेटा-बेटी को बराबर का दर्जा देने की बात कहता है, लेकिन हक़ीक़त में ऐसा नहीं है । यह सब बातें तब खोखली साबित होती हैं, जब किसी के घर में बेटी का जन्म होता है । बेटी का जन्म होने के बाद घर के सदस्यों के चेहरे जिस तरह लटक जाते हैं, उससे साफ़ ज़ाहिर हो जाता है कि बेटा-बेटी को बराबर समझने के दावे केवल लोगों के बीच डींग हांकने के लिए ही होते हैं । ''बेटा-बेटी एक समान'' के नारों के बावजूद लोगों की सोच अभी बदली नहीं है । आंखें खोलने से पहले ही नवजात बच्चियों को उपेक्षा सहनी पड़ती है । जैसे-जैसे बेटी बड़ी होती है, उसको यह समझाया जाता है कि यह घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें पराये घर में जाना है । इस तरह की बातें लड़कियों में हीनभावना पैदा करती हैं और वह उपेक्षा को अपना नसीब समझ लेती हैं । वह अपने भाई के मुक़ाबले कम मिलने वाली सुविधाएं और मान-सम्मान को अपना नसीब समझ कर सहन क़रने लगती हैं । पता नहीं क्यों, हमारा समाज लड़कियों को बोझ समझता है ?! हर मां-बाप का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह अपनी बेटी को किसी भी मायने में कम न समझें और उसका लालन-पालन उसी तरह करें जैसा कि वह अपने बेटे का करते हैं ।

ग़ौरतलब है कि प्राचीनकाल से ही लोग बेटियों को बोझ समझते आये हैं । आश्चर्यजनक बात यह है कि बेटियों को गर्भ में मारने में समाज का वह तबक़ा सबसे आगे है जो अपने आपको शिक्षित कहता है । ग़रीब और अनपढ़ लोग भ्रूण हत्या के पाप में उतने लिप्त नहीं रहते हैं जितने कि पढ़े-लिखे लोग । इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या के मामले में महिलाओं की सहमति भी दुखद है और पिता की संतुष्टी भी मायने रखती है । कहते हैं कि पिता बनना एक बड़ी बात है और अधिकतर पिताओं का मन तब तक राज़ी ही नहीं होता, जब तक पुत्र प्राप्त नहीं हो जाता । पुत्रियों के पिता का मन मुर्झाया-सा रहता है । ऐसा नहीं कि सारे पिता ऐसे हों, लेकिन ऐसे पिता लाखों में एकाध ही होते हैं जो अपनी पुत्रियों से भी उतने ही संतुष्ट रहते हैं जितना पुत्रों से ।

एक तरफ़ मर्द केवल पुत्र का पिता बनने में गर्व महसूस करते हैं और दूसरी तरफ़ महिलाएं इस मामले में अपने पति का भरपूर साथ देती हैं । चाहे दिल से दें या फिर किसी मजबूरी में । मर्द प्रधान समाज का जुनून आज भी लड़कियों को कोख में दफ़्न करवा रहा है । हमें यह समझ लेना चाहिए कि कन्या भ्रूण हत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है । यह एक ग़ैर-क़ानूनी सिलसिला है जो तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है । भारत में प्रतिवर्ष 70 लाख से ज़्यादा गर्भपात अवैध रूप से हो रहे हैं । एक करोड़ बीस लाख जन्म लेने वाली कन्याओं में से 30 लाख कन्याओं को जन्म लेने से पहले ही मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है ।

ग़ौरतलब है कि मादा भ्रूण हत्या के मामले में पंजाब अव्वल है । प्रदेश में लड़कियों की जन्म दर घटती जा रही है । यदि यही स्थिति रही, तो सन 2014 तक देश में चार करोड़ 30 लाख लड़कों को विवाह के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी । उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आज के विज्ञान के इस युग में बेशक साइंस ने काफ़ी तरक़्क़ी कर ली है, लेकिन हमारे समाज में लड़कियों के मुक़ाबले लड़कों को ही अच्छा माना जा रहा है ।

आज लड़कियां लड़कों के मुक़ाबले हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, लेकिन समाज की तरफ़ से लड़कियों के प्रति नज़रिया अभी ख़ास बदला नहीं है । भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार की ओर से सख़्त हिदायतें भी जारी हैं कि लिंग निर्धारण टेस्ट न किये जाएं और यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे जेल की क़ैद और जुर्माना भी हो सकता है, लेकिन ऐसा सब कुछ होने के बाद भी लड़कियों के प्रति रवैये में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है ।

देखा जाए तो प्राइवेट अस्पतालों में लिंग टेस्ट के लिए सिर्फ़ बोर्ड ही लगे हैं, लिंग टेस्ट बंद नहीं हुए बल्कि उनके रेट बढ़ गये हैं । दुर्भाग्य से अभी भी बहुत से प्राइवेट

अस्पतालों में भ्रूण हत्या लगातार हो रही है । इस धंधे में मुनाफ़ा ही मुनाफ़ा है और इस मुनाफ़े को देखते हुए पिछले कुछ सालों में इस तरह का परीक्षण करने वाले क्लीनिकों की संख्या काफ़ी बढ़ गयी है । लुक-छिपकर इन क्लीनिकों द्वारा गर्भ की जांच की जा रही है । देश का क़ानून एक अंधा औज़ार बनकर रह गया है ।

यह भी हैरत की बात है कि अभी तक हमारे परिवारों में आशीर्वाद नहीं बदले हैं । घर की बहू को यही आशीर्वाद दिया जाता है कि तुम दूधो नहाओ, पूतो फलो, भगवान तुम्हें चांद-सा बेटा दे, हमें पोते का मुंह कब दिखा रही हो । क्या कभी किसी ने यह कहते सुना है कि हमें पोती का मुंह कब दिखाओगी, भगवान तुम्हें चांद-सी पोती दे । इसका कारण यही है कि बेटियों के विषय में हमारी सामाजिक धारणाएं नहीं बदली हैं । बेटियों को आज भी एक बोझ व पराया धन ही समझा जाता है । बेटियों के जन्म लेने से पहले ही उन्हें मां के गर्भ में मार दिया जाता है ।

सन 1984 में यह क़ानून बनाया गया था कि मां के गर्भ में पलने वाले बच्चे के लिंग को जानना यानी यह पता करना कि वह बेटा है या बेटी, ग़ैर-क़ानूनी है । लेकिन लोग सरेआम अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवा कर बेटियों का गर्भपात करवा रहे हैं । यह सभी जानते हैं कि पंजाब में मादा भ्रूणहत्या काफ़ी वर्षों से हो रही है, लेकिन आज तक कोई भी डॉक्टर गिरफ़्तार हुआ हो और उसे सज़ा हुई हो, ऐसा एक भी उदाहरण संभवत: हमारे सामने नहीं है । इसलिए एक तो भ्रूण हत्या संबंधी क़ानूनों को सख़्त बनाने की ज़रूरत है । दूसरी ज़रूरत लोगों में सामाजिक चेतना, सामाजिक बराबरी और मानसिक विकास की है ।

बड़े शर्म की बात है कि जिस समाज में लक्ष्मी पूजी जाती है, वहां पर लड़कियां जन्म के पहले ही मार दी जाती हैं । अल्ट्रासाउंड के ज़रिये यह जान लिया जाता है कि कोख में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की । लड़की होने पर उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है । भारतीय चिकित्सा संघ (आई०एम०ए०) का कहना है कि भ्रूण हत्याओं के पीछे जिहालत, दिमाग़ी दिवालियापन, ग़रीबी और बेकारी को कारण माना जा सकता है । इस वजह से लिंग अनुपात तेज़ी से गड़बड़ाता जा रहा है । वैसे तो सरकार इस अपराध को नियंत्रित करने के लिए कुकुरमुत्तों की तरह उग आये अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों पर धड़ल्ले से छापे मारने की कार्रवाई कर रही है परन्तु फिर भी भ्रूण हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी ही है । ध्यान देने योग्य बात यह है कि पुलिस और सेहत विभाग द्वारा भ्रूण हत्या के ख़िलाफ़ बने क़ानून के उल्लंघन के महज़ कुछ मामले ही दर्ज किये जाते हैं जबकि स्थिति तो बेहद गंभीर है । आये दिन अख़बारों में पढ़ने को मिलता है कि फ़लां जगह भ्रूण मिला, यह पढ़कर दिल को बहुत ठेस पहुंचती है । हर लड़की बेटी, बहन, मां और पत्नी के रूप में बेहद आदरणीय है । मैं 'कान्ति' के माध्यम से लोगों को यह कहना चाहता हूं कि वे लड़की को जन्म दें, क्योंकि आप ही की तरह उसे भी जीने का पूरा अधिकार है । लड़कियां किसी भी मायने में लड़कों से कम नहीं है । वे भी लड़कों की तरह बुढ़ापे में मां-बाप का सहारा बन सकती है ।

लड़की के जन्म पर मुंह लटकाना, लड़कों की अपेक्षा उन्हें दूसरे दर्जे का मानकर उसके पालन-पोषण में भेदभाव रखना, लड़की को अभिशाप समझना और लड़के को बेयरर चेक समझना कहां की बुद्धिमत्ता है । माना कि दहेज रूपी दानव इसके लिए ज़िम्मेदार है तो उसके जनक भी तो हम ही हैं । यह शाश्वत सत्य है कि जब तक दहेज हत्याएं होती रहेंगी तब तक देश, समाज एवं परिवार भी सुखी नहीं रह सकेंगे । दरअस्ल, हम यह तो मानते हैं कि रिश्ते ऊपर वाला बनाता है, फिर स्वार्थवश ईश्वर के बनाए रिश्तों में मानवीय हस्तक्षेप क्यों किया जाता है ? उल्लेखनीय है कि देश के आठ राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव तथा लक्षद्वीप दहेज रूपी दानव के आतंक से पूर्णतया मुक्त हैं । तो क्या वहां इन्सान नहीं रहते ? समय की पुकार यही है कि अब हमें भी बदलना होगा । नारी तो सृजन शक्ति व प्रकृति का प्रतीक है । नारी के बिना पुरुष का अस्तित्व अधूरा है । नारी, कितने ही रिश्तों को एक साथ त्याग, संयम, प्यार, ममता, सहनशीलता से निभाने में सक्षम है । लिहाज़ा माता-पिता को चाहिए कि वे लड़की के जन्म पर मन में उदासी न लाकर उसकी भी स्वागत करें, ताकि वह स्वयं सुखी हों और समाज को सुख और संपन्नता से संवारें ।

लोगों का हाल बुरा है 'लाडी'
पूजते हैं देवी, मारते हैं बेटियां ।
अमृता, कल्पना, इंदिरा
अब कैसे जन्म लेंगी ?

मनुष्यता के साथ विश्वासघात

■ मुद्राराक्षस

अभी बजरंग दल के एक नेता ने अपने भाषण में कहा कि औरंगज़ेब संस्कृत के किसी ग्रंथ को देखते ही उसे जलवा देता था। दुख होता है कि हिन्दी क्षेत्र के इस तरह के नेता अपने देश के इतिहास को नहीं पढ़ते। इतिहास की घटनाओं को नितांत काल्पनिक शायद इसलिए बनाकर देखा जाता है कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर अपने संगठन की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा सके। औरंगज़ेब ख़ासतौर से निशाना बनाया जाता है ताकि उसके बहाने मुसलमान को लांछित किया जा सके। इसी क्रम में एक मुसलमान सेनापति का भी उदाहरण दिया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने बिहार के बौद्ध शिक्षा संस्थानों को जलवा दिया था, हालांकि वे यह भूल गये कि बोधि वृक्ष को जिस शशांक ने कटवा कर जलवाया था, वह मुसलमान नहीं था। बोध गया के जिस मंदिर पर बौद्ध विरोधी समाज ने आज भी क़ब्ज़ा कर रखा है, वे भी मुसलमान नहीं हैं।

विनय कटियार को औरंगज़ेब संबंधी बयान देने के पहले साहित्याचार्य जितेन्द्र चन्द्र भारतीय शास्त्री जैसे अनेक ब्राह्मण काव्यशास्त्रियों द्वारा लिखे संस्कृत साहित्य ग्रंथ पढ़ लेने चाहिए थे। 17वीं सदी के सबसे बड़े संस्कृत काव्यशास्त्री पंडितराज जगन्नाथ औरंगज़ेब के दरबारी थे। वहीं उन्होंने पीयूष लहरी, गंगा लहरी, अमृत लहरी, करुणा लहरी, लक्ष्मी लहरी, प्राणाभरण चित्र, मीमांसा खंडन जैसे मीमांसा ग्रंथों के अलावा विख्यात काव्य सिद्धांत ग्रंथ 'रसगंगाधर' लिखा था। उसने इन्हें संस्कृत में लिखा था और औरंगज़ेब इन ग्रंथों से खुश था। उसने इन्हें जलवाया नहीं। पंडितराज जगन्नाथ ने औरंगज़ेब के आश्रय में रहते हुए उसी की बहन से शादी की, जिसका नाम उन्होंने तन्वगी रखा था और उस पर संस्कृत में ही कविता लिखी थी–लवंगी कुरंगी दृगांगी करोनु। ज़ाहिर है अपनी बहन की शादी संस्कृत काव्यशास्त्री से पसन्द की होगी।

औरंगज़ेब वह अकेला बादशाह था जो अपने भरण-पोषण के लिए राजकोष से एक पैसा नहीं लेता था। वह अपने द्वारा सिली टोपियां बेचकर ही काम चलाता था। यह सच है कि एक दिन रोटियां बनाते हुए उसकी बेगम का हाथ जला तो किसी रसोइये की मांग पर औरंगज़ेब ने इतने पैसे न होने के कारण इन्कार कर दिया था। जहां तक सवाल उसकी निरंकुशता का है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान के रजवाड़ों का अत्याचारी चरित्र क्या था, जिन्होंने पन्नाधाई जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को अंजाम दिया था। औरंगज़ेब ने कोई हिन्दू मंदिर को तोड़ा, लेकिन हर्षवर्धन ने तो कई हिन्दू मंदिर तोड़े और लूटे थे।

औरंगज़ेब मुस्लिम बादशाह था, लेकिन सिर्फ़ उसके मुसलमान होने के कारण ही उस पर ग़लत आरोप लगाना दुनिया की मनुष्यता के साथ विश्वासघात है। औरंगज़ेब के विरुद्ध शिवाजी ने जुझारू संघर्ष किया था। उसने एक बड़े सेनापति शाइस्ता ख़ां को मार डाला था और बड़े शहर सूरत को लूट लिया था। इसके बावजूद औरंगज़ेब ने शिवाजी को अपने दरबार में मंसबदारी देने का वादा किया था, जिसे शिवाजी ने स्वीकार भी किया था। भले ही यह शिवाजी की उम्मीद से कम था, लेकिन उनकी अस्वीकृति के बावजूद उसने शिवाजी की हत्या नहीं करायी। राजा मान सिंह जैसे राजपूत उसकी सेना में थे।

इस्लाम की परंपरा के अनुसार वह दरबार में भी शाही पोशाक नहीं पहनता था, क्योंकि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) भी कभी कोई शाही पोशाक नहीं पहनते थे। इतिहास में दर्ज यह तथ्य क्यों भुला दिया जाता है कि उसने हिन्दू मंदिरों को ज़मीनें दान की थी, जिसके दस्तावेज़ आज भी देखे जा सकते हैं। उसने वाराणसी के जिस मंदिर को तुड़वाया था, उसकी वजह धार्मिक नहीं। जिन दिनों औरंगज़ेब वाराणसी में था, उससे एक हिन्दू राजा ने ही शिकायत की थी कि मंदिर में पूजा करने गयी उसकी रानी से पुजारियों ने बलात्कार किया। औरंगज़ेब ने पुजारियों को कठोर दंड देने के बाद वह मंदिर इसलिए तुड़वाया कि वह नापाक हो गया था। औरंगज़ेब को हिन्दुओं की नज़र में गिराने के लिए उसकी तस्वीर बड़े पैमाने पर ख़राब की गयी। अगर वह स्वेच्छाचारी था तो अनेक ग़ैर-मुस्लिम राजे-महाराजे भी स्वेच्छाचारी थे। ज़रूरत है इतिहास के प्रति तार्किक दृष्टिकोण की न कि आस्था के अनुसार उसे देखने की।

ہماری بعض اہم کتابوں کا پہلی بار

ہندی ایڈیشن

नमाज़ में आप क्या पढ़ते हैं? ✍मौलाना सय्यद अबुल- आला मौदूदी	[نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟]	12.00
मुस्लिम औरतों की ज़िम्मेदारियाँ ✍मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	[مسلمان خواتین کی ذمے داریاں]	20.00
भारत में इस्लाम की दावत की अहमियत और उसके तक़ाज़े ✍मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	[ہندستان میں اسلام کی دعوت اہمیت اور تقاضے]	14.00
काबा का सफ़र ✍मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	[سوے حرم چلا]	24.00
प्यारे नबी (सल्ल०) की चहेती बेटियाँ ✍फ़ज़्ले-क़दीर नदवी	[رسول اللہؐ کی صاحبزادیاں]	16.00
इस्लाम सफलता का एकमात्र रास्ता ✍मौलाना सय्यद हामिद अली	[اسلام کامیابی کا واحد راستہ]	08.00
इशदूतत्व की धारणा विभिन्न धर्मों में	[مجموعہ مضامین]	20.00
प्यारे नबी (सल्ल०) के चार साथी-3 हज़रत उस्मान ग़नी (रज़ि०) ✍इरफ़ान ख़लीली	[پیارے نبیؐ کے چار یار حضرت عثمان غنیؓ-حصہ سوم]	35.00
प्यारे नबी (सल्ल०) के चार साथी-4 हज़रत अली (रज़ि०) ✍इरफ़ान ख़लीली	[پیارے نبیؐ کے چار یار حضرت علیؓ-حصہ چہارم]	30.00
ईश्वर की रहस्यमय हस्ती ✍मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ	[خدا کی پراسرار ہستی کا تصور]	14.00
हदीस सौरभ (अनुवाद एवं व्याख्या सहित) भाग-2 ✍मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ	[کلام نبوت-جلد دوم]	350.00

MMI PUBLISHERS

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 • Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) • Fax: 26947858 • E-mail:mmipublishers@gmail.com • Website: www.mmipublishers.net

'गॉड पार्टिकल' की खोज अनीश्वरवादियों को चुनौती

● संकलित

स्विट्ज़रलैंड स्थित यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च (सर्न) पर 4 जुलाई 12 को पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थीं । ऐसा होता भी क्यों नहीं, आख़िरकार इसके वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल की खोज से जुड़ी घोषणा जो करने वाले थे। गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसान वह सबएटॉमिक पार्टिकल है जिसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सूत्र माना जा रहा है ।

स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस की सीमा पर स्थित 27 किलोमीटर लंबी एक भूमिगत सुरंग में गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन की खोज के लिए हज़ारों वैज्ञानिकों की टीम वर्ष 2009 से दिन-रात महाप्रयोग में जुटी थी । सर्न की तरफ़ से नये सूक्ष्म कण को खोज लेने की घोषणा करने से पहले इसकी दोनों वैज्ञानिक टीमों एटलस और सी॰एम॰एस॰ ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट के नतीजों को सबके सामने रखा । हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट तौर पर नहीं कहा कि नया सूक्ष्म कण गॉड पार्टिकल ही है या नहीं । लेकिन सर्न ने इस खोज को सिग्मा-5 श्रेणी में स्थान दिया है ।

इसका मतलब है कि नये सूक्ष्म कण की खोज 99. 99997 फ़ीसद सही है । इस खोज को वैज्ञानिकों ने चांद पर मानव के क़दम रखने जैसा अभूतपूर्व क़दम क़रार दिया है । विश्व के सबसे बड़े परमाणु शोध केन्द्र के दलों में से एक सी॰एम॰एस॰ के प्रमुख जोए इनकांडेला ने वैज्ञानिकों से खचाखच भरे सर्न केन्द्र में कहा कि आंकड़े इस खोज के लिए ज़रूरी निश्चितता के स्तर तक पहुंच गये हैं । वहीं एटलस से जुड़े फैबिओला ने भी कहा कि उनकी टीम भी इसी नतीजे पर पहुंची है ।

सर्न की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'नया सूक्ष्म शोध संयंत्र लार्ज हेड्रोन कोलाइडर के 125 और 126 जी॰ई॰वी॰ क्षेत्र में स्थित है । यह एक अद्‌भुत क्षण है । हमने अब तक मिले सभी बोसोन कणों में से सबसे भारी बोसोन को खोज निकाला है ।' सर्न के शोध निदेशक सेर्गियो बर्तालुकी ने हिग्स बोसोन के अस्तित्व की दिशा में प्रबल संकेत मिलने पर गहरी ख़ुशी ज़ाहिर करते हुए कहा कि यह काफ़ी चुनौती भरा था ।

उन्होंने कहा, 'हमने पिछले वर्ष ठान लिया था कि 2012 में या तो हिग्स बोसोन को खोज निकालेंगे अथवा हिग्स थ्योरी को ही ख़ारिज कर देंगे । हम एक अहम पड़ाव पर पहुंच गये हैं और भविष्य में इन आंकड़ों पर और अधिक प्रकाश पड़ने से हमारी समझ में इज़ाफ़ा होगा ।' हिग्स बोसोन पर आये मौजूदा नतीजे वर्ष 2011 के आंकड़ों पर आधारित हैं और इस वर्ष के आंकड़ों पर भी अभी अध्ययन चल रहा है । ब्रह्मांड की संरचना और निर्माण में प्रयुक्त कणों की प्रकृति के अध्ययन के लिए समय-समय पर कई सिद्धांत बनाये गये । इनमें सबसे अधिक प्रचलित और प्रमाणिक सिद्धांत 'बिग बैंग थ्योरी' है । इसने अलग-अलग चरणों में ब्रह्मांड की विकास यात्रा को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है । इस सिद्धांत के अनुसार, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट (बिग बैंग) से हुई और तब से यह लगातार फ़ैलता जा रहा है ।

शुरू में ब्रह्मांड बहुत गर्म था, बाद में धीरे-धीरे यह ठंडा होता गया । महाविस्फोट के साथ उत्पन्न पदार्थ, उसकी संरचना में प्रयुक्त कणों तथा उनके बीच अलग-अलग परिस्थितियों में लगने वाले बलों का अध्ययन मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स का केन्द्र बिंदु है । मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स के अनुसार, पदार्थ क्वार्क और लेटरान (जैसे इलेक्ट्रॉन) कणों से मिल कर बना है । इनके द्रव्यमान के लिए ज़िम्मेदार कण को हिग्स बोसोन (ब्रह्म तत्व) के नाम से जाना जाता है । क्वार्क और लेटरान जैसे आधारभूत कणों के बीच तीन तरह के बल (विद्युत चुंबकीय, कमज़ोर और तीव्र नाभिकीय बला) लगते हैं । क्वार्क और लेटरान सहित

अन्य कणों के लिए हिग्स बोसोन ही ज़िम्मेदार है । पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल में सभी कणों के भार और अन्य गुण विभिन्न प्रयोगों के आधार पर प्रमाणित किये जा चुके हैं । लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल के केन्द्र बिंदु यानी हिग्स बोसोन का अभी तक प्रयोगिक परीक्षण नहीं हो पाया है । यह परीक्षण भौतिकी विज्ञान के लिए एक चुनौती है ।

हिग्स बोसोन की खोज और डार्क मैटर जैसे सवालों के जवाब खोजने के लिए जेनेवा के पास इतिहास में अब तक की सबसे महंगी मशीन लार्ज हेड्रन कोलाइडर (एल॰एच॰सी॰) लगाया गया है । सेंटर फॉर यूरोपियन रिसर्च इन न्यूक्लियर फिजिक्स (सर्न) द्वारा तैयार इस मशीन को बनाने में एक दशक से भी अधिक का समय लगा और करोड़ों रुपये ख़र्च हुए । एल॰एच॰सी॰ मशीन 27 किलोमीटर परिधि वाली एक वृत्ताकार सुरंग में स्थित है जो क़रीब 175 मीटर गहरी है । मशीन में विभिन्न उद्देश्य के लिए अलग-अलग छह डिटेक्टर लगे हैं । इस मशीन में उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन्स (प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं अन्य कणों को हेड्रॉन भी कहा जाता है) से बनी किरण पुंज विपरीत से टकराती हैं । इस टक्कर से अपार ऊर्जा और विभिन्न कण पैदा होते हैं, जो बिग बैंग के समय हुई घटना के समान है । इस महाप्रयोग से हिग्स बोसोन की खोज की प्रबल संभावना जतायी गयी थी । इस प्रयोग से उत्पन्न डेटा के अध्ययन के लिए दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक कंप्यूटर के ज़रिये जुड़े हुए हैं ।

हिग्स बोसोन की खोज न केवल मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स के सबसे प्रचलित मॉडल सिद्धांत 'स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ़ पार्टिकल फिजिक्स' को पूरी तरह सफल और प्रमाणिक साबित करेगी, बल्कि पदार्थ के निर्माण में प्रयुक्त कणों के द्रव्यमान या उनके बीच के द्रव्यमान के अन्तर को भी पारिभाषित कर पाएगी ।

सच यह है कि हिग्स बोसोन को इन प्रयोगों में देखा जाना एक बहुत कठिन एवं जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि हिग्स बोसोन सिर्फ़ एक सेकेंड के मिलियन-मिलियन हिस्से तक ही अपने मूल रूप में रहता है और तुरंत ही अन्य घटक कणों में विलीन हो जाता है । सी॰एम॰एस॰ प्रयोगों में प्रोटॉन-प्रोटॉन (हेड्रॉन-हेड्रॉन) के टकराव से उत्पन्न हिग्स बोसोन एवं इसके क्षय होने की प्रक्रिया एवं इसकी विश्वसनीयता पर कण भौतिकी के वैज्ञानिकों के बीच एक नयी बहस का दौर शुरू होने की भी पूर्ण संभावना बनती जा रही है ।

वैसे यह सच है कि हिग्स बोसोन की खोज ब्रह्मांड में पदार्थ की संरचना एवं उनके बीच लगने वाले विभिन्न बलों की आधुनिक परिकल्पना को आने वाले समय में और समृद्ध करेगी तथा ब्रह्मांड के अन्य अनसुलझे रहस्यों को हल करने में भी मदद करेगी । अभी तक की परिभाषा के हिसाब से देखें तो 'हिग्स बोसोन एक काल्पनिक मूल कण है, जिसकी संभावना पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल के आधार पर व्यक्त की गयी है । यह सूक्ष्म कणों की उस श्रेणी में आता है, जिसे बोसोन कहा जाता है ।' ख़ैर हमें परिभाषा की ज़्यादा चिंता वैसे भी नहीं है । फिर भी यह विचार तो मन में आता ही है कि इसमें आख़िर यह 'बोसोन' क्या है ? यह शब्द हमारा ध्यान इसलिए भी खींचता है, क्योंकि यह हिग्स के तुरंत बाद आता है । मेरे जैसा अज्ञानी आदमी तो सबसे पहले यही पूछेगा कि यह किसी परमाणु जैसा होता है या फिर किसी अणु जैसा ? दरअस्ल, यह परमाणु से भी छोटे दो तरह के कणों में एक प्रकार है । दूसरी तरह के ऐसे कणों को फर्मिऑन कहते हैं, जिनका नाम वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है ।

बोसोन शब्द सुनने में कुछ-कुछ यूरोपीय या जर्मन वंशावली का लगता है । लेकिन हक़ीक़त में बोसोन शब्द भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम से निकला है । कोलकाता के इस वैज्ञानिक को 1924 में यह एहसास हुआ कि गैसों के तापीय व्यवहार के विश्लेषण के लिए 19वीं सदी में जो सांख्यिकीय तरीक़े तय किये गये वे अपर्याप्त हैं । उन्होंने क्वांटम स्टेटिस्टिक्स पर ढाका में शोध पत्र लिखा और एक ब्रिटिश जर्नल को भेज दिया, लेकिन उस ब्रिटिश जर्नल ने इसे छापने से इन्कार कर दिया । उसके बाद बोस ने उस शोध पत्र को सीधे अल्बर्ट आइंस्टीन को भेज दिया । आइंस्टीन ने इसके महत्व को समझा और तुरंत ही इसका अनुवाद करके इसे एक जर्मन जर्नल में छपवा दिया । यहां हम कह सकते हैं कि इस नाम का जर्मन भाषा से कुछ तो जुड़ाव है ही । बोस की इस खोज को बोस-आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है और यह अब क्वांटम मैकेनिक्स का मूल आधार है ।

सच तो यही है कि हम अब भी विज्ञान को पश्चिम का पर्याय ही मानते हैं । ये दो अलग तरह के शब्द हैं, लेकिन इनके अर्थ बहुत दूर तक साथ-साथ जाते हैं । भारत की आख़िरी वैज्ञानिक खोज, जिसे पूरी दुनिया में मान्यता मिली, वह खोज थी शून्य । करोल वॉर्डरमैन का कहना है कि भारतीय एक चीज़ में काफ़ी अच्छे होते हैं और वह है गणित । अकेला आधुनिक भारतीय, जो पश्चिम के इस मिथक पर खरा उतरते हैं, वह हैं श्रीनिवास रामानुजम ।

बुढ़ापा

कितना कष्टदायक होता है
ये कान्तिविहीन बुढ़ापा
अपने-पराये भूल गये
जब आया रोग-ग्रस्त बुढ़ापा

जब तक थी पास काया
सबने साथ था निभाया
जर्जर हुई अब काया
अपनों ने हाथ छुड़ाया

जिसको हाथ थाम चलाया
उसी ने किया आज पराया
वृद्धा अवस्था में सबने
हमें एक बोझ बतलाया

जिनके लिए तिल-तिल
ये जिस्म था जलाया
आज उन्हीं ने हमारा
दिल है जलाया

बुढ़ापे ने मारी जब लात
बच्चों ने छुड़ा लिए हाथ
जब होती है काली रात
कोई नहीं होता साथ

शायद यही नियम है
जो चलता रहता है
कल जो किया था हमने
वो समय आज कहता है

जब था स्वस्थ शरीर
बुढ़ापा न था क़रीब
तो व्यंग्य हम कसते थे
वृद्ध को देखकर हंसते थे

आज हम पर वही बीती
बात पुरानी लौट आयी
जवानी की हमारी छवि
परछायी बनकर सामने आयी

बुढ़ापे की यही निशानी
जर्जर शरीर और आंखों में पानी
इक सहारे की आस
समाप्त न होने वाली तलाश

हंसकर सब सहना होगा
अश्कों को भी पीना होगा
जिये जवानी शान से तो
बुढ़ापा भी जीना होगा ।

दहेज प्रथा

दहेज प्रथा समस्या विकराल
आओ मिटाएं इसे तत्काल

दहेज लोभी बना इन्सान
भूला करना मान-सम्मान

छिनी नारी की मुस्कान
कलंकित हुआ कन्यादान

जेल बन गया ससुराल
नववधू दी आग में डाल

दहेज की काट डालें जड़
संकल्प ले हर नर

नारी की क़ायम रखे मर्यादा
आओ करें मिलकर वादा

दहेज प्रथा समस्या विकराल
आओ मिटाएं इसे तत्काल ।

रामेश्वरी 'नादान'
('एक बार फिर' से)

मदद के लिए अपील

जामिया मिस्बाहुल उलूम चौकोनियां, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जाना-माना तालीमी इदारा है। यह इदारा सिद्धार्थ नगर ज़िला के ग्रामीण क्षेत्र में है। यहां लगभग सभी राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। यह इदारा आधी सदी से तालीम व तर्बियत के मोर्चे पर मुस्लिम समाज की सेवा कर रहा है। यहां प्राइमरी से लेकर आलिमीयत तक की तालीम का पूरा इन्तिज़ाम है। यहां दीनी और अस्री उलूम को एक ख़ास इम्तिज़ाज के साथ समोया गया है, जिसके कारण जामिया को तालीमी मैदान में एक अलग और प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। यहां क़याम और तआम की सारी सहूलतें उपलब्ध हैं। जामिया मिस्बाहुल उलूम की विशेषता तालीम के साथ इस्लामी बुनियादों पर छात्रों की मिसाली तर्बियत करना है।

जामिया के मंसूबे

● मर्कज़ी लाइब्रेरी की तामीर ● जामिया की मस्जिद के अधूरे कामों को पूरा करना ● लड़कियों के लिए अलग दर्सगाह की तामीर ● टेक्निकल सेन्टर का क़याम ● होस्टल की तामीर ● अनाथालय की तामीर ● फैमिली क्वार्टर्स की तामीर

अह्ले ख़ैर हज़रात से दरख़्वास्त है कि जामिया की दिल खोलकर मदद करें और अल्लाह के यहां उसका बदला पाएं।

—: भेजने का पता :—

जामिया मिस्बाहुल उलूम

चौकोनियां भारत भारी, सिद्धार्थनगर-272191

फ़ोन : 09670641947, 09451097177

जामिया का बैंक खाता नं॰

A/c No. 30290663653 S.B.I. डुमरियागंज, कोड-1250

A/c No. F.C.R. CD-149 सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बेवॉ चौराहा

'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' बनी काल

❖ मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'

बहुचर्चित टी॰वी॰ कार्यक्रम 'सत्य मेव जयते'' के एक एपिसोड में दिखाया गया था कि किस तरह आंध्र प्रदेश के एक बड़े गांव में डॉक्टरों ने भय दिखाकर मात्र पैसा बनाने के लिए सभी महिलाओं के गर्भाश्य को ऑपरेशन से निकलवा दिया । इस कार्यक्रम में कई ऐसे गंभीर अपराधों का खुलासा किया गया जो आमतौर पर इलाज के नाम पर पैसा बनाने के लिए लोगों के जीवन के साथ किया जाता है । इसके बाद आमिर ख़ान भ्रष्ट डॉक्टरों के निशाने पर भले ही आ गये लेकिन उन्होंने जो खुलासा किया था उसकी एक कड़ी बिहार में भी मिली । संभव है कि अगर देश भर के पिछड़े क्षेत्रों में जांच करायी जाए तो पूरा माफ़िया सामने आ जाएगा जो अब तक हज़ारों घरों का आंगन सूना कर चुका है ।

बिहार में गर्भाशय निकालने की जो घटना सामने आयी है वह किसी महामारी से कम गंभीर नहीं, लेकिन अफ़सोस की भारतीय लोकतंत्र में ग़रीबों के शोषण-उत्पीड़न पर कम ही आंसू बहते हैं । मीडिया में आयी ख़बरों के अनुसार राज्य में क़रीब 16 हज़ार महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिये गये । यह सब किया गया पैसा बनाने के लिए । नर्सिंग होम और हॉस्पिटल में तो रोज़ सैकड़ों फ़र्ज़ी ऑपरेशन होते ही है । ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह धंधा ज़ोरों पर हैं ।

जो तथ्य सामने आये हैं उनके अनुसार राज्य के ग्यारह ज़िले जिनमें मुख्य रूप से गोपालगंज, मधेपुरा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीवान आते हैं में ग़रीब महिलाओं के फ़र्ज़ी ऑपरेशन किये गये । ज़्यादातर महिलाओं की उम्र 20 से 30 साल है । ऑपरेशन के कारण वे जीवन भर कभी मां नहीं बन पाएंगी और उनका घर बच्चों के बिना सूना रहेगा ।

इस घटना पर राज्य सरकार ने चिंता जतायी है और बड़े डॉक्टरों की निगरानी में एक टीम गठित कर पूरे मामले की जांच कराने का वादा किया है । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि टीम गांव-गांव जाकर पीड़ित महिलाओं से भेंट करेगी और घटना की जानकारी लेगी । राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बी॰पी॰एल॰ परिवारों को मिलने वाली चिकित्सा राशि को हड़पने के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर यह खेल खेला जा रहा है ।

ख़बरों के अनुसार बिहार के समस्तीपुर ज़िले में सबसे अधिक 5048 महिलाओं के गर्भाशय निकाले गये । इसके अलावा बांका ज़िले में 232, गोपालगंज में 1180, जमुई में 1546, लखीसराय में 250, सुपौल में 1040, शेख़पुरा में 621, सीवान में 640, समस्तीपुर में 5048, सारण में 1835, मधेपुरा में 318 और मधुबनी में 3369 महिलाओं के गर्भाशय निकाले गये । इन घटनाओं का खुलासा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के आंकड़ों से हो सका । इसमें 'हिस्टरेक्टोमी अबडोमिनल' या 'हिस्टरेक्टोमी वजाइनल' शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब होता है ऑपरेशन के ज़रिये किसी महिला का गर्भाशय निकालना ।

इस तरह के ऑपरेशन का ख़र्च क़रीब दस हज़ार रुपये तक आता है । राज्य में चल रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बी॰पी॰एल॰ परिवार के पांच सदस्यों को तीस हज़ार रुपये की मुफ़्त चिकित्सा की सुविधा दी गय है । ग़रीब परिवारों के इलाज के लिए राज्य में 829 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है । जब बी॰पी॰एल॰ परिवार के लोग स्मार्ट कार्ड के आधार पर इन अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं तो उनके इलाज का ख़र्च बीमा कंपनी अस्पताल को दे देती है ।

ग़रीबों को इलाज के लिए मिलने वाले इसी तीस हज़ार रुपये पर अस्पताल व बिचौलियों की गिद्ध दृष्टि है । बिचौलिये ग़रीबों को मुफ़्त इलाज का झांसा देकर अस्पताल ले जाते हैं । वहां डॉक्टर फ़र्ज़ी बीमारी बताकर उनके जीवन से खिलवाड़ करते हैं और पैसा बनाते हैं । यही पैसा डकारने के लिए महिलाओं को गर्भाशय का कैंसर या अन्य समस्या बताकर उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है और बीमा कंपनी से पैसा ऐंठ लिया जाता है । छत्तीसगढ़ में भी कई इलाक़ों में गर्भाशय निकाले जाने संबंधी ख़बरे हैं लेकिन राज्य सरकार अभी हाथ पर हाथ धरे बैठी है ।

रमज़ान के रोज़ों की विशिष्टता

❖ हमूदा अब्दलती



इस्लाम की एक अहम बुनियाद और अनोखा नैतिक और आध्यात्मिक गुण 'राज़ा' है । रोज़े का मतलब है, खाने-पीने और संभोग से रुक जाया जाए । यह अमल रमज़ान के पूरे महीने में भोर समय से लेकर सूरज के डूबने तक चलता है । स्पष्ट रहे कि रमज़ान का महीना इस्लामी कैलेंडर की दृष्टि से नवां महीना है ।

जब इस्लाम ने इस अनुपम रोज़े का परिचय कराया, तो उसने मानो एक सर्वोत्कृष्ट विशेषता और अमूल्य गुण के पौध को लगा दिया । इस्लाम में रोज़े का क्या आध्यात्मिक महत्व है, हम यहां उसकी व्याख्या कर रहे हैं–

1. रोज़े से इन्सान निष्ठापूर्ण प्रेम की शिक्षा ग्रहण करता है, इसलिए कि जब वह रोज़ा रखता है, तो वह रखता ही इसलिए है कि उसे अल्लाह से ज़बरदस्त मुहब्बत है और वह व्यक्ति जो अल्लाह से सच्ची मुहब्बत रखता हो, वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है, जो सही अर्थों में जानता है कि मुहब्बत क्या है ।

2. रोज़ा इन्सान में आशा के रचनात्मक अर्थ को प्रतिष्ठित करता है, जीवन को आशावादी दृष्टिकोण देता है, इसलिए कि जब वह रोज़ा रखता है, उसकी यह आशा बढ़ जाती है कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा, इस तरह वह उसकी रहमतों का अधिकारी बन जाएगा ।

3. यह इन्सान में प्रभावी भक्ति-भाव, निष्ठापूर्ण समर्पण और अल्लाह के सामीप्य का गुण भर देता है, इसलिए कि जब वह रोज़ा रखता है, तो वह ऐसा सिर्फ़ अल्लाह की के लिए करता है और इस तरह वह उक्त गुणों को जन्म देकर अपने को फ़ायदा पहुंचाता है ।

4. यह इन्सान में मुस्तैद और स्वस्थ चेतना उभारता है, इसलिए कि जहां एक रोज़ेदार अपना रोज़ा रहस्यपूर्ण ढंग से रखता है, वहीं उसके रोज़े को लोग भी जानते हैं । रोज़े की स्थिति में दूसरा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति के पूरे कार्यकलाप पर चौकसी रखे या किसी को मजबूर करे कि वह रोज़ा रख ही ले । यह तो संभव होता ही है उसी समय, जबकि एक व्यक्ति अल्लाह को खुश रखने के लिए रोज़े रखे और अपनी चेतना को इतना जागरूक बना दे कि वह स्वयं उसकी निगरानी रखे, चाहे वह अकेले में हो या समूह में । रोज़ा व्यक्ति की चेतना को जागरूक बनाकर उसके पूरे जीवन को अल्लाह की प्रसन्नता की ओर मोड़ देता है ।

5. यह इन्सान में धैर्य, सहनशीलता और निस्स्वार्थ भाव को जन्म देता है, इसलिए कि जब वह रोज़ा रखता है, वह भूख की पीणा का अनुभव करता है, लेकिन उसे पूरे धैर्य के साथ सह जाता है । इसमें संदेह नहीं कि यह पीणा सामयिक होती है, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि अनुभव ऐसी पीणाओं की तीव्रता का एहसास कर लेता है और उन लोगों के प्रति दयाभाव उभरने लगता है जो रोज़ या सप्ताह में या महीने में इस तरह की पीरणाओं के शिकार बनते रहते हैं । रोज़े में भूख-प्यास का अनुभव रोज़ेदारों को दूसरों के

अनुशासित जीवन का प्रशिक्षण

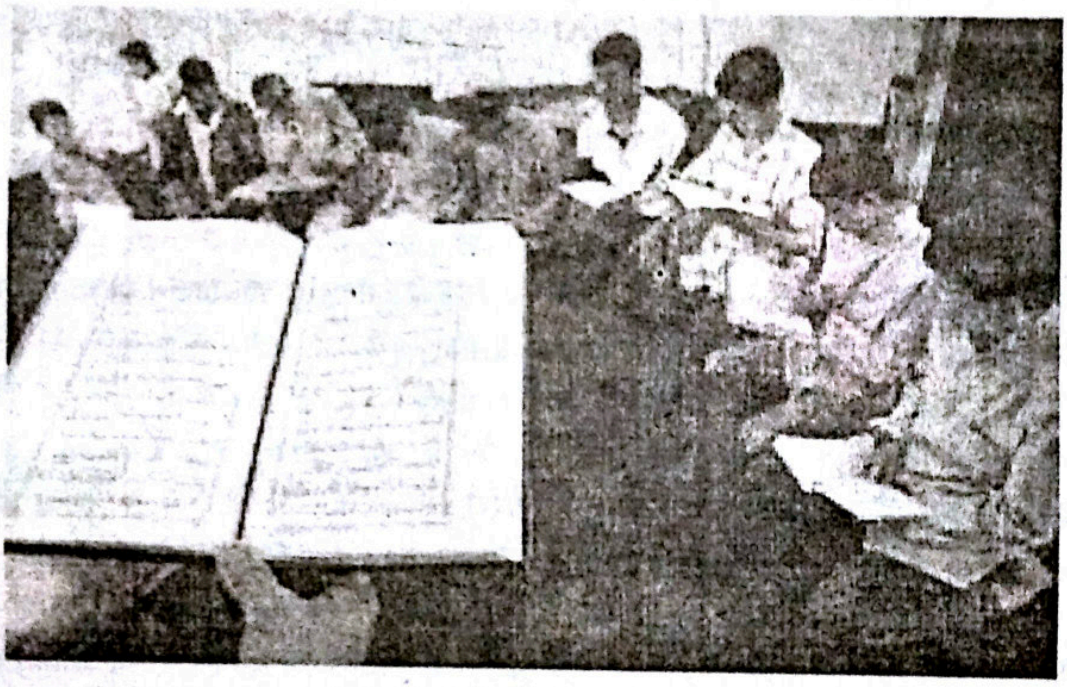

मुक़ाबले में अधिक भावुक बना देता है और स्वभावत: उन दिलों में ज़रूरतमंदों के प्रति सहानुभूति की भावना जन्म लेती है, ऐसी भावना जिसमें किसी स्वार्थ और किसी भौतिक लाभ का दूर-दूर तक पता नहीं होता ।

6. यह आत्म-शक्ति को नियंत्रित करने की प्रभावी शिक्षा भी देता है । वह व्यक्ति जो सुचारू रूप से रोज़े रखता है, निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति है, जो अपनी कामनाओं को नियंत्रित कर सकता है, और आध्यात्म को भौतिक स्वार्थों पर सर्वोपरि बना सकता है । ऐसा ही व्यक्ति व्यक्तित्व वाला, आचरणवान, आत्म-शक्ति से परिपूर्ण कहलाता है ।

7. रोज़ा इन्सान को स्वच्छ आत्मा प्रदान करता है विकास मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, सुस्पष्ट मस्तिष्क देता है, सोचने के लिए हल्का शरीर देता है, गतिशील रहने के लिए और यह नतीजा है हल्का पेट होने की वजह से । इसकी पुष्टि में चिकित्सकीय आदेशों, जैविक नियमों और मानसिक अनुभूतियों को पेश किया जा सकता है ।

8. यह इन्सान को बुद्धिमत्तापूर्ण बचत और बेहतर बजट बनाने का नया तरीक़ा सिखाता है, इसलिए कि सामान्य रूप से जब वह कम मात्रा में भोजन करने लगता है, वह कम पैसे भी ख़र्च करता है और कम दौड़-धूप भी करनी होती है । इस तरह इसे घरेलू अर्थव्यवस्था तथा बजट का आध्यात्मिक सत्र कहा जा सकता है ।

9. यह इन्सान को इस योग्य बनाता है कि वह सुदृढ़ अनुकूलनशीलता की कला में दक्ष हो जाए । हमें यह बात ज़ेहन में रखनी चाहिए कि रोज़ा इन्सान को दैनिक कार्यक्रम बदलने पर मजबूर कर देता है । जब कार्यक्रम बदलता है, स्वभावत: वह अपने आपको नयी व्यवस्था में ढालने को तैयार कर लेता है और नये विधान के पालन में संतोष का अनुभव करता है । इस तरह रोज़ा इन्सान में व्यापक स्तर पर अनुकूलनशीलता और अपने आपको परिस्थितियों के अनुसार ढालने की प्रक्रिया को तेज़ कर देता है ।

10. रोज़ा इन्सान के लिए अनुशासन और रचनात्मक जीवन जीने का आधार जुटाता है । जब एक व्यक्ति मुबारक महीने के हर दिन और साल के मुबारक महीने के रोज़े रखता है, वह निश्चित रूप से अपने आपको एक श्रेष्ठ अनुशासन में बांधता है । इसी तरह जब वह अपने पेट को हल्का रखता है और पाचन-व्यवस्था को गतिशील बनाता है, वास्तव में वह अपने शरीर को पेट के रोगों से मुक्ति दिलाता है, इस प्रकार वह इस बात का आश्वासन देता है कि उसका शरीर आगे अव्यवस्थित जीवन से मुक्ति प्राप्त करेगा इस तरह उसकी आत्म शुद्ध रूप और शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ती चली जाती है ।

11. यह इन्सान में सामाजिक संबंध, एकता, भाईचारा, समता आदि की अस्ली रूह पैदा करता है । यह रूह सहज रूप से उस समय पैदा होती है जबकि एक व्यक्ति रोज़ा रखता है और महसूस करता है कि वह इस मामले में

अकेला नहीं है, बल्कि पूरा समाज साथ दे रहा है, इस तरह कि एक ही अंदाज़, एक ही समय, एक ही उद्देश्य, एक ही सृष्टि । यहीं से रोज़ेदार में भाईचारे की, एकता की, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दरसाने की मन:स्थिति जन्म लेती है । कोई भी मनोविज्ञानशास्त्री यह नहीं बता सकता कि व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से भी पूरे समाज, पूरे समूह में ऐसी मन:स्थिति कभी जन्म लेती है जैसा कि रोज़े से जन्म लेती है । इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं । लोग एक समय से चीख़ रहे हैं कि इन्सानों में एका पैदा हो, समता पैदा हो, भाईचारा पैदा हो, लेकिन इसमें सफलता अब तक नहीं मिल पायी । लेकिन इस्लाम ने यह सफलता पहले भी प्राप्त कर ली थी, आज भी प्राप्त कर सकता है और आइंदा भी करेगा तो इसके लिए इस्लाम के मार्गदर्शन को क्यों न अपनाया जाए ?

12. अल्लाह का बताया हुआ आत्म-नियंत्रण का यह एक ऐसा साधन है, जिससे मानव-प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता को स्थापित किया जा सकता है और विजय और शांति भी प्राप्त की जा सकती है । ये नतीजे उस व्यक्ति के मन में सच्चाई बनकर उभरते हैं जो रोज़े रखता और रोज़े रखना जानता है । जब वह सही ढंग से रोज़े रखता है, वह आत्म-नियंत्रित-सा हो जाता है, अपनी कामनाओं पर पूरा कंट्रोल करता है, अपनी इच्छाओं को अनुशासित करता है, ग़लत बातों से अपने को रोक देता है । इस तरह वह इस स्थिति में आ जाता है कि अपने को आश्वासित कर सके, अपनी प्रतिष्ठा और एकता को प्राप्त कर सके, और बुराइयों की पकड़ से अपने को मुक्ति दिला सके । जब वह यह सब कुछ प्राप्त कर लेता है, उसके मन में आंतरिक शक्ति जन्म लेती है, जो अल्लाह की सलामती का कारण और संपूर्ण सृष्टि में शांति-व्यवस्था का साधन बन जाती है ।

यहां कुछ लोग एक प्रश्न कर सकते हैं—अगर रोज़े की इबादत की उपलब्धि यह और यह है, और इस्लाम की यही सुन्दर तस्वीर है, तो आज के मुसलमान इन चीज़ों से क्यों महरूम हैं ? ऐसे प्रश्नों के उत्तर में हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, मुसलमान इतिहास के युग में वह सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं जो इससे प्राप्त किया जा सकता है, इस अनोखे ढंग से प्राप्त किया कि आज तक किसी धर्म और समूह के लोग नहीं प्राप्त कर सके । दूसरे धर्मों और सामाजिक व्यवस्थाओं का आदर्श सदैव सिद्धांतों की श्रेणी ही में रहा, व्यावहारिक रूप न पा सका, या कामनाओं की दुनिया में रहा या कल्पना जगत और स्वप्न लोक में विचरता रहा—कभी स्पष्ट, कभी अस्पष्ट, कभी संभव और कभी असंभव, पर इस्लाम का आदर्श व्यवहार में आया, उसके आधार पर व्यवस्था की पूरी इमारत खड़ी हुई और दुनिया ने देखा कि यह कोरी कल्पना की बातें नहीं हैं, तथ्यपरक बातें हैं और इन्हें व्यवहार में जांचा-परखा जा सकता है । इसका अर्थ यह हुआ कि इस्लाम को इस धरती पर पुन: स्थापित किया जा सकता है और यह कि इसकी बुनियादें ठोस हैं और यह व्यवहार्य है ।

इस्लामी आदर्श आज क्यों नहीं स्थापित हो पा रहा है, इसके बहुत से कारण हैं और इन कारणों पर आसानी से क़ाबू भी पाया जा सकता है । लेकिन अपनी वार्ता को लंबी करने के बजाय, हमें इस समय रोज़े तक सीमित रखनी है, इसलिए हम इतना कह सकते हैं कि बहुत से मुसलमान रोज़े नहीं रखते, इस तरह वे इसके प्रति उदासीनता दरसाते हैं । दूसरी ओर, उनमें से बहुत से लोग, जो रोज़े रखते हैं, वे इसके उद्दे से भिज्ञ नहीं, जिससे वे इससे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते । यही कारण है कि कुल मिलाकर मुसलमान रोज़ों के उन लाभों को नहीं प्राप्त कर पाते, जो सही अर्थों में उन्हें मिलना चाहिए ।

रोज़े का तुलनात्मक अध्ययन

1. दूसरे धर्मों और मतों में, दूसरे दर्शनों और सिद्धांतों में, रोज़ा या व्रत रखने वाला विशेष प्रकार के खानों, पक़वानों, पेय-पदार्थों से रुक जाता है, लेकिन उसे इसकी आज़ादी भी होती है कि वह अपने पेट को भरने के लिए वर्जित पदार्थों के अलावा जिस चीज़ से चाहे भर ले । इस्लाम में ऐसा बिल्कुल नहीं है । वहां रोज़ों में खाद्य और पेय-पदार्थों से बिल्कुल रोक दिया जाता है, अपनी स्त्री से संभाग भी नहीं कर सकता, ताकि वह आध्यात्मिक आनन्द प्राप्त कर सके और नैतिक विकास का मार्ग अपना सके । मुसलमान अपने पेट को भौतिक पदार्थों से इसलिए ख़ाली करता है कि वह अपनी आत्म को शांति और सलामती से भर सके, अपने हृदय को प्रेम और सहानुभूति से भर सके, अपने मन को

विनम्रता और विश्वास से भर सके, अपने मस्तिष्क को विवेक और बुद्धिमत्ता से भर सके ।

2. अन्य धर्मों और मतों में रोज़े का उद्देश्य आंशिक होता है–

या तो वह आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए होता है,
या भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है,
या मानसिक विकास के लिए होता है,

बहरहाल ये रोज़े बहुउद्देश्यीय नहीं होते, लेकिन इस्लाम में रोज़ों के उद्देश्य ये सब तो होते ही हैं, इनके अलावा भी–सामाजिक और आर्थिक, नैतिक और मानवीय, निजी और सार्वजनिक, व्यक्तिगत और सामूहिक भीतरी और बाहरी, स्थानीय और देशव्यापी तमाम उद्देश्यों पर इस्लामी रोज़े हावी होते हैं ।

3. ग़ैर-इस्लामी सेज़े कुछ भौतिक वस्तुओं से रुक जाने भर का नाम है, लेकिन इस्लामी रोज़ों में न सिर्फ़ खाने-पीने से हका जाता है, बल्कि कुछ और चीज़ें भी साथ-साथ लगा दी जाती हैं, जैसे और अधिक नमाज़ें, अधिक सदक़े-ख़ैरात, कुरआन का अधिक से अधिक पाठ, अधिक सामूहिकता और एक-दूसरे का ध्यान, अधिक से अधिक आत्मानुशासन और चेतना को जगाने की बात । इस तरह एक मुसलमान रोज़ेदार दूसरे रोज़ेदारों से कहीं भिन्न दीख पड़ता है । यह भीतर से भी शुद्ध तथा पवित्र होता है और बाहर से भी । उसकी आत्मा इतनी शुद्ध हो जाती है कि वह अति ऊंचाई पर पहुंच जाती है और उसे अल्लाह का सान्निध्य प्राप्त हो जाता है ।

4. अपने ज्ञान की हद तक और हर दिन के अनुभव को देखते हुए हम इतना तो कह ही सकते हैं कि दूसरे धर्म और मत के लोग इन्सान को यह पाठ पढ़ाते हैं कि वह नैतिक लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर सकता और वही ख़ुदावन्द के राज्य में प्रवेश कर सकता है, जब तक वह सांसारिक सुख-वैभव को तिलांजलि न दे दें । इस तरह उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वह भौतिक स्वार्थों को तज दे, अपनी इन्सानी ज़िम्मेदारियों को नज़रअंदाज़ करे और अपने को मशक़्क़तों और योगाभ्यासों में डाले । रोज़ा भी इसी प्रकार की मशक़्क़त है । इस प्रकार के लोगों के लिए इस क़िस्म का रोज़ा जीवन को सामान्य मार्ग से हटाने के लिए होता है ।

लेकिन इस्लाम में रोज़े का यह उद्देश्य कदापि नहीं है कि इन्सान ज़िन्दगी ही को तिलांजलि दे दे, बल्कि जीवन को आनन्दमय बनाने के लिए रोज़ा होता है । जीवन से पलायन के लिए नहीं बल्कि जीवन को आध्यात्मिक सुख के साथ भोगने के लिए होता है, जीवन को नज़रअंदाज़ करने के लिए नहीं, बल्कि उसे नैतिक गुणों से विभूषित करने के लिए होता है । इस्लामी रोज़ा धर्म को दैनिक जीवन से अलग नहीं करता, न ही आत्मा को देह से जुदा करता है, यह तोड़ता नहीं, बल्कि जोड़ता है, यह मुअत्तल नहीं करता, बल्कि स्फूर्ति से भर देता है, यह अलग नहीं करता, बल्कि

Prop : Abid Hussain
09413037652
09252235194

Shop : Mujahid Hussain
09214747172

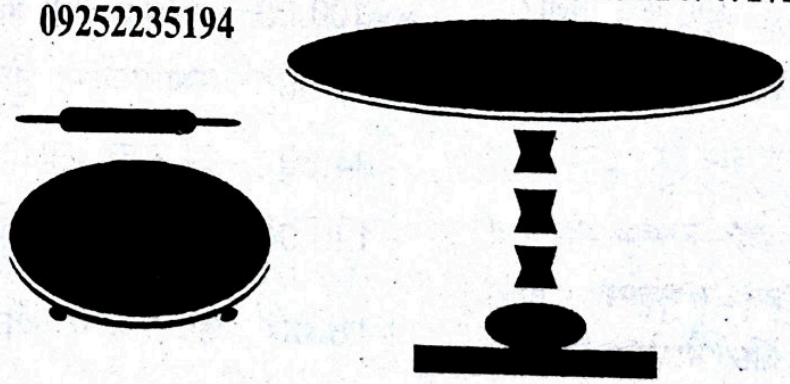

कान्ति मार्बल हैंडीक्राफ्ट

सभी प्रकार के वन पीस और ज्वाइंट पीस चक्कलों के निर्माता व थोक विक्रेता, मार्बल के फव्वारे तथा टेबल, टेलीफ़ोन स्टेंड, नोजल लैंप, गमले, घड़ी व फैंसी आइटम

Shop : Hotel Moti Mahal, Manglana Road, Makrana-341505
Fact : Bypass Mor, Opp : Sai Kirpa Petrol Pump, Makrana Road, Borawad (Raj.)

हमारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें

इस्लाम एक सामान्य परिचय	80.00	शैख़ अली तंतावी	90.00	اسلام کا عام فہم تعارف
इस्लाम एक स्वयंसिद्ध.....	25.00	राजेन्द्र नारायण लाल	25.00	اسلام ایک خدائی نظام حیات
इस्लामी सभ्यता	05.00	मुन्शी प्रेम चंद	05.00	اسلامی تہذیب
इंसानी भाईचारा और इस्लाम	05.00	मौलाना फ़ारूक़ ख़ाँ	05.00	انسانی اخوت اور اسلام
प्यारे नबी की पाक ज़िन्दगी	25.00	ऐजाज़ुल हक़ क़ुद्दूसी	25.00	پیارے نبی کی پاک زندگی
इतिहास के साथ यह अन्याय!	07.00	बी॰ एन॰ पाण्डे	05.00	تاریخ پر یہ ستم !
मेरे दावती तजुर्बात (प्रथम)	25.00	नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	20.00	میرے دعوتی تجربات (اول)
ग़लत फ़हमियों का निवारण	25.00	डॉ॰ ज़ाकिर नाईक	25.00	غلط فہمیوں کا ازالہ !
क़ुरआन और हम मुसलमान	15.00	नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	15.00	قرآن اور ہم مسلمان
क़ुरआन का पैग़ाम	10.00	ख़ुर्रम मुराद	10.00	قرآن کا پیغام
क़ुरआन पर अनुचित आक्षेप	15.00	नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	15.00	قرآن مجید پر اعتراضات کی حقیقت
हमें ख़ुदा कैसे मिला?	100.00	अब्दुल ग़नी फ़ारूक़	120.00	ہمیں خدا کیسے ملا ؟
इस्लाम आतंक या आदर्श?	40.00	स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य	40.00	اسلام دہشت گردی یا مثالی دین؟
इस्लाम और इनसान (1-6)	84.00	डॉ सैयद शाहिद अली	15.00	اسلام اور انسان
दलित समस्या जड़ में कौन?	120.00	इन्तज़ार नईम	140.00	دلت مسئلہ جڑ میں کون؟
हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) और भारतीय धर्मग्रन्थ	18.00	डॉ॰ एम॰ ए॰ श्रीवास्तव	18.00	حضرت محمد ﷺ اور ہندوستانی مذہبی کتابیں

इस्लामी लिट्रेचर, दावती किताबों और मर्कज़ी मक्तबा की किताबों और हमारी पुस्तक सूची के लिए सम्पर्क करें। दावती काम करने वालों के लिए विशेष छूट

MADHUR SANDESH SANGAM

E-20, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025

e-mail: madhursandeshsangam@yahoo.co.in 09212117559, 011-26953327 :फ़ोन

पुल की तरह जोड़ देता है ।

5. इस्लामी रोज़ों का टाइम टेबल भी विचित्र वस्तु है । दूसरे धर्मों में रोज़े साल के विशेष दिनों के लिए निश्चित होते हैं और यह निर्धारण बेलचक होता है । लेकिन इस्लाम में रोज़े रमज़ान के महीने में शुरू होते हैं, जो साल का नवां महीना होता है । इस्लामी कैलेंडर चांद के हिसाब से चलता है जिसमें बराबर घट-बढ़ होती रहती है । इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ वर्षों के बाद रोज़े साल के चारों ऋतुओं का राउंड ले लेते हैं । चांद के हिसाब से शुरू होने वाले इन महीनों का स्वभाव ही यही है । मिसाल के तौर पर कोई रमज़ान जनवरी में शुरू हुआ तो अगले साल अब यह दिसम्बर में होगा और लगभग दस दिन वार्षिक के हिसाब से कम होते-होते यही रमज़ान लगभग 36 वर्षों में फिर जनवरी में आ जाएगा । आध्यात्मक दृष्टि से इसका अर्थ यह हुआ कि एक मुसलमान रोज़ा रखकर विभिन्न स्तरों पर नैतिक अनुभव करता है और विभिन्न जलवायुओं में, कभी जाड़ों के ठंडे और छोटे दिनों में, कभी गर्मी के लंबे और गर्म दिनों में कभी समशीतोष्ण जलवायु के दिनों में, आध्यात्मिक आनन्द प्राप्त करता है । अनुभवों की यह विविधता इस्लाम के इस नियम के गतिमान और जीवंत होने का प्रमाण है और इसी से यह बात भी सिद्ध होती है कि इस्लामी नियम और शिक्षाएं हर युग और हर देश में व्यवहार्य हैं ।

रोज़े का समय

यह बात पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है कि फ़र्ज़ रोज़ों का समय रमज़ान का महीना है । रोज़ा भोर समय से शुरू हो जाता है और सूरज के डूबते ही समाप्त हो जाता है । सामान्य रूप से सही समय बताने के लिए कैलेंडर्स और टाइम चार्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो, तो एक व्यक्ति को अपनी घड़ी और सूर्य की स्थितियों पर नज़र रखनी चाहिए साथ ही उसे स्थानीय अख़बारों और मौसम विभाग के एलानों आदि पर भी ध्यान देना चाहिए ।

रमज़ान के रोज़े हर व्यस्क, स्वस्थ तथा समर्थ मुसलमान पर फ़र्ज़ (अनिवार्य) हैं । इन फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा कुछ ऐसे रोज़े भी हैं, जिनकी हदीसों में ताकीद की गयी है । इनमें से–हर सोमवार और मंगलवार के रोज़े,

हर महीने में दो निश्चित दिनों के रोज़े,

रजब और शाबान के रोज़े,

ईदुल फ़ित्र के बाद शव्वाल महीने के छह रोज़े ।

रोज़े साल के किसी महीने के किसी दिन भी रखे जा सकते हैं, सिवाय ईदुल फ़ित्र, ईदुल अज़हा और उसके बाद के तीन दिनों के ।

यहां दोहराना अनुचित न होगा कि सिर्फ़ रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, जो चांद के हिसाब से 29 या 30 दिन के हो सकते हैं । यह इस्लाम की अहम इबादत है । इस फ़र्ज़ को बिना किसी शरई विवशता के न अदा करना दंडनीय अपराध है, अल्लाह हमें इससे सुरक्षित रखे । क़ुरआन मजीद में है–

'हे ईमान लाने वालो ! तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, जिस तरह तुम से पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम (अल्लाह का) डर रखने वाले बन जाओ । गिनती के कुछ दिन, इस पर भी जो कोई तुम में बीमार हो या सफ़र में हो, तो दूसरे दिनों में संख्या पूरी कर ले, और जो लोग इसका (खाना खिलाने का) सामर्थ्य रखते हों, उन पर एक रोज़े का बदला एक मुहताज का खाना–फिर जो कोई कुछ और भलाई करे, तो वह उसके लिए अच्छा है, और यह कि तुम रोज़ा रखो तो यह तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है, और यह कि तुम रोज़ा रखा तो यह तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है, यदि तुम समझो–रमज़ान का महीना है, जिसमें क़ुरआन (पहले-पहल) उतारा गया लोगों के लिए मार्गदर्शन बनाकर और मार्गदर्शन और सत्य-असत्य के अन्तर के स्पष्ट प्रमाणों के साथ । तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो, उसे चाहिए कि उसके रोज़े रखे और जो बीमार हो या सफ़र से हो, तो वह दूसरे दिनों में संख्या पूरी कर ले । अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वह तुम्हारे लिए सख़्ती नहीं करना चाहता, और चाहता है कि तुम संख्या पूरी करो और तुम अल्लाह की बड़ाई करो इस पर कि उसने तुम पर राह खोली है और ताकि तुम कृतज्ञ बनो ।'

(क़ुरआन, 2:183-185)

सज़ा के तौर पर भी कुछ रोज़े तज्वीज़ किये गये हैं । क़ुरआन मजीद की निम्न आयतों से इसका विवरण प्राप्त किया जा सकता है । देखिये–'हे ईमान लाने वालो ! जब

तुम 'एहराम' की हालत में हो, तो शिकार न मारो । तुम में जो कोई जान-बूझकर उसे मारे तो जो जानवर उसने मारा हो, चौपायों में से उसी जैसा एक जानवर–जिसका फ़ैसला तुम में से दो न्यायशील व्यक्ति कर दें–काबा पहुंचाकर क़ुरबान किया जाए या कफ़्फ़ारा है मुहताजों का खाना या उसके बराबर रोज़े रखने, ताकि वह अपने किये का मज़ा चख ले ।' (क़ुरआन, 5:95)

'और जो लोग अपनी स्त्रियों से ज़िहार करते हैं, फिर जो कुछ उन्होंने कहा, उसकी ओर फिर लौटते हैं, तो एक गरदन आज़ाद करनी होगी, इससे पहले कि उन दोनों में समागम हो । इससे तुम्हें नसीहत की जाती है और अल्लाह उसकी ख़बर रखता है, जो कुछ तुम करते हो । फिर जिसे (आज़ाद करने को गुलाम) प्राप्त न हो, तो लगातार दो महीने रोज़ा रखना होगा, इससे पहले कि उन दोनों में समागम हो, फिर जिससे यह न हो सके तो (उसे) साठ मुहताजों को भोजन कराना होगा । यह इसलिए कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और यह अल्लाह की (नियत की हुई) सीमाएं हैं, काफ़िरों के लिए दुख भरी यातना है ।' (क़ुरआन 58:3,4)

रोज़ा किन पर फ़र्ज़ है ?

रमज़ान के रोज़े हर मुसलमान पर, चाहे मर्द हो या औरत, फ़र्ज़ है, अगर उनमें ये शर्तें मिलती हैं–

1. जो शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी, जो स्वस्थ हो ।

2. जो बालिग़ हो, लगभग 14 वर्ष का । इससे कम उम्र के बच्चों को रोज़ा रखने पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वे बालिग़ होते-होते इसके पूरी तरह अभ्यस्थ हो जाएं ।'

3. सफ़र की हालत न हो, अपने शहर, अपने फार्म, अपने कारख़ाने और अपने घर में निवास हो । सफ़र 50 मील या उससे अधिक के सफ़र को कहते हैं ।

4. यह स्पष्ट रूप से निश्चित हो कि रोज़ा कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, न शारीरिक, न मानसिक (भूख-प्यास इसमें शामिल नहीं है)।

रोज़ा जिन पर फ़र्ज़ नहीं

निम्न प्रकार के लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है–

1. बच्चे, जो नाबालिग़ हों ।

2. ऐसे मानसिक रोगी या पागल, जिनके किसी कार्य पर कोई पकड़ नहीं । ऐसे लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ ही नहीं है, इसलिए इसकी क़ज़ा का कोई सवाल ही नहीं है ।

3. वे मर्द और औरतें, जो इतने बूढ़े और कमज़ोर हों कि रोज़ा रखने में समर्थ ही न हों । ऐसे लोगों को क़ज़ा तो नहीं भरना है, लेकिन इसके बदले में एक मुहताज ग़रीब मुसलमान को पूरे दिन का पेट भर खाना या उसकी क़ीमत चुकानी होगी । इससे यह बात भी मालूम होती है कि जब भी वे रोज़ा रखने में समर्थ हों, चाहे महीने में एक ही दिन के लिए, रोज़ा उन्हें रखना पड़ेगा, बाक़ी के लिए वे खाना दे दें । अगर उन्होंने ऐसा न किया तो उन्हें इस ग़फ़लत और कोताही की सज़ा भुगतनी पड़ेगी ।

4. ऐसे बीमार, जिनको बीमारी रोज़ा रखने से प्रभावित हो सकती है, ऐसे लोग बीमारी की हालत में रोज़ा न रखे तो कोई हरज नहीं, अलबत्ता ठीक होते ही अगर रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के रोज़े रखना शुरू कर दें और बाक़ी जो क़ज़ा हो गये हों उन्हें एक के बदले एक जल्द से जल्द अदा करने की कोशिश करें ।

5. ऐसे मुसाफ़िर जो लगभग 50 मील या उससे अधिक का सफ़र कर रहे हों । ऐसी स्थिति में जब तक सफ़र चल रहा हो, रोज़ा न रखने की छूट है । अगर किसी ने सफ़र की हालत में रोज़ा न रखा, तो इस रोज़े के बाद में उसे अदा करना होगा । बेहतर यह है कि अगर बहुत ज़्यादा परेशानी न हो तो सफ़र की हालत में भी रोज़ा रख लिया जाए ।

6. ऐसे औरतें, जिनके बच्चे बहुत छोटे और दूध पीते हों, वे भी रोज़ा क़ज़ा कर सकती हैं, बस शर्त यह है कि रोज़ा रखने से उनके अपने स्वास्थ्य या उनके बच्चे के स्वास्थ्य को ख़तरा हो । लेकिन स्थिति के सामान्य होते ही उन्हें इन रोज़ों को अदा करना पड़ेगा ।

7. वे औरतें जिन्हें मासिक धर्म आता हो (अधिक से अधिक दस दिन) और वे औरतें जो प्रसूति गृह में हो (अधिक से अधिक चालीस दिन), ऐसी सभी औरतों पर निश्चित अवधि तक रोज़ा माफ़ है, उन्हें इन हालात में रोज़ा रखना ही नहीं चाहिए, चाहे वे रोज़ा रखने में समर्थ हों या

न हों, हां इन रोज़ों को अवधि बीतने के बाद पूरा करना पड़ेगा ।

यहां यह बात स्पष्ट रहनी चाहिए कि तमाम इस्लामी इबादतों में ज़ेहन इस पहलू से साफ़ रहना चाहिए कि जो कुछ किया जा रहा है, वह सिर्फ़ अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है और उसी की इच्छानुसार हो रहा है ।

रमज़ान के रोज़े जान-बूझकर खाने-पीने या धूम्रपान करने से टूट जाते हैं, संभोग से भी रोज़े टूट जाते हैं । अगर ऐसा कोई करे तो सज़ा के तौर पर उसे साठ दिन के लगातार रोज़े रखने पड़ेंगे या फिर उसे एक दिन के रोज़े के बदले में साठ ग़रीबों को पेट भर कर खाना खिलाना होगा ।

ग़ैर-रमज़ान के रोज़े अगर किसी जायज़ वजह से टूट जाएं, तो उसके बदले में एक रोज़ा के बदले एक रोज़ा ही रखना पड़ेगा ।

अगर भूल-चूक में कोई व्यक्ति रोज़े की हालत में ऐसी हरकत कर बैठे, जिससे रोज़ा टूट जाए, तो उसकी यह भूल-चूक माफ़ है, उसका रोज़ा ख़राब न होगा, अगर याद आते ही उस हरकत से रुक जाए ।

रमज़ान के रोज़ों के पूरे होते ही विशेष दान (सदक़तुल फ़ित्र) ग़रीबों में बांट देना चाहिए ।

कुछ और सामान्य बातें

प्यारे नबी (सल्ल०) ने रमज़ान में कुछ और बातों की ओर ध्यान दिलाया है–

1. भोर में हल्का भोजन करना चाहिए, इसे सेहरी कहते हैं ।

2. इफ़्तार के समय अर्थात सूरज डूबते ही तीन छोहारों और एक गिलास पानी से इफ़्तार करना (रोज़ा खोलना) चाहिए । इफ़्तार करते समय यह दुआ पढ़े–

'अल्लाहुम-म ल-क सुम्ना व अला रिज़्क़-क अफ़्तर्ना'

(ऐ अल्लाह ! हम ने तेरे ही लिए रोज़ा रखा और अब तेरे ही दिये खाद्य पदार्थ से रोज़ा खोलते हैं ।)

3. हल्के से हल्का भोजन लीजिये, इसलिए कि प्यारे नबी (सल्ल०) का यही तरीक़ा था ।

4. सुन्नत नमाज़ 'तरावीह' का भी एहतिमाम करना चाहिए ।

5. एक-दूसरे को इफ़्तार कराना चाहिए ताकि एक-दूसरे से क़रीब होने और एक-दूसरे की सेवा करने का अवसर मिल सके ।

6. कुरआन मजीद का पाठ अधिक से अधिक होना चाहिए ।

7. धैर्य और विनम्रता को बढ़ावा मिलना चाहिए ।

8. अपने अनुभवों के प्रयोग में अधिक से अधिक सचेत रहना चाहिए दिमाग़ और विशेष रूप से मुख के प्रयोग से अधिक मुस्तैद रहना चाहिए, ग़ैर-ज़िम्मेदारी और दिल दुखाने वाली बातों से बचना चाहिए ।

SHATABDI FOUNDATION, GAYA

- Started Shatabdi Public School in 2001 with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation.
- Presently there are around 1000 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students
- Under Upwardbound scheme, another project has been launched for preparation of +2 students to compete in Entrance Test for Engineering, Medical and other professional & technical courses.
- Our immediate needs are — Purchase one more school bus, Construction of Prayer Hall & Purchase of 30 Computers.

Ahle Khair Hazrat are Requested to Donate.

Kindly send your cheque/draft in favour of "Shatabdi Foundation, Gaya".

(Prof Z.H.Khan) Chairman — *(Prof M. B. Zaman)* Secretary

Shatabdi Public School, Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

चरित्र निर्माण से ही देश की वास्तविक प्रगति और समृद्धि संभव

■ इंजीनियर मुहम्मद सलीम

हमारे देश भारत, प्रगति और समृद्धि की राहों पर तेज़ी से आगे बढ़े यह हम सबका सपना है, और इस सपने को साकार करने की कोशिश करना, इसके लिए सोच-विचार करना, हर भारतीय नागरिक का दायित्व भी है। समृद्ध भारत के निर्माण के लिए हम में से जिसके पास भी जो विचार है, जो सुझाव है, कोई विचारधारा या योजना है उसे पूरी ईमानदारी और स्पष्टता से देश की जनता के सामने पेश करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है, अगर ऐसा करने में हम संकोच करें या इस डर से कि लोग हमारे विचार और योजना से असहमत होंगे, हम अपनी बात पेश न करें तो हम एक मायने में देश के प्रति अपराधी होंगे। दूसरों के विचार, सुझाव या योजनाओं से चाहे हमारी असहमति हो मगर उनको आदर व सम्मान से सुनना और विचारों का आदान-प्रदान करना और आपसी संवाद को मज़बूत करना और सामूहिक रूप से किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करना, समृद्ध भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है।

सिर्फ़ संदेहों की बुनियाद पर सैकड़ों मुस्लिम नवजवानों पर आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होने का आरोप लगाकर बरसों से जेलों में डाल रखा है, उनके बारे में वैसा रवैया क्यों नहीं अपनाया जा रहा, क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं, उनके साथ शत्रु जैसा व्यवहार किया जा रहा है, खुलेआम सशस्त्र संघर्ष करने वालों के लिए तो आतंकवाद का शब्द भी प्रयोग में नहीं लाया जाता और संदेह के आधार पर आरोप लगाकर मुसलमानों को आतंकवादी प्रचारित किया जाता है। यह पक्षपातपूर्ण रवैया दरेश को हमारे देश को कमज़ोर कर रहा है और हम उन शक्तियों की साज़िश का शिकार हो रहे हैं जो भारत को ताक़तवर और समृद्ध नहीं देखना चाहती।

आज़ादी के बाद पिछले 65 सालों में हमने विभिन्न क्षेत्रों में ख़ासी तरक़्क़ी की है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, दूरसंचार क्रांति, बड़े कलकारख़ाने, अंतरिक्ष विज्ञान में हमारी उपलब्धियां, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के मैदान में हमारी प्रगति, छोटे गांवों तक पहुंची सड़कें, आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी प्रगति, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कीर्तिमान यक़ीनन दुनिया के सामने गर्व से हमारा सर ऊंचा करते हैं।

इन सब के बावजूद ईमानदारी से हर पहलू का जायज़ा लें तो हम भारतीय अपने आपको समृद्ध और ख़ुशहाल कहने की स्थिति में नहीं हैं, हमारे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी बुनियादी आवश्यकताओं से अभी भी वंचित है, एक तिहाई आबादी अभी भी 20 रुपये प्रतिदिन में गुज़ारा करने पर मजबूर है, अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होती जा रही हैं, भ्रष्टाचार का दानव हर चीज़ को निगलता जा रहा है, न्याय व्यवस्था से आम आदमी का विश्वास कम होता जा रहा है, राजनेताओं और अफ़सरशाही के ख़िलाफ़ आम भारतीय असहाय नज़र आता है, और दिल ही दिल उनके प्रति

अविश्वास और नफ़रत के भाव बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से आम भारतीय और विशेषकर पिछड़ा वर्ग व मुस्लिम समाज असुरक्षित व आतंकित महसूस करता है। अपने ही देश में कुछ वर्गों के साथ शत्रु देश की जनता जैसा व्यवहार हमारे देश की बुनियादों को कमज़ोर किये जा रहा है, जाति, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के आधार पर समाज को बांट कर राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के रुझान ने देशवासियों में आपसी अविश्वास को काफ़ी बढ़ा दिया है, देश की बागडोर और देश के भविष्य के बारे में निर्णय जिनके हाथों में है उनमें बहुत बड़ी संख्या नैतिकता और चरित्र के लिहाज से बहुत ही नीचे स्तर पर है, इन कमज़ोरियों के साथ क्या हम आम भारतीय की वास्तविक समृद्धि और खुशहाली के सपने को साकार कर सकते हैं ? यह एक गंभीर और बड़ा सवाल है और इसका जवाब ''नहीं'' में है।

हमारी प्रगति और समृद्धि के रास्ते की मुख्य रुकावटें

हम अगर ईमानदारी और निष्पक्षता से अपने देश, समाज व व्यक्तिगत स्तर पर अपना स्वयं का जायज़ा लें तो कुछ मूलभूत कमज़ोरियां हमारे व्यक्तिगत एवं सामूहिक आचरण का हिस्सा बन गयी है, जिसकी वजह से हम वास्तविक प्रगति व समृद्धि से अभी बहुत दूर हैं मेरे विचार में कुछ मुख्य कमज़ोरियां इस प्रकार हैं–

1. ईमानदारी व निष्ठा का अभाव

आमतौर पर हम भारतवासियों की एक बड़ी संख्या में अपने कर्तव्य और दायित्वों के प्रति ईमानदार में बहुत कमी पायी जाती है, बहुत छोटी संख्या हम में ऐसी है जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कार्य पूरी करती है, अपना स्वार्थ हम सर्वोपरि रखते हैं, चाहते हैं बग़ैर अपना काम किये, मेहनत किये, अपने अन्दर ज़रूरी योग्यता प्राप्त किये, फल पाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए योग्य व्यक्ति को उसके हक़ से वंचित ही करना पड़े, हमारी यह कमज़ोरी हर क्षेत्र में हमारा नुक़सान कर रही है।

2. पक्षपात व दोहरे पैमाने

हमारे सामूहिक चरित्र में पक्षपात व दोहरे पैमाने अपनाने की कमज़ोरी काफ़ी गहरायी तक घर कर गयी है, अपने घर ही से इसकी शुरुआत हो जाती है बेटे और बेटी में फ़र्क़, बेटा होने पर ज़्यादा खुशी होती है, बेटी होने पर कम या कभी-कभी तो अफ़सोस होता है और मां को ताने दिये जाते हैं। इस बीमारी की वजह पिछले बीस सालों में हमने क़रीब एक करोड़ बेटियों को तो जन्म लेने से पहले ही क़त्ल कर दिया। पक्षपात का यह सिलसिला जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म व संप्रदाय के आधार पर हम करने लगते हैं, जिसकी वजह से योग्य व्यक्ति को उसका हक़ समय पर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आप से द्वेष व नफ़रत बढ़ती जाती है।

उदाहरण के लिए हिंसा व आतंकवाद की समस्या को ही लें, हमारे पक्षपात और दोहरे पैमानों की वजह से समस्या और ज़्यादा पेचीदा होती जा रही है। देश के कई हिस्सों में नक्सली व माओवादी विचारधारा के लोग सरकार के ख़िलाफ़ सशस्त्र संघर्ष कर हिंसा का रास्ता अपनाये हुए हैं सरकार का उनके बारे में यह रवैया कि उनसे बात की जानी चाहिए। वे हमारे अपने लोग हैं प्रशंसनीय हैं, लेकिन दूसरी ओर सिर्फ़ संदेहों की बुनियाद पर सैकड़ों मुस्लिम नवजवानों पर आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होने का आरोप लगाकर बरसों से जेलों में डाल रखा है, उनके बारे में वैसा रवैया क्यों नहीं अपनाया जा रहा, क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं, उनके साथ शत्रु जैसा व्यवहार किया जा रहा है, खुलेआम सशस्त्र संघर्ष करने वालों के लिए तो आतंकवाद का शब्द भी प्रयोग में नहीं लाया जाता और संदेह के आधार पर आरोप लगाकर मुसलमानों को आतंकवादी प्रचारित किया जाता है। यह पक्षपातपूर्ण रवैया दरेश को हमारे देश को कमज़ोर कर रहा है और हम उन शक्तियों की साज़िश का शिकार हो रहे हैं जो भारत को ताक़तवर और समृद्ध नहीं देखना चाहती।

3. भ्रष्टाचार

हमारे सामाजिक जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहां भ्रष्टाचार न हो, छोटे-छोटे कामों से लेकर बड़े विकास के कामों तक में हम अपने देश के शरीर को नोच-नोचकर खा रहे हैं, अपराधियों को सज़ा न मिलने का पूरा विश्वास है, हम स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ग़लत तरीक़े अपनाने में नहीं झिझकते, इस समस्या का

समाधान भी व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन में मज़बूत नैतिक आधार के बग़ैर संभव नहीं है ।

4. अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में बड़ी ज़िम्मेदारियां

हमारे कमज़ोर नैतिक आधार ने हमें इतना कमज़ोर और मजबूर बना दिया है कि बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियां, जहां देश के भविष्य के लिए महत्वंपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, हम अयोग्य व्यक्तियों को पहुंचाने में मददगार बनते हैं, देश की महत्वपूर्ण संस्थाओं में ऐसे व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, हमारा लोकतंत्र कमज़ोर नैतिक आधार की वजह से अच्छे चरित्र वाले योग्य व्यक्तियों को, हमारे प्रतिनिधि के रूप में विधानसभाओं और संसद में पहुंचाने में असमर्थ है, ऐसी स्थितियां अगर बनी रही और हालात को सही करने की हमने ईमानदार कोशिश नहीं की तो हम एक देश के रूप में बहुत ख़तरनाक स्थिति को पहुंचने वाले हैं ।

चरित्र निर्माण ही एक रास्ता

समस्याओं और रुकावटों के अम्बार में से कुछ एक का हमने ज़िक्र किया है, हमारी निगाह में जब तक हम भारतवासी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ व्यक्तिगत एवं सामूहिक चरित्र निर्माण के लिए प्रयास नहीं करेंगे ये समस्याएं और बढ़ेंगी .और इनके परिणाम हम सबके भुगतने होंगे । शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीक के आधार पर हो रही भौतिक प्रगति व समृद्धि मज़बूत नैतिक आधार के बग़ैर आम भारतीयों को राहत व आराम पहुंचाने के बजाय उसके दुखों एवं पीड़ाओं में ही बढ़ोतरी करेगी । हम भारतवासी अपनी इस ख़तरनाक भूल को जितनी जल्द सुधारना शुरू करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है और इसमें जितनी देर करेंगे उतनी ही अपनी परेशानियां बढ़ाएंगे ।

चरित्र निर्माण कैसे हो ?

इस बात पर तो सब ही सहमत हैं कि अच्छे समाज और समृद्ध देश के निर्माण के लिए हम सब भारतीय नागरिकों में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, निस्वार्थ सेवा की भावना, निष्पक्षता, समानता, आपसी प्रेम व विश्वास, मानवीय संवेदना, मानव गरिमा का आदर, न्यायप्रियता व कड़ी मेहनत जैसे गुणों का विकास होना चाहिए । यह सब कैसे हो सकता है इस पर लोगों की राय अलग-अलग हैं और ऐसा होना स्वाभाविक भी है । लोगों की एक बड़ी संख्या इस राय की भी है कि एक ईश्वर में विश्वास, उसके मार्गदर्शन के अनुसार जीवन का रास्ता तय करना, ईश्वर हर जगह मौजूद है, हमारी हर खुली व छुपी सब चीज़ों से अच्छी तरह परिचित हैं, इस सच्चाई पर पूरा विश्वास और इस जीवन के बाद एक अनंत जीवन पर विश्वास, ईश्वर के सामने अपने पूरे जीवन का हिसाब देने और उसके बदले में पुरस्कार या सज़ा पाने की सच्चाई पर विश्वास के ज़रिये ही किसी व्यक्ति में ये गुण पैदा हो सकते हैं ।

रमज़ान में सुबह से शाम तक ईश्वरीय आदेश के अनुसार भूखा और प्यासा रहना, अपने विचारों पर, इन्द्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना, बुरी बात कहने से, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने, किसी का हक़ मारने से बचना, हर बुराई से बचने की कोशिश करना, भलाई के कामों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना, अपनी दौलत का कुछ हिस्सा ग़रीबों और ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करना, इन कामों के माध्यम से ईश्वर को ख़ुश करना और उसकी निकटता प्राप्त करने की कोशिश करना, और इन कामों में एक-दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करना और पूरे एक महीने तक इसी पवित्र वातावरण में रहने से व्यक्ति के चरित्र में निखार आना स्वाभाविक है ।

इन सब सच्चाइयों पर विश्वास कर ईश्वरीय आज्ञाओं के आगे पूर्ण समर्पण ही का नाम इस्लाम है, सभी पैग़म्बरों (ईशदूत या संदेष्टाओं) ने इसी जीवन व्यवस्था को मानवजाति तक पहुंचाया और पुस्तकों की शक्ल में ईश्वरीय अवतरण में इन्हीं सच्चाइयों का मानवजाति के सामने पेश किया

गया । पवित्र क़ुरआन अब वह अंतिम व पूरी तरह सुरक्षित ईश्वरीय मार्गदर्शन है, जिसके प्रकाश में मानव मानवजाति आचरण कर सफल हो सकती है, ऐसा हमारा विश्वास है, इससे असहमत होने का हर व्यक्ति को अधिकार है, मगर इस पर विचार करने का आत्मीय आमंत्रण देना हमारा दायित्व है ।

अगर इन्सान को यह दृढ़ विश्वास हो कि एक सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे हर हाल में देख रहा है, तो हमारे आचरण में पवित्रता आना स्वाभाविक है, यह पवित्रता किसी क़ानून या सामाजिक व अन्य किसी दबाव के माध्यम से पैदा नहीं हो सकती, अगर होगी भी तो बहुत सीमित होगी और ज़्यादा स्थायी नहीं होगी ।

रमज़ान का पवित्र महीना
चरित्र निर्माण का बेहतरीन अवसर

एक ईश्वर पर, उसके संदेष्टाओं (पैग़म्बरों पर), उसके मार्गदर्शन पर, परलोक पर व अंतिम अवतरण क़ुरआन तथा अंतिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर विश्वास रखने वाले और ईश्वर के आगे अपने आपको पूरी तरह समर्पित करने वाले व्यक्ति को अरबी भाषा में मुस्लिम कहा जाता है । एक मुस्लिम पर यह अनिवार्य है कि पांच वक़्त की नमाज़, अपने माल में से कम से कम 2.5 प्रतिशत ज़कात अदा करे, अगर सामर्थ्य हो तो जीवन में एक बार हज करे और हर साल रमज़ान के महीने के रोज़े रखे ।

रमज़ान में सुबह से शाम तक ईश्वरीय आदेश के अनुसार भूखा और प्यासा रहना, अपने विचारों पर, इन्द्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना, बुरी बात कहने से, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने, किसी का हक़ मारने से बचना, हर बुराई से बचने की कोशिश करना, भलाई के कामों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना, अपनी दौलत का कुछ हिस्सा ग़रीबों और ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करना, इन कामों के माध्यम से ईश्वर को ख़ुश करना और उसकी निकटता प्राप्त करने की कोशिश करना, और इन कामों में एक-दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करना और पूरे एक महीने तक इसी पवित्र वातावरण में रहने से व्यक्ति के चरित्र में निखार आना स्वाभाविक है ।

इस पवित्रता को रमज़ान का महीना गुज़र जाने के बाद भी अपने-अपने जीवन में स्थायी रूप से स्थापित करने क प्रयास किया जाए, तो व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व, समाज और देश चरित्र और नैतिकता के मज़बूत धरातल पर खड़ा हो जाएगा और ऐसे मज़बूत नैतिक आधार और पवित्र जीवन वाले ईशपरायण व्यक्तियों को समाज व देश की बड़ी ज़िम्मेदारियां दी जाएं, ताकि वे देश के भविष्य, प्रगति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में हों, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा देश वास्तविक प्रगति व समृद्धि के रास्ते पर तेज़ी से आगे बढ़ेगा ।

आइये हम सब मिलकर इसके लिए सामूहिक प्रयास करें, ताकि देश व समाज के प्रति अपने दायित्व को हम किसी दरजे में पूरा कर सकें । ईश्वर हमारी मदद फ़रमाये ।

क़ुरआन की पहली सूरः
अल-फ़ातिहा और अंतिम 30 सूरः

(क़ुरआन फ़ाउंडेशन, इंडिया की पेशकश)

दावती महत्व की यह किताब सैयद मंसूर आग़ा ने प्रो० डॉ० इरफ़ान अहमद ख़ान (यू०एस०ए०) की बहुचर्चित पुस्तकों 'इनसाइट इनटू क़ुरआन' और 'लास्ट थर्टी सूरः ऑफ़ क़ुरआन' से संकलित व अनुवादित की है । क़ुरआन की प्रमुख धारणाओं, पारिभाषिक शब्दों और क़समों पर चर्चा ख़ास महत्व की है । 'सूरः फ़ातिहा' के अध्ययन से क़ुरआन को समझने की राह खुलती है । सुबोध एवं रोचक शैली, दिलकश गेटअप, उम्दा छपाई व काग़ज़ ।

पेज 208, मूल्य केवल 100 रुपये

MMI Publishers, A.F. Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-25
Islamic Book Foundation, 1781, Hauz Suiwalan, N.Delhi-02

(syyedmansooragha@gmail.com)

रमज़ान : नेकियों का मौसमे बहार

❖ डॉ॰ मुहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी

रमज़ान का चांद दिखायी देते ही मुसलमानों के बीच ख़ुशी की लहर दौड़ जाती है । हर व्यक्ति एक-दूसरे को मुबारकबाद देने में पहल करना चाहता है । बच्चों में रमज़ान का विशेष आकर्षण होता है, रात में उठ कर बड़ों के साथ सहरी के तरह-तरह के व्यंजन जो खाने को मिलते हैं । और फिर शाम को इफ़्तार (रोज़ा खोलने) के समय की प्रतीक्षा और समय होते ही सबसे पहले खजूर खाने और शरबत पीने की होड़ । रमज़ाान, अरबी चन्द्र आधारित कैलेंडर का 9वां महीना है । यह महीना विशेष रूप से दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है । महत्वपूर्ण तो यह सभी मनुष्यों के लिए है । क्योंकि इसी महीने में ईश्वर ने अपने अन्तिम दूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) पर अपनी अन्तिम पुस्तक ''कुरआन'' अवतरित की, जिसमें उसने सम्पूर्ण मानवजाति के कल्याण का मार्ग बताया है ।

कुरआन में है–''ऐ ईमान वालो ! तुम पर रमज़ान के रोज़े (उपवास) अनिवार्य कर दिये गये हैं, जिस प्रकार तुम से पहले नबियों के अनुयायियों पर किये गये थे, ताकि तुम्हारे अन्दर ईश-परायणता और ईश-भय पैदा हो।'' (कुरआन, 2:183) यही वह आदेश है जो इस महीने में अनवार्य रूप से रोज़े रखने की प्रेरणा देता है । इस्लाम की इमारत जिन पांच स्तंभों पर खड़ी होती है वे हैं :

ईमान : अर्थात इस बात पर दृढ़ विश्वास कि ईश्वर एक है और उसका कोई साझी नहीं, ईश्वर ने मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए हर युग में अपने दूत भेजे हैं और इस सिलसिले की अन्तिम कड़ी हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) (उन पर ईश्वर की ओर से सलामती और कृपा हो) हैं तथा हर व्यक्ति को मरने के पश्चात पुनः जीवित कर के ईश्वर के समक्ष उपस्थित किया जाएगा और उसे वहां अपने सभी कर्मों का हिसाब देना होगा और उन्हीं के अनुसार उसे दंड अथवा पुरस्कार दिया जाएगा ।

सलात : या नमाज़, अर्थात दिन भर में पांच बार ईश्वर की आराधना उस ढंग से करना जो अन्तिम ईश्दूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने बताया है ।

सौम : अर्थात रोज़ा, रोज़े में सुबह सूर्योदय के पूर्व से लेकर सूर्यास्त तक खाने-पीने और यौन संबंधों से अपने आप को रोके रखना ।

ज़कात : अर्थात पवित्रता धारण करना, इसके अन्तर्गत हर व्यक्ति जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या दोनों या नक़द रक़म या कारख़ाने का कच्चा माल आदि मिला कर (इनमें से जिसका मूल्य कम हो) उसके बराबर हो और वह उसके पास साल भर रहे तो उसे उसके मूल्य का 2.5 प्रतिशत भाग अनिवार्य रूप से साल में एक बार निर्धनों और ज़रूरतमंदों के लिए निकालना होगा ।

हज : अर्थात काबा की यात्रा, हर स्वस्थ और साधन संपन्न व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह जीवन में एक बार मक्का में स्थित पवित्र घर काबा की यात्रा करे ।

ये वे अनिवार्य इबादतें हैं जिनमें से किसी एक को भी यदि कोई जान-बूझकर, सामर्थ्य होने पर भी छोड़ दे तो वह व्यक्ति मुसलमान नहीं रहता ।

रोज़े का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य में ईश-परायणता और ईश-भय पैदा करना है । इसके अतिरिक्त अन्य इबादतों में तो व्यक्ति का आचरण लोगों की निगाह में होता है परन्तु यदि कोई प्रकट में तो रोज़ा रख ले और छुप कर कुछ खा-पी ले, तो उसका यह आचरण केवल ईश्वर ही जानता है । रोज़े की हालत में व्यक्ति हर पल यह महसूस करता है कि ईश्वर मुझे देख रहा है, यदि मैंने छुप कर भी कुछ खा-पी लिया तो उसे अवश्य ज्ञात हो जाएगा ।

ईश्वर के होने और उसके हर खुले और छुपे का जानने वाला होने का एहसास इससे अधिक कोई और चीज़ नहीं दिला सकती । ईश्वर यही एहसास रमज़ान गुज़र जाने के बाद भी मनुष्य में पैदा करना चाहता ताकि वह खुले और छुपे हर समय ईश्वर द्वारा देखे जाने के भय से कोई अपराध न करे ।

रमज़ान नेकियों का मौसमे बहार है । वैसे तो रोज़ा सभी लोग व्यक्तिगत रूप से रखते है, परन्तु पूरी दुनिया के मुसलमान जब एक साथ रोज़ा रखते हैं तो फिर पूरा

वातावरण ही भलाइयों और नेकियों से भर जाता है । हर व्यक्ति बुरे कामों से बचने का प्रयत्न करता है और अधिक से अधिक भले काम करने का प्रयास करता है । इस महीने में सभी अपने ग़रीब भाइयों का विशेष ध्यान रखते हैं । किसी को रोज़ा इफ़्तार कराना बड़ा पुण्य कार्य है और किसी असहाय, निर्धन को यदि इफ़्तार कराया जाए तो यह और भी अधिक पुण्य का कार्य समझा जाता है । रमज़ान के अन्त में ईद आती है, ईद से पहले सद्क़तुल फ़ित्र के नाम से एक निश्चित भाग में अनाज या उसके समतुल्य रक़म अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति जो सामर्थ्य रखता हो प्रति व्यक्ति के हिसाब से ग़रीबों को पहुंचाता है ताकि कोई भी ईद की खुशियों से वंचित ने रहे ।

रोज़े में हम दूसरों की भूख और प्यास का स्वयं अनुभव करते है इससे हमारे दिल में मनुष्य मात्र के प्रति करुणा एवं दया पैदा होती है । इस महीने में दान करने का पुण्य अन्य दिनों की अपेक्षा 70 गुना अधिक बताया गया है, अत: लोग अधिक से अधिक दान करते हैं जिससे ग़रीबों की आर्थिक सहायता होती है । रोज़ा अपराध रोकने में भी सहायक है, क्योंकि रोज़े की हालत में लड़ना तो दूर, क्रोध करना और गाली देने से भी रोज़े के ख़राब होने का भय होता है । रोज़े से विश्व बंधुत्व भी भावना का विकास होता है क्योंकि इस माह में जो भी दान किया जाता है वह बिना किसी भेदभाव के किया जाता है ।

रमज़ान कुरआन का महीना है क्योंकि इसी महीने में कुरआन ईश्वर की ओर से हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर अवतरित होना प्रारंभ हुआ था । अत: इस महीने में कुरआन का बड़े पैमाने पर पाठ किया जाता है और उसकी शिक्षाओं को अत्मसात करने का प्रयत्न किया जाता है । इशा (रात की अन्तिम नमाज़) के बाद इस महीने में अतिरिक्त नमाज़ पढ़ी जाती है जिसे तरावीह कहते हैं । इस नमाज़ में महीने भर में पूरा कुरआन सुनाया जाता है ।

आज हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ी समस्या बनी हुई है । कुरआन ने आज से 14 सौ साल पूर्व ही इस समस्या को जड़ से समाप्त कर दिया था । "और जब जीवित गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा, बता तुझे किस अपराध में मारा गया" (कुरआन, 81:8)। अर्थात अपनी बेटी की हत्या करने वाले से ईश्वर इतना कुपित होगा कि वह उससे बात करना तक पसन्द नहीं करेगा अपितु उसके सामने स्वयं उस बेटी से ही पूछेगा कि बता तुझे किस अपराध में मारा गया । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने बेटियों के लालन-पालन और बेटे व बेटी में अन्तर न करने वाले को स्वर्ग की शुभसूचना दी है । अत: यदि कुरआन की शिक्षाओं को अपनाया जाए तो इस बड़ी समस्या का हल सहज ही हो जाता है ।

पर्यावरण संरक्षण के संबंध में भी इस्लाम में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं । कुरआन में ईश्वर कहता है कि उसने मनुष्य को धरती में अपना प्रतिनिधि बनाया है, (कुरआन, 2:30)। अत: उसे आदेश दिया गया है कि वह धरती में संतुलतन स्थापित करे और ईश्वर के स्थापित किये हुए संतुलन में व्यवधान उत्पन्न न करे । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि तुम समुर के किनारे भी हो तो भी पानी कम ख़र्च करो और कहा कि यदि क़यामत के आने में एक दिन भी बाक़ी रह जाए तो भी, तुम्हारे हाथ में जो पौधा हो उसे धरती में रोप दो । उन्होंने अपनी सेनाओं को भी निर्देश दे रखे थे कि वे जब विजेता के रूप में किसी बस्ती में प्रवेश करें तो वहां खड़ी फसलों और हरे पेड़ों को क्षति न पहुंचाएं । ये और ऐसी बहुत-सी शिक्षाएं हैं जिन्हें अपना कर हम अपने देश ही नहीं वरन् संसार की सभी समस्याओं का प्राकृतिक रूप से समाधान कर सकते हैं । आइये इस रमज़ान में हम अपने पालनहार को इस प्रकार भी प्रसन्न करने का प्रयास करें कि पर्यावरण को संतुलित रखें और बेटे व बेटी में कोई अन्तर न करें तथा कुरआन में ईश्वर के आदेशानुसार समस्त मानवों को अपना भाई समझ कर उनसे सद्व्यव्हार करें । ईश्वर हमारे रोज़ों को स्वीकार करे ।

For Information On
City Shops, Roads–Products, Restaurants, Magazine, Schools And much more.
Syed Shahbaz Alam Barvi
Business Development Director (09049185093)
Visit us:
www.shoppinglanes.com

मुसलमानों के सरदार के घर ईद

■ अफ़ज़ल हुसैन

उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (आप पर ईश्वर की कृपा हो) एक प्रतापी ख़लीफ़ा थे । इतिहासकार इन्हें उमर द्वितीय के नाम से याद करते हैं । आपने ईश्वरीय विधान की स्थापना हेतु ऐसा सराहनीय कार्य किया है कि इतिहासकारों का कहना है कि आपकी गणना ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन में होनी चाहिए । जब आपने राज्य का कार्य-भार संभाला उस समय मुसलमानों की आर्थिक दशा बहुत अच्छी थी और संपूर्ण विश्व पर मुसलमानों का प्रभुत्व छाया हुआ था ।

आपके शासनकाल में एक बार ईद आयी । बड़ी धूमधाम हुई । कई दिन पूर्व ही से लोग तैयारी में जुट गये । निर्धन एवं धनवान सभी ने अपनी क्षमतानुसार अपने परिवार के लिए नये-नये वस्त्र एवं आभूषण बनवाये । लोगों की जब यह तैयारियां देखीं तो आपके दोनों सुपुत्र अपनी माता के पास गये और कहा, "प्रिय मां ! कल ईद है । सभी लोग अपने बच्चों के लिए नये-नये कपड़े बनवा रहे हैं और ईद की तैयारी कर रहे हैं । हमारे पास तो कोई भी जोड़ा ऐसा नहीं है जिसमें जोड़ न लगा हो । हमारे लिए भी कपड़े बनवा दीजिये नहीं तो हम लोग इन कपड़ों में ईद कैसे मनाएंगे ?

मां ने बच्चों को बहुत समझाया मगर उनका हठ बढ़ता ही गया । पूरी रात हठ करते ही रहे । फ़ज्र की नमाज़ के बाद ख़लीफ़ा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की पत्नी हज़रत फ़ातिमा विवश हो मुसलमानों के सरदार की सेवा में उपस्थित हुईं । स्वयं ख़लीफ़ा भी पुराना वस्त्र पहने हुए मुसल्ले पर बैठे ईश्वर के समक्ष गिड़गिड़ा रहे थे और नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित थी । हज़रत फ़ातिमा ने जब यह दृश्य देखा तो बहुत प्रभावित हुईं । सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा-'मुसलमानों के सरदार ! आज ईद का दिन है । हमारे वर्ग के लोग प्रसन्न हैं । चारों ओर धूम मची है । और आप रो रहे हैं !"

ख़लीफ़ा ने कहा-"फ़ातिमा ! रमज़ान का पूरा महीना बीत गया । ईश्वर ने संयम एवं निग्रह का कितना शुभ अवसर प्रदान किया था । सोचता हूं कि क्या मैंने इस शुभ अवसर से पूरा-पूरा लाभ उठाया और अपने आचार एवं व्यवहार में कुछ सुधार किया ? क्या हमने इतना जप-तप किया कि ईश्वर के यहां मुंह दिखा सकें ? अथवा रमज़ान का पूरा महीना इसी प्रकार व्यर्थ बीत गया । यह कहते ही

Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd), Gaya

The Society is in service in the field of education, health and Islamic understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-

1. **IQRA PUBLIC SCHOOL :** Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.
2. **MILLAT HOSPITAL :** Every year about 15000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.
3. **INTEREST-FREE SOCIETY :** Provides short-term loan without interest to needy people.
4. **ISLAMIC INFORMATION CENTRE :** Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov - March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

Kindly send your cheque/draft in favour of the society

(Q. Hoda) Chairman

(Prof. M. B. Zaman) Secretary

JISSS, Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001

आप पर मूर्च्छा छा गयी । पानी की छींटें डाली गयीं । जब आप सचेत हुए तो पत्नी से आने का कारण पूछा । पत्नी ने उत्तर दिया ।

''बच्चों ने सारी रात सोने न दिया कल से हठ कर रहे हैं कि ईद आ गयी नये कपड़े बनवा दीजिये । मैंने बहुत समझाया परन्तु उनका हठ कम न हुआ यही कहे जा रहे हैं कि ईद के दिन सब लोग नये कपड़े पहनेंगे और हम लोग मुसलमानों के सरदार के बेटे होकर पुराने कपड़ों में ईद करें । विवश हो मैं उनका निवेदन लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूं । ख़लीफ़ा ने कहा–''फ़ातिमा ! तुम जान-बूझकर नादान बनती हो । मेरे पास इतने रुपये कहां हैं जो उनके लिए नये कपड़े बनवाऊं तुम्हें तो मालूम ही है कि...प्रति दिन कोष से इतना धन लेता हूं जिससे अति अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति ही मुश्किल से होती है फिर भला नये कपड़े कहां से बनवाऊं ?''

फ़ातिमा ने उत्तर दिया–''आप मुसलमानों के सरदार हैं । सरकारी कोष आपके हाथ में है । यदि आप चाहें तो कुछ रुपये सरकारी कोष से ले सकते हैं ।''

ख़लीफ़ा ने कहा, ''सरकारी कोष में जो कुछ है वह मेरा नहीं वरन सारे मुसलमानों का है । मैं तो केवल इसका निरीक्षक एवं रक्षक हूं । बिना आज्ञा तो इसमें से एक पैसा भी नहीं ले सकता । क्या तुम चाहती हो कि बच्चों की उचित अथवा अनुचित इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपना नाम धरोहर में हेर-फेर करने वालों में लिखाऊं और अंतिम दिन मैं ईश्वर के यहां पकड़ा जाऊं ।'' इस पर फ़ातिमा ने कहा अच्छा तो आप एक महीना अग्रिम निवृत्ति वेतन ले लें बच्चों के कपड़े बन जाएंगे, महीना तो अच्छा-बुरा कट ही जाएगा । इनका हठ पूरा हो जाए थोड़ा-सा दुख ही सहन कर लेंगे ।''

ख़लीफ़ा ने कहा–'फ़ातिमा ! क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं एक महीने तक जीवित ही रहूंगा । इस जीवन का क्या? आज है और कल नहीं । मौत का क्या ठिकाना आज ही आ दबोचे आख़िर अग्रिम निवृत्ति वेतन किस विश्वास पर ले लूं । जाओ इन बच्चों को समझाओ कि दुनिया के इस क्षणिक भोग-विलास पर न रीझें । ख़लीफ़ा की बातें सुनकर हज़रत फ़ातिमा वापस चली गयीं । बच्चों समेत सभी ने फटे-पुराने कपड़ों में ईद की, परन्तु संतोष एवं ईश्वरीय प्रसन्नता को हाथ से न जाने दिया ।

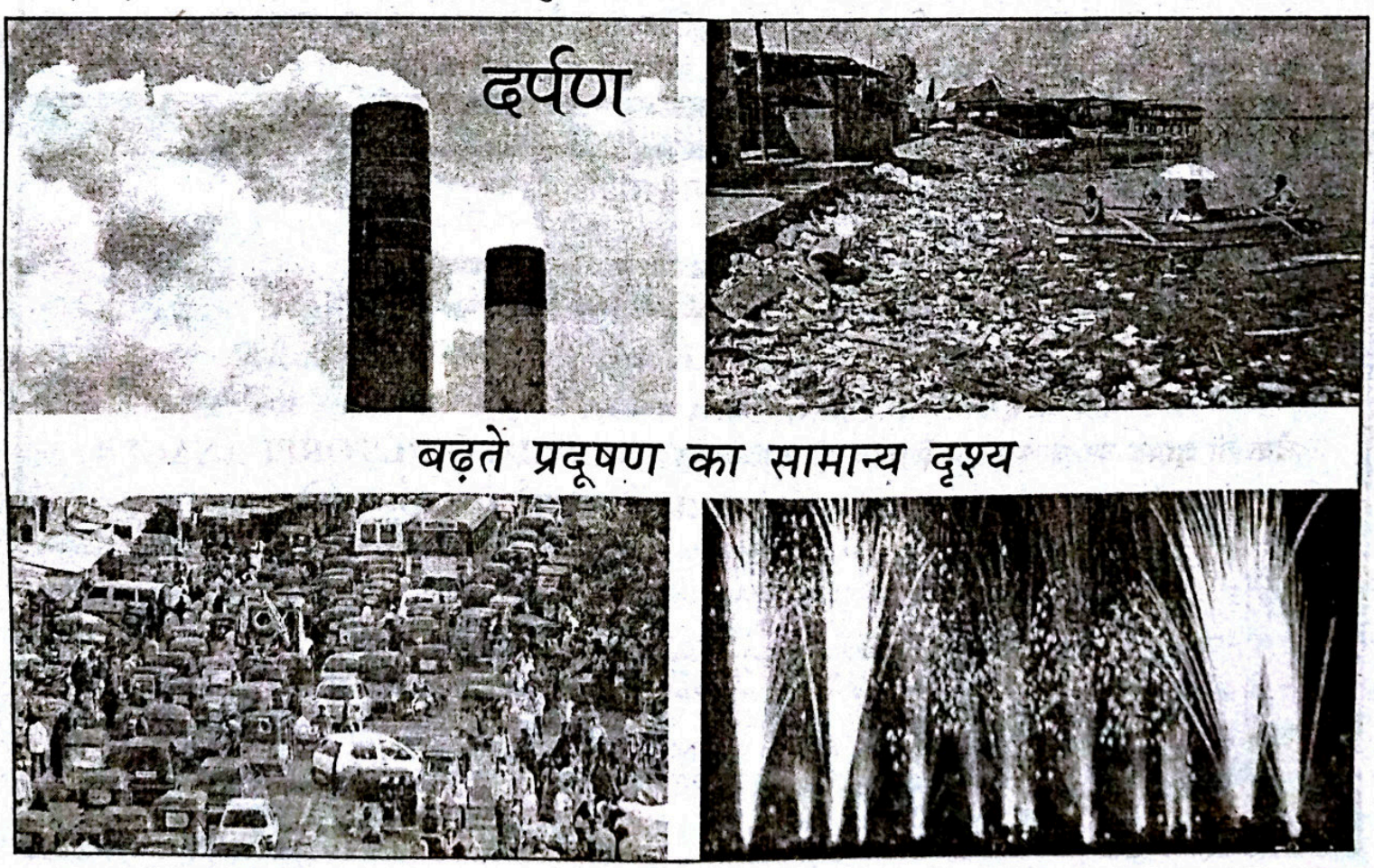

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

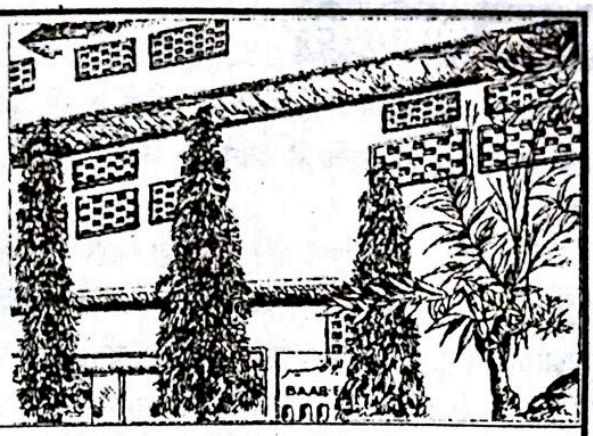

संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा

संस्था ने अपनी उम्र के 25 वर्ष दिसम्बर 2011 में पूरे कर लिए मगर अब तक माली दुश्वारियों के सबब अपना सिल्वर (Silver Jubilee) भी नहीं मना सका ।

● 25 वर्षीय सेवाएं ● 19 विभाग ● शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● पत्राचार शिक्षा I,A,BA एवं Library Science ● 6 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा ● वोकेशनल सेन्टर ● कटिंग और सिलाई : 6 बैच 70 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 3 बैच 40 छात्राएं ● 1993 ई॰ से 2011 ई॰ तक 66 अनाथ बच्चियों और 41 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● वार्षिक ख़र्च : 22 लाख रुपये से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● इदारा 120 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 12,000/- रुपये है–आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 1,00,000/- रुपये से अधिक ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना ● यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । ● इदारा में खुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चन्दा देने वाले : भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

Address for correspondence : रक़म भेजने और संपर्क करने का पता

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA, ☎ 0631-2734437 ● Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

LOCAL DONORS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK CODE-UBI No. 530042 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKING A/C NO.: 300402010007752

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

संस्थापक महासचिव : इक़बाल अहमद ख़ां

'ड़' से पहले...

❖ तारिक़ किफ़ायत

'ड़' से पहले 'अलिफ़' है और बाद उसके 'वाव' है
पूछना बाज़ार में उस चीज़ का क्या भाव है ।

स्कूल के ज़माने में तुकबंदी वाला यह शेअर बहुत काम आता था । जब कभी अंताक्षरी में विरोधी दल अपना शेअर 'ड़' पर ख़त्म करते थे । इसके बाद इस हथियार का क्या जवाब होता था हमें याद नहीं लेकिन इतना याद है कि इससे पहले कि विरोधी दल 'ड़' पर समाप्त होने वाले अशआर शुरू कर दे हमारी कोशिश होती थी हम ही पहले यह काम करके रास्ता बन्द कर दें ।

उस समय भी मन में यह प्रश्न उठता था कि 'ड़' से कोई शब्द क्यों शुरू नहीं होता, 'ड़' से पहले किसी दूसरे अक्षर का आना क्यों आवश्यक है, जबकि दूसरे अक्षरों के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है । शब्द कोश उठाकर देखा प्रत्येक अक्षर के लिए एक अध्याय मौजूद है, लेकिन 'ड़' के लिए कोई अध्याय नहीं । बच्चों की वर्णमाला में भी सभी अक्षरों की पहचान के लिए कोई चित्र बना होता है जैसे 'अ' से 'अनार', 'ब' से 'बल्ला' आदि लेकिन 'ड़' ख़ाली मुंह तकता दिखायी पड़ता है । सच पूछिये तो 'ड़' के साथ हो रहे इस भेदभाव पर हमें आश्चर्य हुआ दुख भी हुआ । आख़िर बेचारे 'ड़' का क्या दोष कि उसे समाज से काट दिया गया । अगर उस पर आरोप नीचे एक बिन्दी लिए फिरने का है तो आरोप तो ऐसा नहीं कि उसकी ऐसी सज़ा दी जाए क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर हम बहुत से अक्षरों के नीचे बिन्दी रखते हैं ।

हमारे एक मित्र का कहना है कि 'ड़' वाले शब्द बोलते हुए लगता है कि मुंह में कंकर आ गये हों और गड़बड़, सड़ांद, बिगाड़, भिड़, भेड़िया जैसे घटिया शब्द 'ड़' की ही देन है । हमने उनसे यह कहा कि क्या किसी के घर में काला और कुरूप बेटा जन्म ले ले तो क्या वह उसे निकाल देता है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह अक्षर निकम्मा है किसी काम नहीं आता । सड़क, पहाड़, चिड़िया, कपड़ा, तड़क-भड़क, तगड़ा जैसे बहुत से अच्छे शब्दों का जन्म भी तो इसी 'ड़' से हुआ है । यूं समझिये कि 'ड़' के बिना बात तो हो सकती है मगर उसका बतंगड़ नहीं बन सकता । इसी तरह 'जुगाड़', जिसके बिना आज कोई काम नहीं होता, भी 'ड़' के बिना नहीं बन सकता । इसलिए सच्चाई तो यह है कि 'ड़' को कितना ही नापसन्द किया जाए इसका अपना एक स्वाद है, ठीक लाल मिर्च के तीखेपन जैसा, जिससे कुछ लोग बहुत घबड़ाते हैं मगर इसके बिना दाल, तरकारी सब स्वादहीन रहती है । चटनी, चाह आदि भी मिर्च के बिना नहीं बन सकती ।

अक्षरों के समाज में 'ड़' के साथ शूद्रों जैसा व्यवहार किया जाता है, उसे अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है । शूद्रों को तो डॉ॰ अम्बेडकर के प्रयासों से स्वतंत्र भारत में कुछ सुविधाएं मिल गयीं लेकिन क्या 'ड़' से साथ हुए अत्याचार का भी उसे कभी बदला मिलेगा ?

अक्षरों के समाज में 'ड़' की स्थिति पर विचार करें तो हमारे आज के समाज में भी इसका चित्र आसानी से देखा जा सकता है । कितने ही लोग आपको मिलेंगे जो सामान्य स्थिति में किसी गिनती में नहीं होते । उनको किसी अवसर पर कभी नहीं बुलाया जाता लेकिन जब किसी उत्सव की व्यवस्था करने का मामला होता है तो लगता है कि उनके बिना काम होगा ही नहीं । उस अवसर पर उन्हें न केवल याद किया जाता है बल्कि उनके लिए ऐसा प्रेम प्रकट किया जाता है कि वे पिघल जाते हैं और इसके बाद समारोह के अंत तक वे काम में इतने जी-जान से जुट जाते हैं कि उन्हें खाने-पीने तक का भी होश नहीं रहता । उनको फंसाने वाले उन्हें देखकर मुस्कराते जैसे उनकी मूर्खता और अपनी चालाकी पर दाद मांग रहे हों । समारोह समाप्त होने पर कोई यह पूछने वाला भी नहीं होता कि भाई तुमने कुछ खाया-पिया भी या नहीं । और वे बेचारे अपने इस कारनामे पर इतने प्रसन्न होते हैं कि पानी भी अपने घर जाकर पीते हैं ।

इसी तरह दूसरों के काम आने वाले लोग होते हैं, जिन्हें कोई पूछे या न पूछे वे हर समय दूसरों के काम संवारने पर लगे रहते हैं । इसी विषय पर हमें अपने एक मित्र विशेष रूप

से याद आ रहे हैं, जो अपना घर छोड़कर किसी दूर स्थित गांव में जाकर रहने लगे थे । संयोग से उस गांव में कफ़न-दफ़न का इस्लामी तरीक़ा उनके अलावा कोई और नहीं जानता था । अब गांव में जब भी किसी की मृत्यु होती इनको ही याद किया जाता था, बल्कि ऐसे अवसर पर वे स्वयं ही वहां पहुंच जाते थे । मुर्दे को नहाने, कफ़न पहनाने के साथ-साथ घर परिवार वालों को दिलासा देने की उनकी आदत पड़ चुकी थी । फिर यह हुआ कि एक दिन उनका भी बुलावा आ गया, लेकिन अब उनको नहलाने वाला कोई नहीं था । घंटों उनकी लाश ऐसे ही पड़ी रही । अंतत: उनके घर वाले आये और उनकी लाश को अपने साथ ले गये और वहां उनका कफ़न-दफ़न हो सका ।

इसी चित्र का एक दूसरा रुख़ भी देखिये । बहुत से बेचारे ऐसे हैं जो अपने घर में परिवार का मुखिया होते हुए भी दूसरों के पीछे जीवन व्यतीत करने की आदत डाल लेते हैं । खुद अपने घर के अधिकतर फ़ैसलों में भी उनका कोई हाथ नहीं होता । कई बार तो घर के बाहर का कोई व्यक्ति यह फ़ैसला करता है, जिसे घर का मुखिया भी ख़ामोशी से मान लेता है । अर्थात 'ड़' की तरह वे भी किसी दूसरे के पीछे ही चल सकते हैं, आगे रहना न उनके भाग्य में है और न स्वभाव में । 'ड़' के स्वभाव पर आधारित इस चित्र का एक रुख़ उसकी सामाजिक उपयोगिता को दर्शाता है तो दूसरा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत कमज़ोरी को स्पष्ट करता है ।

'ड़' की इस दशा को देखकर हमें अपने आसपास के निरीह लोगों का ख़याल आया । यह सोचकर हमने इरादा किया कि 'ड़' से कोई शब्द बनाकर शब्दकोश में डालना चाहिए । किसी की लाश बेकफ़न क्यों रहे ? कोई समारोह से भूखा प्यासा क्यों जाए ? इसके बाद हम शब्द गढ़ने में जुट गये । कई घंटे माथा-पच्ची करने के बाद भी हम 'ड़ा' से आगे नहीं बढ़ पाये । कई बार तो इसी प्रयास में हमें अचानक हंसी भी आ गयी और फिर यह डर भी लगा कि कोई हमें बड़बड़ाता और अपने आप में हंसता देखकर पागल ही न समझ ले ।

फिर हमने सोचा कि पहले से मौजूद शब्दों में थोड़ा फेरबदल कर हम बेचारे 'ड़' की ख़ाली छोली में कुछ डाल सकते हैं । इसके लिए सबसे पहले 'ड़' पर हाथ साफ़ करने का इरादा किया क्योंकि 'ड़' और 'ड' में बहुत हद तक समानता भी है । 'ड' के अध्याय से अगर कुछ शब्द निकल जाएं तो उससे कोई बहुत अन्तर पड़ने वाला नहीं है । इस योजना के अंतर्गत 'डाक' को ''ड़ाक', 'डॉक्टर' को 'ड़ॉक्टर', 'डोल' को 'ड़ोल', 'डरना' को 'ड़रना' बोल कर हमें ऐसा लगा कि यह संभव भी है और व्यावहारिक भी । इसी प्रकार हमने 'र' की ओर ध्यान दिया 'र' के अध्याय में तो इतने शब्द हैं कि वहां से कुछ शब्द ले लेना समुद्र से चुल्लू भर पानी लेने जैसा ही है । जैसे 'राज' को 'ड़ाज', 'रबड़' को 'ड़बड़', 'रंग' को 'ड़ंग' में ने कोई परेशानी है न कोई कठिनाई । हां नयी छपने वाले शब्दकोश में इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी । हमें आशा है कि भाषा में में इस वृद्धि से भाषा वाले हमारा उपकार मानेंगे और हम पर गर्व करेंगे । उमंग की इसी हालत में हम इन शब्दों का अभ्यास करने में जुट गये, क्योंकि बाद वालों को सिखाने का दायित्व आविष्कारक पर ही होता है । इतने में हमारी पत्नी ने 'अजी सुनते हैं कहते हुए हमारे कमरे में प्रवेश किया, लेकिन हमारे मुंह से एक के बाद एक निकलने वाले शब्दों ने उन्हें हमारी मानसिक हालत के बारे में आशंका में डाल दिया और वे उलटे पांव ही वापस हो गयीं और डॉक्टर को फ़ोन करने लगीं ।

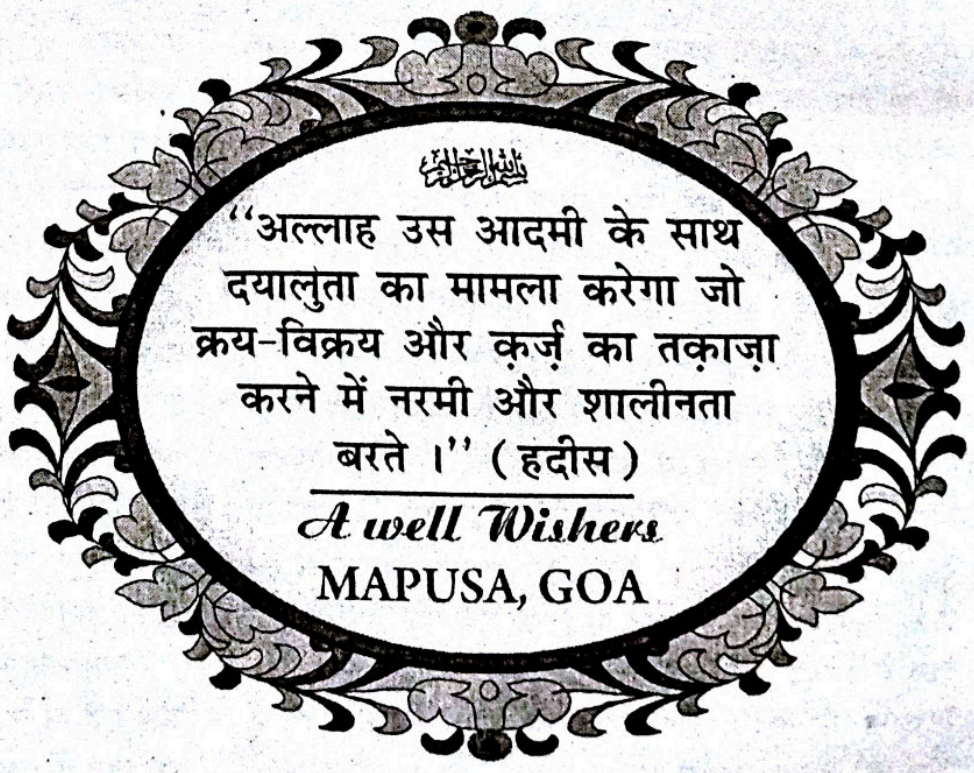

भारत में सूचना का अधिकार

■ अफ़रोज़ आलम 'साहिल'

भारत में सूचना का अधिकार कुछ गांवों के जन आन्दोलनों से जुड़ा है । चाहे वह राजस्थान में ''मज़दूर किसान शक्ति संगठन'' का ''जीने और जानने'' का एक अनूठा प्रयोग हो या दिल्ली में 'परिवर्तन' का सिस्टम में परिवर्तन लाने का संकल्प या फिर महाराष्ट्र में अन्ना हज़ारे का आन्दोलन । दरअस्ल, यह आन्दोलन न्यूनतम मज़दूरी की सही मांग से जुड़ा था, जो भ्रष्टाचार को मिटाने की न्यायपूर्ण मांग थी । इसी आन्दोलन के प्रयत्न से सरकार पर दबाव डाला गया कि वह सूचना के अधिकार क़ानून को न केवल विशेष रूप से बनाए, बल्कि उसे व्यावहारिक रूप से लागू करे । इस प्रकार भारत में सूचना के अधिकार को एक क़ानून बनाने में इन आन्दोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । वैसे सच बात तो यह भी है कि सरकारी सिस्टम में ऐसे क़ई व्यक्ति थे, जो इसके पक्षधर थे और सूचना का यह अधिकार भारत के संविधान से भी जुड़ा है । सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ मामलों में कई ऐसे फ़ैसले दिये जो सूचना के अधिकार को मज़बूत करते हैं । कुछ अन्य क़ानून भी इसे आधार प्रदान करते हैं । इसके अलावा ''अन्तर्राष्ट्रीय बंधन'' भी सूचना के अधिकार को देश में लागू करने को मजबूर किया ।

अन्तर्राष्ट्रीय संधियां

भारत ने मानव अधिकारों से संबंधित सार्वभौमिक घोषणा यू॰डी॰एच॰ (UDHR) 1948 की संधि पर हस्ताक्षर किया है तथा आई॰सी॰सी॰पी॰आर॰ (ICCPR) 1966 का अनुच्छेद 19 भी 'सूचना के अधिकार' से संबंधित है ।

इन संधियों द्वारा बंधित होने के कारण 'सूचना का अधिकार' लागू करना आवश्यक बन जाता है । संविधान के अनुच्छेद 51 (ग) में भी अन्तर्राष्ट्रीय और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने की बात कही गयी है ।)

दरअस्ल, 1977 के बाद भारत में लोकतंत्र को लेकर हर स्तर पर नये सिरे से सोचने का सिलसिला शुरू हुआ । (क्योंकि 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद पहली बार स्वीकार किया गया कि लोकतंत्र को हमेशा सुरक्षित रहने वाली संस्था नहीं माना जा सकता । जनता द्वारा चुनी गयी सरकार भी उसी संविधान की दुहाई देकर लोकतंत्र का गला घोंट सकती है, जिस संविधान पर हर भारतीय को गर्व है ।) तंत्र की पारदर्शिता और मतदाता के प्रति सरकार को जवाबदेही जैसे मामले केन्द्रीय चिंता का विषय बने । सूचना के अधिकार के साथ भी ऐसा ही हुआ । वैसे 1977 के पहले भी कुछ ग़ैर सरकारी एवं पत्रकार संगठनों ने इस अधिकार की मांग उठायी थी, लेकिन सरकारी स्तर पर 1977 के बाद ही यह संभव हो पाया । उस समय सत्ता पर क़ाबिज पर जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले सूचना के अधिकार के महत्व को जाना और आवश्यकता महसूस की । लेकिन इस पर पार्टी की तरफ़ से कोई पहल होती कि उससे पहले ही यह सरकार गिर गयी ।

1978 में द्वितीय प्रेस आयोग का गठन हुआ । जस्टिस पी॰के॰ गोस्वामी इसके अध्यक्ष बनाये गये । परंतु पुनः जब 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी की वापसी हुई, तो परंपरा के अनुसार जस्टिस गोस्वामी ने इस्तीफ़ा दे दिया । जस्टिस के॰के॰ मैथ्यू इस आयोग के अध्यक्ष बने । आयोग की एक रिपोर्ट 1982 में प्रकाशित हुई, जिसमें सूचना के अधिकार की तो नहीं, लेकिन सरकारी गोपनीयता क़ानून (क़ानून) की सर्वाधिक विवादस्पद धारा-5 में संशोधन की ज़ोरदार वकालत की गयी । रिपोर्ट में कहा गया था–

''धारा-5 को निरस्त करके इसकी जगह पर राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य के अन्य महत्वपूर्ण हितों और राज्य के कार्य व्यापार की जानकारी के जनता के अधिकार की सर्वोच्च आवश्यकताओं के अनुरूप कोई प्रावधान किये जाएं । धारा–5 के सूचनाओं के उन प्रकारों तक सीमित किया जाना चाहिए, जिनके प्रकटीकरण से देश की सुरक्षा प्रभावित होती हो । ऐसा करने से कार्यपालिका के भीतर यह वातावरण बनेगा कि क़ानून उसकी हर चीज़ को गोपनीय क़रार देने की प्रवृत्ति का बचाव नहीं करेगा ।''

इस बीच भारत के विभिन्न न्यायालयों ने भी कई

महत्वपूर्ण फ़ैसले दिये, जिसमें सूचना के अधिकार की ज़बरदस्त वकालत की गयी थी । 1975 में राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद-19 में वर्णित सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया । इस मुक़दमे में एक न्यायाधीश जस्टिस मैथ्यू ने अपने फ़ैसले में कहा था–

''सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा सार्वजनिक ढंग से किये गये किसी भी सार्वजनिक कार्य के बारे में जानने का अधिकार देश के हर व्यक्ति को है । ऐसे कार्य की बारीक से बारीक चीज़ों को जानने का उसे हक़ है । जानने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा से ही निकला है । यह सही है कि यह अधिकार अमूर्त नहीं है और परिस्थितियों के अनुसार इसकी अनेक सीमाएं भी हैं, लेकिन जो सूचनाएं देश की सुरक्षा को क्षतिग्रस्त न करती हों उन्हें प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति को है । गोपनीयता का आडंबर खड़ा करके सरकारी कामकाज की सामान्य सूचनाओं को गुप्त रखना जनहित के विरुद्ध होगा । सूचनाओं को गोपनीय रखने को कभी-कभार ही जायज़ ठहराया जा सकता है । इसकी ज़रूरत भी यदा-कदा ही पड़ती है । आमतौर पर ऐसी सूचनाएं अपने राजनीतिक, दलगत एवं निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए गोपनीय रखी जाती हैं । नौकरशाही की आदत भी इसका एक पक्ष है । इसलिए अत्याचार एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए ज़रूरी है कि सरकारी अधिकारियों को उनके द्वारा किये कार्यों के लिए जवाबदेह बनाया जाए ।''

संभवत: हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी अदालत का यह पहला फ़ैसला था, जिसमें सूचना के अधिकार की मांग को जायज़ ठहराया गया था । 1981-82 के सर्वोच्च न्यायालय के एक-दूसरे फ़ैसले को मील का पत्थर माना जा सकता है । यह फ़ैसला एस॰पी॰ गुप्ता बनाम भारत सरकार के मुक़दमे में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था । केन्द्रीय विधि मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा पटना-दिल्ली उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के बीच परस्पर हुए पत्र व्यवहारों को सार्वजनिक करने का निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया । इस फ़ैसले में जस्टिस पी॰एन॰ भगवती द्वारा कहे गये एक-एक शब्द का विशेष महत्व था । न्यायमूर्ति भगवती ने कहा–''बिना जवाबदेही के कोई लोकतांत्रिक सरकार ज़िन्दा नहीं रह सकती । सरकार की कार्यप्रणाली की जानकारी लोगों को मुहैया कराना इस जवाबदेही का मूलमंत्र है । खुले समाज की एक नयी लोकतांत्रिक संस्कृति होती है, जिसे आप अधिकांश उदारवादी लोकतांत्रिक देश अपना रहे हैं । हमारा समाज इसका अपवाद नहीं हो सकता । पारदर्शी सरकार की अवधारणा का सीधा रिश्ता जानने के अधिकार से है और यह अधिकार हमारे संविधान के मूल अधिकारों में शामिल अनुच्छेद-19(1-क) में वर्णित विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है । इसलिए सरकारी सूचनाओं को सार्वजनिक करना निश्चित रूप से एक सामान्य नियम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए । गोपनीयता महज़ इसका अपवाद हो सकती है । गोपनीयता को सिर्फ़ वहीं जायज़ माना जाना चाहिए जहां ऐसा करना जनहित में हो ।''

जस्टिस भगवती ने अपने इस फ़ैसले में यह भी कहा कि ''पांच साल में मात्र एक बार मतदान कर सरकार के क्रियाकलापों के प्रति उदासीन हो जाने से 'लोकतंत्र' नाम की संस्था ही समाप्त हो सकती है । इसलिए ज़रूरी है कि सरकार अपने कामकाज की सूचनाएं जनता तक पहुंचाए ताकि लोकतंत्र में 'निगरानी रखने और संतुलन बरक़रार रखने' की एक प्रणाली विकसित हो सके ।''

अपने लंबे फ़ैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा–''पिछले कुछ वर्षों से न्यायालय के समक्ष आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी विनाश संबंधी मामलों में लगातार

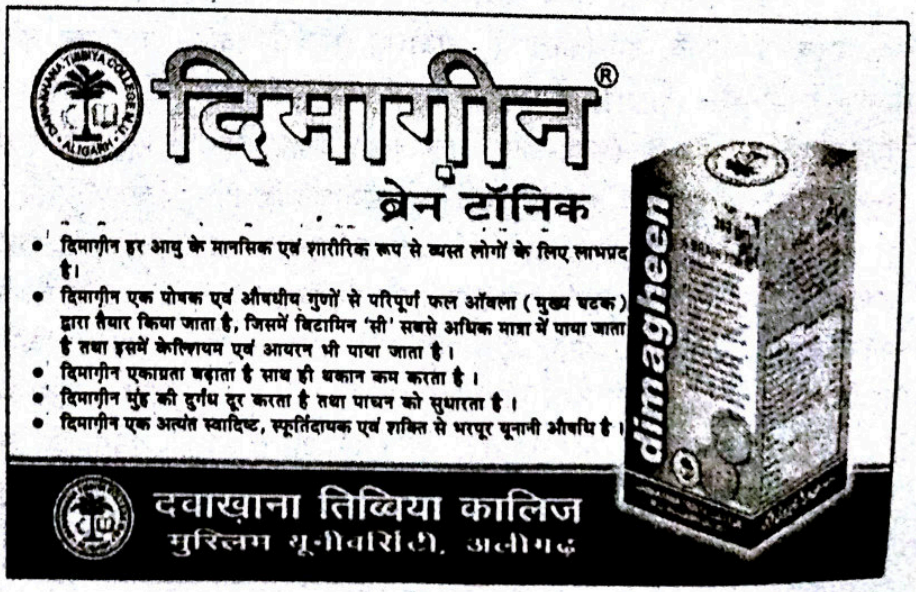

वृद्धि हो रही है । लाखों ग़रीब लोगों की जान-माल की चिंता व्यक्त करने वाले ये मामले जनहित याचिका के ज़रिये हमारे समक्ष आ रहे हैं । इन मामलों पर निर्णय देने के लिए कुछ विशेष तरह की सूचनाओं के साथ-साथ उच्च स्तरीय वैज्ञानिक ज्ञान की ज़रूरत महसूस की जा रही है । हमें कई विशेषज्ञों से संपर्क करना पड़ रहा है । इस मामले की सुनवाई करते समय हमें विशेषज्ञों की एक समिति भी बनानी पड़ी, फिर भी विशेषज्ञों की निष्पक्ष राय की समस्या मौजूद रही । आज की तारीख़ तक हमारे पास ऐसी कोई संस्था नहीं, जिससे हम जब चाहें तब उचित एवं निष्पक्ष राय प्राप्त कर सकें । हमें ऐसी विशेषज्ञों के एक समूह की सख़्त ज़रूरत है । हमारा सुझाव है कि भारत सरकार एक 'इकोलॉजिकल साइंस रिसर्च ग्रुप' का गठन करे जिसमें पेशेवर, योग्य एवं पूर्णरूपेण दक्ष व्यक्ति रहें और हमें निष्पक्ष एवं स्वतंत्र राय दे सकें । विज्ञान और तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को लेकर गठित किया गया यह समूह न्यायालय के लिए 'सूचना बैंक' का कार्य करेगा । ऐसा नहीं होने पर न्यायालय सही निर्णय दे पाने में अक्षम साबित होंगे।

इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्णयों के बाद सूचना के अधिकार की बहस एक बार फिर तेज़ हुई ।

1989 में लोकसभा चुनाव हुए । विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा का गठन हुआ । मोर्चा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह जनता के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में समुचित संशोधन करेगा । इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए सरकारी गोपनीयता क़ानून (1923) को भी समुचित तरीक़े से संशोधित करेगा । भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य वामपंथी दलों ने भी अपने-अपने घोषणा पत्रों में ऐसी वचनबद्धताएं प्रकट कीं ।

भाजपा और वाममोर्चे के समर्थन से केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी । वी॰पी॰ सिंह देश के प्रधानमंत्री बने । राष्ट्र के नाम प्रसारित अपने पहले संदेश में उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा के घोषणा पत्र को लागू करने की वचनबद्धता दुहरायी । इसका विस्तार करते हुए उन्होंने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम बनाने के निश्चय की घोषणा भी की । अपने इस पहले संदेश में वी॰पी॰ सिंह ने कहा था–"हम सूचना का अधिकार देंगे । सरकार के क्रिया-कलापों में जितना खुलापन रहेगा, ग़लत चीज़ें उतनी ही कम होंगी । इसके लिए हम सरकारी गोपनीयता क़ानून में संशोधन करेंगे और सूचना के अधिकार को संविधान का अंग बनाएंगे ।" इस संदेश के कुछ ही दिनों बाद दिसम्बर 1989 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी॰आर॰ कृष्ण अय्यर ने प्रधानमंत्री वी॰पी॰ सिंह के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी । इस चिट्ठी में उन्होंने तंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए क़ानून बनाने के उनके वादे को याद दिलाया था । 2 जनवरी 1990 को वी॰पी॰ सिंह ने उन्हें इस ख़त का जवाब देते हुए अपने वादे पर क़ायम रहने का आश्वासन भी दिया । सूचना प्रसारण मंत्रियों के 20वें सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए भी वी॰पी॰ सिंह ने सूचना के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने की अपनी इच्छा व्यक्त की । यही नहीं, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति आर॰ वेंकटरमण ने भी संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए सरकारी गोपनीयता क़ानून में संशोधन एवं यथासंभव सूचना का अधिकार क़ानून निर्मित करने की बात कही ।

वी॰पी॰ सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में इस संदर्भ में ठोस पहल भी हुई । एक मार्च 1990 को केन्द्रीय गृहसचिव ने एक प्रारंभिक नोट जारी किया, जिसमें सरकारी गोपनीयता क़ानून में प्रस्तावित संशोधनों का उल्लेख किया गया था ।

इसी बीच भारतीय प्रेस परिषद भी दोबारा सक्रिय हुई । सरकारी गोपनीयता क़ानून (1923) में संशोधन करने या उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का ही नहीं बल्कि उसे पूरी तरह रद्द करने का सुझाव दिया गया । इसके साथ ही परिषद ने सूचना की स्वतंत्रता देने वाले क़ानून निर्माण के संदर्भ में भी अपनी राय व्यक्त की । लंबे विचार-विमर्श के बाद 13 जुलाई 1990 को 10 मांगों पर आधारित अपनी सिफ़ारिशें पेश की । प्रेस परिषद की ये सिफ़ारिशें कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण थीं । भारत में पहली बार किसी संस्था ने सूचना का अधिकार और सरकारी गोपनीयता क़ानून (1923) पर इतने विस्तार के साथ चर्चा कर उसे एक दस्तावेज़ की शक्ल प्रदान की थी । पर कोई विशेष फायदा नहीं हो सका, क्योंकि वी॰पी॰ सिंह की सरकार रह नहीं पायी ।

इधर कुछ छोटे जनसंगठन जगह-जगह पर आम लोगों की सरकारी सूचनाएं मांगने के लिए प्रेरित कर एक बड़े आन्दोलन के लिए तैयार कर रहे थे । यह आन्दोलन

राजस्थान के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ, जहां आम जनता सरकारी दस्तावेज़ी जैसे कि मस्टर रोल की कॉपी, सड़कों, नहरों, स्कूल, बिल्डिंगों और अन्य निर्माण कार्यों के ठेके की कॉपी आदि की मांग कर रही थीं । आम जनता को एकजुट करने के उद्देश्य से वर्ष 1990 में प्रमुखत: तीन लोगों अर्थात अरुणा राय, निखिल डे और शंकर सिंह ने 'मज़दूर-किसान शक्ति संगठन' (MKSS) की नींव रखी गयी । इसके कार्यकर्ताओं ने पाया कि स्थानीय प्रशासन और ठेकेदार ग्रामीण जनता का शोषण कर रहे हैं । उन्हें ''ग़रीबी हटाओ योजना'' के तहत दिये जाने वाली राशि से वंचित किया जा रहा है । और तो और उन्हें न्यूनतम मज़दूरी तक नहीं दिया जा रहा था । लोग इस भ्रष्टाचार से भली-भांति परिचित थे । लेकिन सरकारी काग़ज़ों को हासिल किये बिना इन सारी धांधलियों को उजागर नहीं किया जा सकता था । बस यहीं से ''हमारा पैसा-हमारा हिसाब'' यानी सूचना के अधिकार की मांग उठने लगी । धरना, प्रदर्शन, रैलियों, जनसुनवाइयों तथा संघर्षों का दौर चला । इसी संघर्ष के कारण अप्रैल 1996 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सूचना के अधिकार को लागू करने के लिए क़ानून बनाने का वादा किया । इस अहिंसात्मक आन्दोलन द्वारा जो 1990 से 2002 तक चला, मज़दूर किसान शक्ति संगठन' ने सरकारी अधिकारियों पर दबाव डाला कि वे अपने वादे को पूरा करें और सूचना के अधिकार क़ानून को लागू करे । उनके इस काम से पूरा देश प्रभावित हुआ और इस आन्दोलन को राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया ।

राजस्थान के इसी संघर्ष ने 1997 में National Campaign for People's Right to Information को जन्म दिया । अन्य कई राज्यों में भी इस आन्दोलन के कारण सूचना के अधिकार की मांग उठी और कुछ राज्यों में राज्य स्तर पर सूचना के अधिकार से संबंधित क़ानून लागू किये गये । इस प्रकार इस आन्दोलन द्वारा केन्द्र स्तर पर भी इस क़ानून को बनाने की प्रक्रिया स्थापित की गयी । इसके दबाव के चलते 2002 में Freedom of Information Act पास किया गया । लेकिन यह बिल भी पारदर्शी प्रशासन के नाम पर महज़ एक ख़ानापूर्ति भर बनकर रह गया ।

मई 2004 में कांग्रेस और वामपंथियों की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार सत्ता में आयी । सप्रंग सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के माध्यम से यह वादा किया कि वह एक स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन के लिए कटिबद्ध है । सरकार ने अपने वादों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए सोनिया गांधी के अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया । उसके बाद समिति और अन्य सामाजिक संगठनों की मदद से सूचना का अधिकार क़ानून का एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास भेजा गया । 23 दिसम्बर 2004 को सप्रंग सरकार ने इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया । लोकसभा में एक लंबी बहस के बाद 11 मई 2005 को 146 संसोधनों के साथ दुबारा लाया गया, जो भारत के राजपत्र में 'सूचना का अधिकार अधिनियम-2005' (2005 का अधिनियम संख्यांक 22) 15 जून 2005 को प्रकाशित किया गया और 120 दिनों के बाद अर्थात 12 अक्तूबर 2005 को इसे जम्मू व कश्मीर छोड़कर पूरे भारत वर्ष में लागू कर दिया गया ।

माल का लालच और ईमान दोनों किसी बन्दे के दिल में हरगिज़ जमा नहीं हो सकते ।

मद्रासी

मद्रासी होटल
मालवीय रोड
रायपुर (सी॰जी॰)
फोन : 0771-2539516,2236788

मद्रासी होटल
शॉप नं॰ 1-7
मोतीबाग़ चौपाटी, रायपुर
फोन : 0771-2533946, 5053603

साहित्य समाचार

डॉ॰ यायावर के साहित्य पर शोध

डॉ॰ रामसनेही लाल शर्मा 'यायावर' के साहित्य को अब शोध के क्षेत्र में भी मान्यता मिलने लगी है । डॉ॰ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फ़ैज़ाबाद के अंतर्गत बी॰एन॰के॰बी॰ स्नातकोत्तर महाविद्यालय अकबरपुर (अम्बेडकर नगर) के प्राचार्य डॉ॰ अजीत कुमार सारस्वत-डी॰लिट् के कुशल निर्देशन में 'डॉ॰ रामसनेहीलाल शर्मा 'यायावर' की साहित्य-साधना : संवेदना और शिल्प' विषय पर रमेशचन्द्र त्रिपाठी को पी-एच॰डी॰ की उपाधि प्राप्त हुई है । ध्यातव्य है कि डॉ॰ अजीत कुमार सारस्वत फ़िरोज़ाबाद के ही मूल निवासी हैं । उन्होंने स्थानीय एस॰आर॰के॰ स्नातकोत्तर महाविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एम॰ए॰ हिन्दी किया था ।

डॉ॰ यायावर ने अब तक 5 गीत नवगीत संग्रह, एक ग़ज़ल संग्रह, एक मुक्तक संग्रह, दो दोहा संग्रह, एक जनक छन्द संग्रह, एक ब्रजभाषा गीत-ग़ज़ल संग्रह तथा एक हाइकु संग्रह सहित एक दर्जन काव्य संग्रह तथा दो शोध ग्रंथ प्रकाशित हैं ।

सुर से सुर मिलाते जाइए

सुर से सुर मिलाते जाइए ।
हर किसी को हंसाते जाइए ।
रुपये-पैसे का मत करो लालच,
ज़रूरत के मुताबिक़ कमाते जाइए ।
दुख में हंसना होता है मुश्किल,
हो सके तो मुस्कुराते जाइए ।
क्यों बनाते हो तुम किसी को दुश्मन,
सभी को अपना दोस्त बनाते जाइए ।
दिलों में दूरियां मत बढ़ने दो,
हाथ से हाथ मिलाते जाइए ।
कवि दरबारों में भी राजनीति है,
हो सके तो कुछ सुनाते जाइए ।
लिखने का शौक़ 'लाडी' निराला है,
साहित्य की दौलत लुटाते जाइए ।

अमित कुमार लाडी
मुख्य संपादक "आलराउंड" (मासिक)
आलराउंड अकादमी, डोडां स्ट्रीट,
फ़रीदकोट-151203 (पंजाब)

क़ुरआन ज्योति

(पृष्ठ 5 का शेष)

अल्लाह रुष्ट हो रहा है और यह रोष नबी (सल्ल॰) पर नहीं है, बल्कि मुसलमानों पर है । ईश-आदेश का मंशा यह है कि "तुम लोग भी नबी के मिशन को अच्छी तरह नहीं समझे हो । नबी का मूल कार्य यह नहीं है कि फ़िदये और ग़नीमतें वसूल करके ख़ज़ाने भरें, बल्कि उसके लक्ष्य से जो चीज़ प्रत्यक्ष संबंध रखती है, वह केवल यह है कि कुफ़्र की शक्ति टूट जाए । मगर तुम लोगों पर बार-बार संसार का लोभ छा जाता है । पहले शत्रु की अस्ल ताक़त पर हमला करने के बजाय क़ाफ़िले पर हमला करना चाहा, फिर शत्रु का सर कुचलने के बजाय, ग़नीमत लूटने और क़ैदी पकड़ने में लग गये, फिर ग़नीमत पर झगड़ने लगे । अगर हम पहले फ़िदया वसूल करने की अनुमति न दे चुके होते तो इस पर तुम्हें कड़ी सज़ा देते । ख़ैर, अब जो कुछ तुमने लिया है, वह खा लो, मगर आगे ऐसे रवैये से बचते रहो जो अल्लाह के नज़दीक अप्रिय है ।" मैं इस राय पर पहुंच चुका था कि इमाम जस्सास की पुस्तक 'अह्कामुल कुरआन' में यह देखकर मुझे और अधिक संतोष हुआ कि इमाम जस्सास भी इस अर्थ को कम से कम स्वीकारणीय कहते हैं । फिर पुस्तक 'सीरत इब्ने हिशाम' में यह रिवायत नज़र से गुज़री कि जिस समय इस्लाम के मुजाहिदीन ग़नीमत का माल लूटने और शत्रु के आदमियों को पकड़-पकड़ बांधने में लगे हुए थे, नबी (सल्ल॰) ने देखा कि साद बिन मुआज़ के चेहरे पर कुछ नागवारी झलक रही है । नबी (सल्ल॰) ने उनसे मालूम किया कि "ऐ साद ! लगता है कि लोगों की यह कार्रवाई तुम्हें पसन्द नहीं आ रही है ।" उन्होंने कहा , "जी हां, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) यह पहली लड़ाई है जिसमें अल्लाह ने शिर्क वालों को हार का मुंह दिखाया है । इस मौक़े पर उन्हें क़ैदी बनाकर उनकी जानें बचा लेने से कहीं बेहतर यह था कि उनको कुचल डाला जाता ।" (भाग 2, पृष्ठ 280-81)

सोने का अख़बार

विश्व में अनोखी एवं अद्‌भुत वस्तुओं की कमी नहीं है । इसी क्रम में 'गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकार्ड' में दर्ज ''चाईनीज फलोरिशिग पीरियड'' अख़बार का प्रकाशन दक्षिण चीन के एक समाचार पत्र समूह'' चाइना इकोनोमिक डेली'' ने कर डाला है जिसकी छपायी बहुत क़ीमती एवं पतले काग़ज़ पर की गयी है ।

प्रत्येक अख़बार हेतु प्रयुक्त स्वर्ण पत्र काग़ज़ में सोने का वज़न 500 ग्राम (आधा किलो) है । जिस कारण एक प्रति का मूल्य 8300 डॉलर (लगभग पौने चार लाख रुपये) रखा गया है ।

बीजिंग के शिन्हुआ समाचार पत्र के अनुसार स्वर्ण पत्र पर प्रकाशित होने वाला विश्व का यह प्रथम अख़बार बन गया है । जिसका प्रकाशन समारोह चीन के प्रमुख शहर शेंडोर में आयोजित किया जा चुका है । स्मरण रहे कि सर्वोच्च संस्था ''नेशनल पीपुल्स कांग्रेस'' के पिछले दस सत्रों की उपलब्धियों का लेखा-जोखा इस अख़बार के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है । जनभावना एवं अधिक प्रसारण हेतु इस अख़बार का एक और संस्करण अपेक्षाकृत कम क़ीमत का प्रकाशित हो चुका है । जिसका मूल्य 3400 डॉलर (लगभग एक लाख साठ हज़ार रुपया) और प्रयुक्त सोने का वज़न 200 ग्राम है । प्रत्येक संस्करण की मात्र 3600 प्रतियां ही प्रकाशित की गयी हैं । स्वर्ण पत्र पर प्रकाशित इस समाचार पत्र को कुछ समय पूर्व ही ''गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकार्ड'' में शामिल कर लिया गया है ।

मुकुट वाले उल्लू

मुकुट वाले उल्लू थोड़े अलग नज़र आते हैं क्योंकि इनके सिर पर मुकुट जैसी संरचना होती है, जो इन्हें ख़ास बनाती है । इनकी संख्या लगभग 250 रह गयी है । इनका शरीर छोटा, लेकिन गठीला होता है । शरीर की तुलना में इनका सिर बड़ा होता है ।

इनका शिकार करने का ढंग बड़ा अनोखा होता है । वे ऊंची जगह पर बैठकर अपने शिकार की प्रतीक्षा करते रहते हैं । जैसे ही शिकार इनके नज़दीक आता है, वे लगातार अपनी पूंछ को झटका देने लगते हैं । नर उल्लू शिकार करते हैं, जबकि मादा घोंसले में रहकर बच्चों को खिलाती-पिलाती है । जाड़े के दिनों में ये पेड़ की ऊंची शाखाओं पर बैठकर धूप सेंकते रहते हैं । मुकुट वाले उल्लू मुख्य रूप से मध्य भारत में पाये जाते हैं । इन्सानों द्वारा जंगल की कटायी के कारण इनकी संख्या लगातार कम हो रही है ।

इस्लामी पुस्तकें

आपकी अमानत आपकी सेवा में	(मौलाना कलीम सिद्दीक़ी)	₹10
मय्यित के अहकाम व मसाइल	(शाहिद हुसैन नदवी)	₹25
क़ुरआन, बाइबल और आधुनिक विज्ञान	(डॉ॰ ज़ाकिर नाइक)	₹50
इस्लाम और हिन्दू धर्म में समानताएँ	(डॉ॰ ज़ाकिर नाइक)	₹25
दुनिया के बड़े धर्मों में ईश्वर की कल्पना	(डॉ॰ ज़ाकिर नाइक)	₹25
पवित्र क़ुरआन और आधुनिक विज्ञान	(डॉ॰ ज़ाकिर नाइक)	₹35

पुस्तक विक्रेता और दावती काम करनेवालों के लिए विशेष छूट

KHALID BOOK DEPOT

Head Office: Chander Ghata, Maqbara, Kota - 6 (Raj.)
Branch Office: B-138, Shaheen Bagh, Jamia Nagar, N.Delhi-25
Ph.: 0744-2381650, 08233318955 E-mail: mkkhan123456@gmail.com

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से मुद्रित ।
फोन: 011-26949430
संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबंधित है।

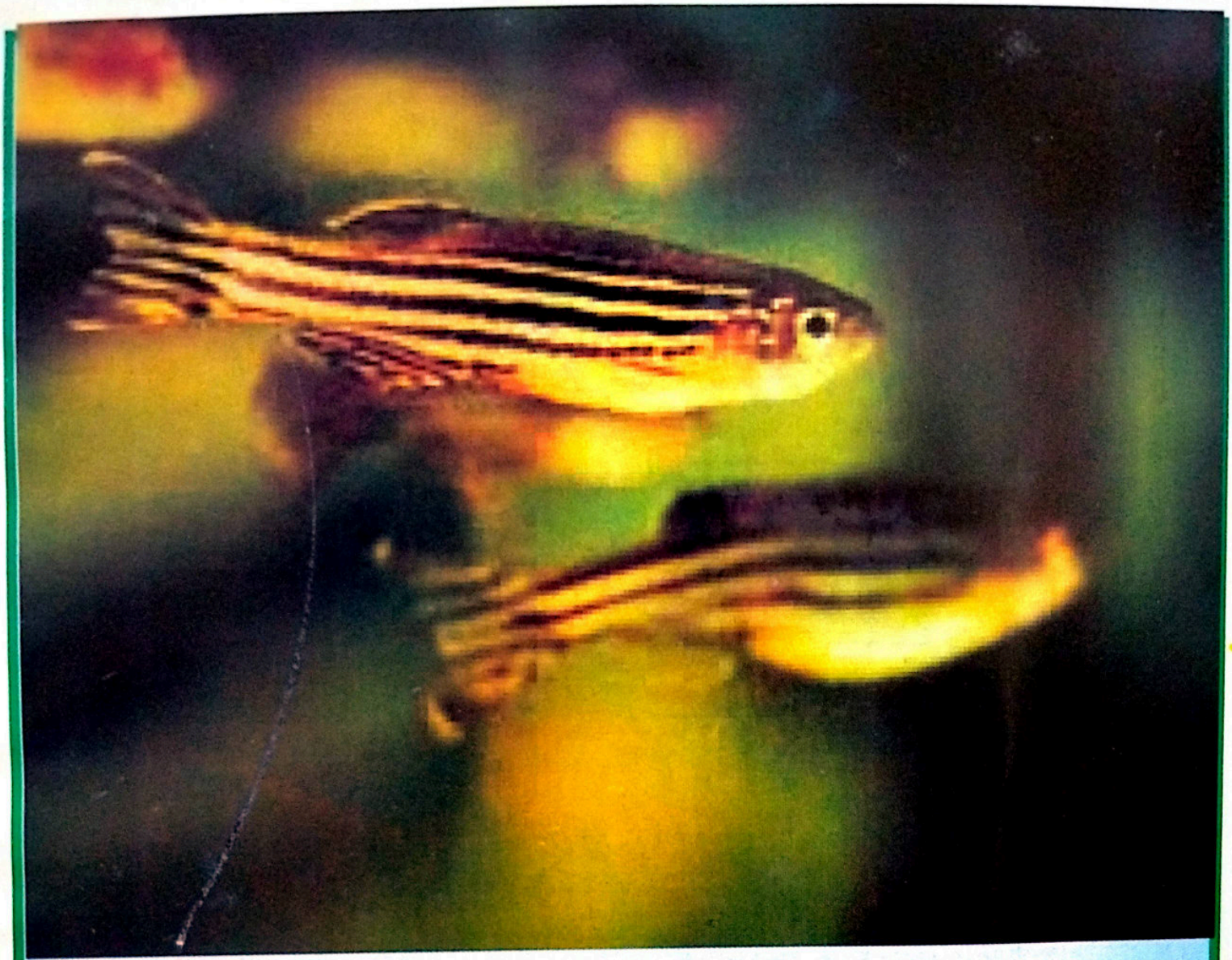

Juned : 9225983350
9970054366

MOHAMMED JUNED

Wholesale Fish Merchant & Commission Agent

Wholesale Fish Market,
Opp. K.T.C. Bus Stand, Madel, Margao, Goa

Posted on 20-21 July 2012
August 2012
E-mail: kantimonthly@hotmail.com
Publishing Date: 18.07.2012

हिन्दी मासिकों की राष्ट्रीय परिषद
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2012-2014
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2012-14

AIMS TECHNICAL MANAGEMENT INSTITUTE

Trade Registered by Govt of India-1710741

देश विदेश में नौकरी हेतु प्रशिक्षण केन्द्र



Quality Controller


Instrument Technician


Industrial Safety


Excavator Operator


JCB Operator


Mobile Crane

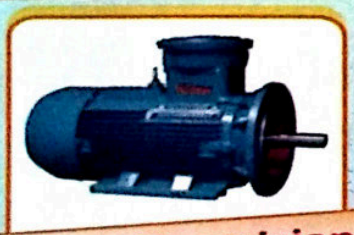
Plant Electrician


Welding


Land Surveyor


Auto Cad & Draftsman


Pipe Fitter & Fabricator


Water Treatment

Office Road No-8, Main Road, Jawaharnagar, Mango,
Jamshedpur, Jharkhand-832110
www.aimstech4u.hpage.com
Contact : 0657-6522810, 9234704886, 930828969
E-mail : atmitech4u@gmail.com